नवंबर, 2021
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक (प्रभारी)

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री कमला कान्त
श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह

ISSN-2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2021 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

नवम्बर, 2021 अंक - 11

प्रधान संपादक (प्रभारी)

श्री कमला कान्त

सहायक संपादक

पुंडरीक शर्मा

विधि साहित्य प्रकाशन

(2021) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on

Website → **https://bharatkosh.gov.in/product/product**

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अपनी बाल्यावस्था के कारण स्वयं शिकायतकर्ता के साथ निवास कर रहे हों तो क्या उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य संदेह के घेरे में आ जाता है और क्या उन्हें सिखाया-पढ़ाया साक्षी मानकर उनके अभिसाक्ष्य को परित्यक्त किया जाना चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय ने **खड़क सिंह** बनाम **उत्तराखंड राज्य** (2021) 2 दा. नि. प. 583 वाले मामले में इसी प्रश्न पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह सत्य है कि अपनी माता की मृत्यु और पिता की गिरफ्तारी के पश्चात् दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् दोनों भाई अपने नाना (शिकायतकर्ता) के साथ निवास कर रहे हैं किन्तु दोनों भाइयों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में कोई सारवान् विसंगति नहीं पाई गई है और इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की अन्य स्वतंत्र साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य से पुष्टि हुई है तथा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने भी उनके अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है, इसलिए केवल इस आधार पर कि वे शिकायतकर्ता के साथ निवास कर रहे हैं, उन्हें सिखाया-पढ़ाया गया साक्षी मानकर उनके अभिसाक्ष्य को परित्यक्त नहीं किया जा सकता और उनके अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया जा सकता है ।

क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन चैक के अनादर के किसी मामले में अभियुक्त इस संबंध में विवाद उठा सकता है कि परिवादी के पास उसे ऋण उपलब्ध कराए जाने की न तो क्षमता है और न ही पर्याप्त साधन और इसलिए परिवादी द्वारा उसे ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया और इस प्रकार के किसी ऋण को चुकाने के लिए उसके द्वारा कोई चैक जारी नहीं किया गया, माननीय उच्च न्यायालय ने **के. मोहम्मद मराईकयर** बनाम **एम. जानबा साहिब** (2021) 2 दा. नि. प. 700 वाले मामले में इस प्रश्न पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त प्रतिरक्षा लेने के पश्चात् अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि उसने परिवादी के

दामाद के पक्ष में चैक जारी किया था । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने चैक पर विद्यमान हस्ताक्षर के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं उठाया है । अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन किया गया है कि उसके पास किसी प्रकार का कोई बैंक खाता नहीं है और न ही आक्षेपित चैक उसका है, किन्तु अभियुक्त द्वारा निचले न्यायालयों के समक्ष इस प्रभाव की प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं की गई और इस प्रकार प्रतिरक्षा पक्ष धारा 139 के अधीन परिवादी के पक्ष में विद्यमान उपधारणा को नकारने में असफल रहा है और उसके द्वारा ली गई उपरोक्त प्रभाव की प्रतिरक्षा महत्वहीन है ।

क्या बलात्संग के किसी मामले में अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर अभियुक्त को डीएनए परीक्षण कराने का निदेश दिया जा सकता है, माननीय उच्च न्यायालय ने **राहुल पांडे** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** (2021) 2 दा. नि. प. 715 वाले मामले में इसी प्रश्न पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क के उपबंध स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि यदि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर मानवीय शुक्राणु और वीर्य पाया जाता है तो विचारण न्यायालय अभियोजन के किसी भी प्रक्रम पर अभियुक्त को डीएनए परीक्षण कराने का निदेश दे सकता है ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में केन्द्रीय अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

पुंडरीक शर्मा
सहायक संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

नवम्बर, 2021

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अमृत पाल सिंह **बनाम** राहुल आहुजा	683
के. मोहम्मद मराईकयर **बनाम** एम. जानबा साहिब	700
खड़क सिंह **बनाम** उत्तराखंड राज्य	583
फेयरडील सप्लाईस लि. और अन्य **बनाम** भारत संघ	600
भभलू नाजभाई धाधल और अन्य **बनाम** गुजरात राज्य	630
राहुल पांडे **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य और अन्य	715
स्वदेश चौधरी **बनाम** त्रिपुरा राज्य	661

संसद् के अधिनियम

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 1 – 15

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता 1973, (1974 का 2)

– धारा 53क – बलात्संग के एक मामले के विचारण के दौरान अंतिम प्रक्रम पर इस तथ्य का सामने आना कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर मानवीय शुक्राणु और वीर्य पाया गया है – अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क की ओर आकर्षित किया जाना तथा यह अनुरोध किया जाना कि अभियुक्त का डीएनए परीक्षण कराया जाए – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को डीएनए परीक्षण कराने का निदेश दिया जाना – अभियुक्त द्वारा उक्त निदेश को चुनौती दिया जाना – उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क के उपबंधों के अनुसार मामले में न्यायोचित निर्णय दिए जाने के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है ।

राहुल पांडे बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** 715

– धारा 259 [सपठित परक्राम्य लिखत अधिनिमय, 1881 की धारा 143 और धारा 138] – याची-अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन उसके विरुद्ध फाइल किए गए परिवाद को समन मामले से वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने हेतु अनुरोध किया जाना – विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन को रद्द किया जाना – चुनौती –

पृष्ठ संख्या

याची-अभियुक्त द्वारा इस आधार पर याचिका फाइल किया जाना कि वर्तमान मामला सिविल प्रकृति का है और उसमें बड़ी संख्या में साक्षियों की परीक्षा किया जाना तथा बड़ी संख्या में दस्तावेजों संबंधी साक्ष्यों का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है – याची द्वारा उपरोक्त प्रभाव का अनुरोध न तो उसके विरुद्ध विचारण आरंभ किए जाने के समय प्रस्तुत किया जाना और न ही उसके द्वारा विचारण के दौरान भिन्न-भिन्न आवेदन फाइल किए जाने के समय प्रस्तुत किया जाना – याची-अभियुक्त द्वारा उपरोक्तानुसार अनुरोध प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कोई सुसंगत स्पष्टीकरण न उपलब्ध कराया जाना – परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 के उपबंधों के अनुसार उपरोक्त के प्रकृति के मामले का निपटारा अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित है – वर्तमान प्रक्रम पर मामले को वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने से परिवाद के निपटारे में अनावश्यक विलंब होगा, जो कि पहले ही पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित है, अत: मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले के संपरिवर्तन संबंधी आवेदन को खारिज किया जाना सर्वथा उचित है और उसमें उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

अमृत पाल सिंह बनाम **राहुल आहुजा** 683

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 और 30] – अभियुक्त पर हत्या का आरोप

पृष्ठ संख्या

लगाया जाना – अभिकथित रूप से यह कथन किया जाना कि अभियुक्त का विवाहेत्तर संबंध था और वह मदिरापान का आदी था और इस कारणवश प्राय: वह अपनी पत्नी से झगड़ा और मारपीट करता था तथा एक दिन मदिरापान के पश्चात् क्रोधवश अभियुक्त ने पत्नी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी – उक्त घटना का उसके दो पुत्रों के समक्ष घटित होना – उसके दोनों पुत्रों द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में इस आक्षेप को उठाया जाना कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सिखाए-पढ़ाए गए साक्षी हैं – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अन्य स्वतंत्र साक्षियों के परिसाक्ष्य से पुष्टि होना – शव-परीक्षा रिपोर्ट से भी यह तथ्य सामने आना कि मृत्यु का कारण मृतका के सिर में लगने वाली गोली है – न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी यह तथ्य सामने आना कि मृतका को लगी गोली अभियुक्त के घर से बरामद की गई बंदूक से ही चलाई गई थी – इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धि सही प्रतीत होती है और इसलिए, विचारण न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

खड़क सिंह बनाम **उत्तराखंड राज्य** 583

– धारा 302, 307, 326, 333, 224, 225 और 149 – हत्या – अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से अन्वेषण हेतु आए पुलिस दल पर घातक हथियारों से हमला किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप दो पुलिस कार्मिकों सहित कुल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो

पृष्ठ संख्या

जाना – अन्वेषण अभिकरण द्वारा घटना के दो दिन पश्चात् अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाना और साथ ही एक संयुक्त पंचनामे के माध्यम से कतिपय हथियारों की बरामदगी किया जाना – अन्वेषण अभिकरण द्वारा शनाख्त परेड का आयोजन करने में असफल रहना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा इस प्रभाव का कथन किया जाना कि वे यह बताने में असमर्थ थे कि किस अभियुक्त द्वारा किस किस्म के हथियार का प्रयोग किया गया और किस अभियुक्त ने किस विशिष्ट व्यक्ति पर किस विशिष्ट हथियार से वार किया – मामले के संबंध में दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किसी भी अभियुक्त को नामित न किया जाना और उसमें साधारण रूप से यह उल्लेख किया जाना कि 20 से 25 व्यक्तियों द्वारा पुलिस दल पर हमला किया गया – जबकि पुलिस द्वारा केवल 10 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना और शेष अभियुक्तों के संबंध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराया जाना – विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि यदि साक्षी अभियुक्त से पूर्व परिचित नहीं है तो अन्वेषण अभिकरण द्वारा शिनाख्त परेड का आयोजन किया जाना चाहिए और न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा पहली बार अभियुक्तों की शिनाख्त अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है – उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के अन्य सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा

पृष्ठ संख्या

पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है ।

भभलू नाजभाई धाधल और अन्य बनाम **गुजरात राज्य** 630

– धारा 341, 325 और 320 – घोर उपहति – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने पीड़ित के साथ कहा-सुनी होने के पश्चात् उस समय पीड़ित के सिर पर एक ठोस लकड़ी के डंडे से प्रहार किया जब पीड़ित अपने घर लौट रहा था और उसे घोर उपहति कारित की – उक्त प्रहार के कारण पीड़ित को सिर में घोर उपहति कारित होना और उसके द्वारा राज्य के भीतर और राज्य से बाहर विभिन्न अस्पतालों में काफी लंबे समय तक उपचार प्राप्त करना और इस दौरान पीड़ित द्वारा अपना सामान्य जीवन जीने में असमर्थ रहना – पीड़ित का स्वयं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करना कि उसके सिर पर अभियुक्त, जो उसका पड़ोसी है, द्वारा प्रहार करके उसे घोर उपहति कारित की गई – अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा भी घटना की पुष्टि किया जाना, यद्यपि उनमें से किसी भी साक्षी का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना – चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होना कि पीड़ित को कारित की गई क्षति किसी ठोस और कुंद वस्तु से कारित की गई है और उक्त क्षति के कारण उसका जीवन संकटापन्न हुआ – इस प्रकार पीड़ित को कारित हुई क्षति धारा 320 के आठवें खंड के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आती है – अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शित करता है कि अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

ने पीड़ित को घोर उपहति कारित करने के इरादे से उस पर प्रहार किया था और उसके द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने के परिणामों के संबंध में वह भली-भांति जागरूक था – इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने हेतु कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है और साथ ही अपराध को कारित किए जाने की रीति को ध्यान में रखते हुए यह भी उचित प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन निर्मुक्त किया जाए, अत: दंडादेश की अवधि में भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

स्वदेश चौधरी बनाम **त्रिपुरा राज्य** 661

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15)

– धारा 8(3), 5(1)(ख), 2(1)(घ), 5(2), 5(5) और 8(1) – यूको बैंक द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष याची सं. 1 और उसके निदेशकों के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज किया जाना – उक्त शिकायत के आधार पर उक्त अधिनियम के अधीन याचियों के विरुद्ध अन्वेषण आरम्भ किया जाना – सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचियों के विरुद्ध धारा 5(1) के अधीन अनंतिम कुर्की का आदेश पारित किया जाना – उसके उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 5(5) के अधीन शिकायत फाइल किया जाना, जिसके माध्यम से यह अनुरोध किया गया

पृष्ठ संख्या

कि अनंतिम कुर्की के उक्त आदेश की पुष्टि की जाए – इसी दौरान विश्वव्यापी महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू किया जाना, जिसके कारण मामले की सुनवाई में विलम्ब होना – इसी दौरान याचियों द्वारा यह कथन करते हुए एक रिट याचिका फाइल किया जाना कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कुर्की के अनंतिम आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर उक्त आदेश प्रवर्तन में नहीं रहा है – याचियों द्वारा यह भी अनुरोध किया जाना कि उक्त आदेश के प्रवर्तन में न रह जाने के कारण न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पदकार्य-निवृत्त हो गया है – उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया जाना कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शिकायत के संबंध में अपनी कार्यवाहियों को जारी रख सकता है – चुनौती – माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए मामले का निपटारा किया कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शिकायत संबंधी कार्यवाहियों की सुनवाई अधिनियम की धारा 8(2) में उपदर्शित प्रक्रम तक जारी रखेगा, किन्तु अधिनियम की धारा 8(3) के अधीन उपबंधित अभिपुष्टि रिट याचिका की अंतिम सुनवाई हो जाने के पश्चात् आने वाले अंतिम परिणाम पर निर्भर होगी ।

फेयरडील सप्लाईस लि. और अन्य बनाम **भारत संघ** 600

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26)

– धारा 138 और धारा 139 – चैक का अनादर – अभियुक्त द्वारा अभिकथित ऋण संव्यवहार के संबंध में

पृष्ठ संख्या

विवाद उठाया जाना – अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन किया जाना कि परिवादी के पास उसे ऋण उपलब्ध कराए जाने की न तो क्षमता है और न ही पर्याप्त साधन – तथापि, अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया जाना कि उसने परिवादी के दामाद के पक्ष में चैक जारी किया था – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा चैक पर विद्यमान हस्ताक्षर के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद न उठाया जाना – अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन किया जाना कि उसके पास किसी प्रकार का कोई बैंक खाता नहीं है और न ही आक्षेपित चैक उसका है, किन्तु अभियुक्त द्वारा निचले न्यायालयों के समक्ष इस प्रभाव की प्रतिरक्षा प्रस्तुत न किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा धारा 139 के अधीन परिवादी के पक्ष में विद्यमान उपधारणा को नकारने में असफल रहना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि निचले न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश सर्वथा उचित हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

के. मोहम्मद मराईकयर बनाम **एम. जानबा साहिब** 700

(2021) 2 दा. नि. प. 583 उत्तराखंड

खड़क सिंह

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 215)

तारीख 23 फरवरी, 2021

मुख्य न्यायमूर्ति राघवेन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 और 30] – अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से यह कथन किया जाना कि अभियुक्त का विवाहेत्तर संबंध था और वह मदिरापान का आदी था और इस कारणवश प्राय: वह अपनी पत्नी से झगड़ा और मारपीट करता था तथा एक दिन मदिरापान के पश्चात् क्रोधवश अभियुक्त ने पत्नी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी – उक्त घटना का उसके दो पुत्रों के समक्ष घटित होना – उसके दोनों पुत्रों द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में इस आक्षेप को उठाया जाना कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सिखाए-पढ़ाए गए साक्षी हैं – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अन्य स्वतंत्र साक्षियों के परिसाक्ष्य से पुष्टि होना – शव-परीक्षा रिपोर्ट से भी यह तथ्य सामने आना कि मृत्यु का कारण मृतका के सिर में लगने वाली गोली है – न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी यह तथ्य सामने आना कि मृतका को लगी गोली अभियुक्त के घर से बरामद की गई बंदूक से ही चलाई गई थी – इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए

अभियुक्त की दोषसिद्धि सही प्रतीत होती है और इसलिए, विचारण न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तारीख 23 अगस्त, 2014 को प्रह्लाद सिंह (अभि. सा. 1) के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, पिथौरागढ़ के समक्ष एक लिखित शिकायत (प्रदर्श क-1) दर्ज कराई गई, जिसमें उसने यह दावा किया कि उसकी पुत्री हेमा का विवाह खड़क सिंह मेहता (वर्तमान अभियुक्त) के साथ हुआ था । खड़क सिंह मेहता पुलिस बल में कार्यरत था । वह अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करता था । वह प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ मारपीट करता था । तारीख 23 अगस्त, 2014 को सायं लगभग 7:45 बजे उसके पड़ोसी के पुत्र हेम सिंह ने उसे सूचना दी कि खड़क सिंह मेहता ने उसकी पुत्री को अपनी बंदूक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है । यह सूचना प्राप्त होते ही वह, उसकी पत्नी, मोहनी देवी तथा उसके मित्र बहादुर सिंह, ललित मोहन तडागी, भुवन तडागी तथा अन्य ग्रामीण उसकी पुत्री के घर शिव कॉलोनी पहुंचे । जब उन्होंने कक्ष के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि उसकी पुत्री का शव रक्त-रंजित स्थिति में पड़ा हुआ है तथा उसके सिर के पश्चभाग से बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है । शिकायतकर्ता के अनुसार उसने हेमा के पुत्रों उमेश सिंह मेहता और मुकेश मेहता से पूछा कि क्या हुआ था ? दोनों बच्चों ने रोते हुए, उसे बताया कि उनके पिता और उनकी माता के बीच झगड़ा हुआ था जिसके पश्चात् उनके पिता ने अपनी बंदूक निकाली और अपराह्न लगभग 7:30 बजे उनकी मां की गोली मार कर हत्या कर दी । उनकी मां की हत्या करने के पश्चात् वह वहां से चला गया । इस लिखित शिकायत के आधार पर एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो वर्ष 2014 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 5 के रूप में है, दर्ज की गई जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध को दर्ज किया गया । इसी बीच अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी के अनुसार तारीख 23 अगस्त, 2014 को सायं लगभग 7:55 बजे 108 एम्बुलेंस के टेलीफोन नंबर को भी यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है । इस सूचना के आधार पर

पुलिस घटनास्थल पहुंची । अन्वेषण के दौरान दोनों बालकों उमेश सिंह मेहता और मुकेश मेहता के द्वारा दिए गए कथनों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया । अपराध स्थल से पुलिस ने एक खाली और जिंदा कारतूस के साथ एक एसबीबीएल 12 बोर की बंदूक को भी बरामद किया, जिसे न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया । खड़क सिंह मेहता को गिरफ्तार करने और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् खड़क सिंह मेहता के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 और 30 के अधीन एक आरोप पत्र फाइल किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को विचार में लेने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त खड़क सिंह मेहता को अपने तारीख 19 मई, 2016 के निर्णय द्वारा ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार सिद्धदोष ठहराया । इसलिए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की गई है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने और अभिलेख पर विद्यमान सामग्री का विश्लेषण करने के पश्चात् अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त और मृतका के पुत्र इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, इसलिए इस बात की सम्भावना लगभग शून्य है कि वे अपने पिता को वास्तविक अपराधी के स्थान पर रखेंगे । घरेलू कलह और घरेलू हिंसा के संबंध में उनके परिसाक्ष्य को प्रह्लाद सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा समर्थन प्राप्त होता है । अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका परिसाक्ष्य विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए उनके कथनों के समान है, जो घटना के तुरंत पश्चात् अभिलिखित किया गया था । इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि उन दोनों को उनके नाना ने सिखाया पढ़ाया है । इन तीनों साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य की, अपराध स्थल पर बिस्तर पर पड़ी बंदूक की बरामदगी से और भी अभिपुष्टि होती है । उमेश सिंह मेहता और मुकेश मेहता के अनुसार उनके पिता कक्ष में ही बंदूक छोड़कर भाग गए थे । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी यह बात साबित होती है कि बंदूक का प्रयोग किया गया था । डा. डी. एस. धर्मशक्तू ने मृतका की शव-परीक्षा की थी । उसने शव-परीक्षा

रिपोर्ट को साबित किया है । शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सिर में गोली लगने से क्षति कारित हुई थी । मृत्यु का कारण गोली लगने से कारित हुई क्षति थी, जो कि मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थी । इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु एक मानव वध था । इसके अतिरिक्त, उप निरीक्षक महेश कदपाल के अनुसार मृत्यु परीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय एक एसबीबीएल 12 बोर की बंदूक बिस्तर पर पड़ी मिली थी । एक खाली कारतूस जो बंदूक के अंदर विद्यमान था, तथा एक जिंदा कारतूस, दोनों को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया था । बरामदगी ज्ञापन भी तैयार किया गया था । उक्त परिसाक्ष्य की जी. पी. बोंथियाल, थाना प्रभारी द्वारा भी अभिपुष्टि की गई है । इन दोनों साक्षियों के अनुसार उक्त बंदूक को बाद में रिपोर्ट हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था । एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार उक्त बंदूक से गोली चलाई गई थी । इस प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य और श्रीमती दुर्गा भंडारी तथा डा. डी. एस. धर्मशक्तू जैसे स्वतंत्र साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य और शव-परीक्षा रिपोर्ट एवं न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के पुष्टिकारक अभिसाक्ष्यों पर विचार करते हुए, अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी ने ही अग्न्यायुध का उपयोग करके अपनी पत्नी पर गोली चलाई थी । उपरोक्त वर्णित कारणों से वर्तमान अपील में कोई गुण प्रतीत नहीं होता है । एतद्द्वारा वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 19 मई, 2016 को पारित उसके निर्णय द्वारा की गई दोषसिद्धि एवं अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी को अपने शेष दंडादेश को भोगना होगा । (पैरा 17, 18, 19, 20 और 21)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 215.

वर्तमान अपील विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2014 के सेशन विचारण सं. 31 में पारित तारीख 19 मई, 2016 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. सम्मल और श्री लोकेन्द्र डोभाल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जगजीत सिंह विर्क, उप महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति राघवेन्द्र सिंह चौहान ने दिया ।

मु. न्या. चौहान – वर्तमान मामले में अपीलार्थी खड़क सिंह मेहता ने वर्ष 2014 के सेशन विचारण सं. 31 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पिथौरागढ़ द्वारा तारीख 19 मई, 2016 को पारित किए गए उस निर्णय को चुनौती दी है जिसके द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 27 और 30 के अधीन अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराते हुए, उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश पारित किया गया तथा उस पर 20,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । जुर्माने का संदाय न किए जाने पर उसके बदले 1 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का निदेश दिया गया और आयुध अधिनियम की धारा 27(1) के अधीन अपराध कारित करने के लिए उसे 4 वर्ष का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और साथ ही उस पर 500/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । जुर्माने का संदाय न किए जाने पर उसके बदले 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास को भोगने का निदेश दिया गया । इसके अतिरिक्त, उसके विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 30 के अधीन अपराध कारित करने के लिए 3 माह के साधारण कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । जुर्माने का संदाय न किए जाने पर उसके बदले उसे 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास को भोगने का निदेश दिया गया ।

2. संक्षेप में, वर्तमान मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 23 अगस्त, 2014 को प्रह्लाद सिंह (अभि. सा. 1) के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, पिथौरागढ़ के समक्ष एक लिखित शिकायत (प्रदर्श क-1) दर्ज कराई गई, जिसमें उसने यह दावा किया कि उसकी पुत्री हेमा का विवाह

खड़क सिंह मेहता (वर्तमान अभियुक्त) के साथ हुआ था । खड़क सिंह मेहता पुलिस बल में कार्यरत था । वह अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करता था । वह प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ मारपीट करता था । तारीख 23 अगस्त, 2014 को सायं लगभग 7:45 बजे उसके पड़ोसी के पुत्र हेम सिंह ने उसे सूचना दी कि खड़क सिंह मेहता ने उसकी पुत्री को अपनी बंदूक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है । यह सूचना प्राप्त होते ही वह, उसकी पत्नी, मोहनी देवी तथा उसके मित्र बहादुर सिंह, ललित मोहन तडागी, भुवन तडागी तथा अन्य ग्रामीण उसकी पुत्री के घर शिव कॉलोनी पहुंचे । जब उन्होंने कक्ष के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि उसकी पुत्री का शव रक्त-रंजित स्थिति में पड़ा हुआ है तथा उसके सिर के पश्चभाग से बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है । शिकायतकर्ता के अनुसार उसने हेमा के पुत्रों उमेश सिंह मेहता और मुकेश मेहता से पूछा कि क्या हुआ था ? दोनों बच्चों ने रोते हुए, उसे बताया कि उनके पिता और उनकी माता के बीच झगड़ा हुआ था जिसके पश्चात् उनके पिता ने अपनी बंदूक निकाली और अपराह्न लगभग 7:30 बजे उनकी मां की गोली मार कर हत्या कर दी । उनकी मां की हत्या करने के पश्चात् वह वहां से चला गया । इस लिखित शिकायत के आधार पर एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो वर्ष 2014 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 5 के रूप में है, दर्ज की गई जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध को दर्ज किया गया ।

3. इसी बीच अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी के अनुसार तारीख 23 अगस्त, 2014 को सायं लगभग 7:55 बजे एम्बुलेंस के टेलीफोन नंबर 108 पर भी यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है । इस सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पहुंची । अन्वेषण के दौरान दोनों बालकों उमेश सिंह मेहता और मुकेश मेहता के द्वारा दिए गए कथनों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया । अपराध स्थल से पुलिस ने एक खाली और जिंदा कारतूस के साथ एक एसबीबीएल 12 बोर की बंदूक को भी बरामद किया, जिसे न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया ।

4. खड़क सिंह मेहता को गिरफ्तार करने और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् खड़क सिंह मेहता के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 और 30 के अधीन एक आरोप पत्र फाइल किया गया ।

5. अपने पक्षकथन को सुस्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने नौ साक्षियों की परीक्षा की तथा पच्चीस दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ अनेक तात्विक वस्तुओं को पेश किया । दूसरी ओर प्रतिरक्षा पक्ष ने ना तो किसी साक्षी की परीक्षा की और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को विचार में लेने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त खड़क सिंह मेहता को अपने तारीख 19 मई, 2016 के निर्णय द्वारा ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार सिद्धदोष ठहराया । इसलिए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. एस. सम्मल ने न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रतिवादों को जोरदार तरीके से उठाया है :–

> प्रथमत: घटना की तारीख, अर्थात् तारीख 23 अगस्त, 2014 से इन दोनों साक्षियों अर्थात् उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) एवं मुकेश मेहता (अभि. सा. 3) के कथन को अभिलिखित किए जाने की तारीख, अर्थात् क्रमश: 9 जून, 2015 तथा 10 जून, 2015 तक अभियुक्त के ये दोनों बालक अपने नाना-नानी के साथ निवास कर रहे थे ।
>
> द्वितीयत: इन दोनों साक्षियों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उन्हें पुलिस और उसके नाना द्वारा एक विशिष्ट रीति से न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने के लिए कहा गया था । अत: दोनों साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षा में एक समान कथन किए हैं । इस प्रकार ये दोनों साक्षी सिखाए-पढ़ाए हुए साक्षी हैं । इसलिए इन दोनों अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) और मुकेश मेहता (अभि.

सा. 3) द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने हेतु विश्वसनीय नहीं है ।

अंत में, उनके साक्ष्य के अलावा ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जो अभियुक्त को अभिकथित अपराध से जोड़ता हो । इसलिए आक्षेपित निर्णय को अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए ।

7. दूसरी ओर, उत्तराखंड राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् उप महाधिवक्ता श्री जगजीत सिंह विर्क ने न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विरोधी-प्रतिवादों को जोरदार ढंग से उठाया :–

सर्वप्रथम प्रह्लाद सिंह (अभि. सा. 1) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त शराब पीने का आदी था । शराब के नशे में वह निरंतर अपनी पत्नी के साथ मारपीट और उस पर हमला करता था इस प्रकार घरेलू हिंसा का पहले से पूर्ववृत्त विद्यमान है जहां अभियुक्त हिंसा करने वाला व्यक्ति था और पत्नी पीड़ित थी ।

द्वितीयत:, अभि. सा. 1 ने उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसाक्ष्य में यह भी दावा किया है कि अभियुक्त का विवाहेत्तर संबंध था, जो पति और पत्नी के बीच तनाव का कारण था । इस साक्षी के अनुसार उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उन बातों का वर्णन किया था जो उसे घटना के तुरंत बाद उसके नातियों, अर्थात् उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) और मुकेश मेहता (अभि. सा. 3) के द्वारा बताई गई थी ।

तृतीयत: घटना के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) और मुकेश मेहता (अभि. सा. 3) के कथनों को अभिलिखित किया गया था । इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा भी उनके कथनों को अभिलिखित किया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन, विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य से

मेल खाते हैं । चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन घटना के तुरंत बाद लेखबद्ध किए गए थे, इसलिए प्रतिरक्षा पक्ष का यह दावा करना कि बालकों को सिखाया-पढ़ाया गया था, न्यायसंगत नहीं है ।

चतुर्थतः, उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) और मुकेश मेहता (अभि. सा. 3) ने उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त के विवाहेत्तर संबंधों को लेकर उनके माता-पिता के मध्य लगातार झगड़ा होता था । उन दोनों बालकों ने इस सुझाव का खंडन किया कि वे अपने नाना द्वारा सिखाए-पढ़ाए गए अनुसार न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं । दोनों बालकों ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव का भी खंडन किया कि जब अभियुक्त बंदूक साफ कर रहा था तब गोली चल गई थी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने घटना का ब्यौरेवार वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त, इसकी बहुत कम संभावना है कि ये दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी वास्तविक अपराधी को छोड़ देंगे और वास्तविक अपराधी के स्थान पर अपने पिता को दोषी साबित करने का प्रयास करेंगे । इसलिए इन दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य अत्यंत विश्वसनीय है । अतः विद्वान् विचारण न्यायालय ने न्यायोचित रूप से उनके परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया है ।

पंचम, शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श क-4) स्पष्ट रूप से यह साबित करती है कि मृतका की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है ।

षष्ठम्, न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श क-23) स्पष्ट रूप से यह साबित करती है कि घटनास्थल से बरामद एसबीबीएल 12 बोर की बंदूक से गोली चलाई गई थी और जो कारतूस वहां से बरामद हुआ था, वह उसी बंदूक से चलाया गया था । अतः, अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी खड़क सिंह मेहता के विरुद्ध अपना पक्षकथन सिद्ध करने में सफल रहा है । अतः, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् उप महाधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है ।

8. पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुना और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया तथा साथ ही अभिलेख की परीक्षा की ।

9. प्रह्लाद सिंह (अभि. सा. 1) ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान न्यायालय को यह जानकारी दी है कि उसकी पुत्री हेमा देवी का विवाह अभियुक्त के साथ हुआ था । उनके दो बालक हैं, अर्थात् उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) जिसकी आयु सत्रह वर्ष, तथा मुकेश मेहता, (अभि. सा. 3) जिसकी आयु पन्द्रह वर्ष है । घटना के समय खड़क सिंह मेहता (अभियुक्त-अपीलार्थी) उसकी पत्नी हेमा और उनके दो बालक शिव कॉलोनी में महेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति के किराए वाले घर में निवास कर रहे थे । अभि. सा. 1 ने आगे यह कथन किया कि तारीख 23 अगस्त, 2014 को सायं लगभग 7:45 बजे उसके पड़ोसी के पुत्र हेमू ने उसे यह सूचना दी कि खड़क सिंह मेहता ने अपने कक्ष में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है । यह सूचना प्राप्त होते ही वह, उसकी पत्नी और मोहल्ले के कुछ अन्य व्यक्ति शिव कॉलोनी गए, जहां अभियुक्त और हेमा निवास कर रहे थे । जब उन्होंने कक्ष में जाकर देखा तो वहां अभि. सा. 1 की पुत्री रक्त से लथपथ पड़ी हुई थी । उसके सिर पर किसी अग्न्यायुध से क्षति कारित हुई थी । दोनों बालक उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) और मुकेश मेहता (अभि. सा. 3) कक्ष में बैठे थे । जब प्रह्लाद सिंह (अभि. सा. 1) ने उनसे घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि उनके माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था । उनके पिता ने उनकी माता के सिर में गोली मार दी । बालकों के अनुसार यह घटना सायं लगभग 7:30 बजे की है । अभि. सा. 1 ने आगे यह दावा किया कि उसका दामाद मदिरापान करने के पश्चात् नशे में प्राय: अपनी पत्नी से झगड़ा करता था और साथ ही उस पर हमला भी करता था । उसने आगे यह भी दावा किया कि अभियुक्त का विवाहेत्तर संबंध था और जब उसकी पुत्री इसका विरोध करती थी तो वह उसके साथ झगड़ा करता था और साथ ही उस पर हमला भी करता था । उसने न्यायालय को यह भी बताया कि जब तक वे लोग उसके घर पहुंचे जहां उसकी पुत्री निवास करती थी, खड़क सिंह मेहता पहले ही वहां से फरार हो चुका

था । उसके पहले ही फरार हो जाने की सूचना उसे उसके नातियों के माध्यम से प्राप्त हुई थी । उसने यह भी दावा किया कि इस घटना से पूर्व भी उसकी पुत्री ने उसे कई बार बताया था कि उसका पति शराब पीकर उस पर हमला करता था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि उनके घटनास्थल पहुंचने से पूर्व ही पुलिस अपराध के घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी ।

10. उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) अभियुक्त-अपीलार्थी का ज्येष्ठ पुत्र है । न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के समय वह सत्रह वर्ष की आयु का था । उसके अनुसार उसके पिता पुलिस विभाग में परिचर के पद पर कार्यरत थे । साक्षी ने दावा किया कि घटना के समय वह ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ता था । उसके अनुसार, उसके पिता मदिरापान करके उसकी मां के साथ मारपीट करते थे । उनके झगड़े का कारण गुड्डी नाम की एक महिला थी, जिसके साथ उसके पिता का विवाहेत्तर संबंध था । उसके अनुसार इसी कारण से उसके माता-पिता के मध्य प्राय: लड़ाई-झगड़े होते रहते थे । उसके अनुसार उसके पिता उसकी माता पर इस बात के लिए दबाव डालते थे कि उसे जाकर गुड्डी को अपने कक्ष में रहने के लिए बुलाना चाहिए । उसकी मां गुड्डी को बुलाने से इनकार कर देती थी इसलिए उसके पिता उसकी माता से लड़ाई करते थे । उसका आगे दावा है कि तारीख 23 अगस्त, 2014 को प्रात: लगभग 8:30 बजे वह अपने विद्यालय चला गया था । घर में उसके पिता, उसकी माता और उसका छोटा भाई मौजूद थे । दोपहर 2 बजे जब वह विद्यालय से वापस आया तो उसने तीनों को घर में उपस्थित पाया । उसके पिता मदिरा के नशे में थे और उसकी मां और छोटा भाई दूसरे बिस्तर पर बैठे थे । उसका पिता उसकी माता को गाली दे रहा था । इस साक्षी के अनुसार उसने अपनी माता से पूछा कि पिता उसे गाली क्यों दे रहे हैं ? तब उसने इस साक्षी को बताया कि उसके पिता चाहते हैं कि वह तकाना जाएं, जहां गुड्डी रहती है और उसके साथ गाली-गलौज करे । तथापि, उसकी माता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया । इस घटना के उपरांत दोपहर में उसके पिता बाजार चले गए और उसकी माता घास काटने के लिए चली गई । सायं

लगभग 6 बजे उसकी माता घास काटकर वापस आ गई । साक्षी ने आगे यह भी दावा किया कि उसके पिता बाजार से मदिरा-पान करके लौटे थे, तभी गुड्डी का उसके पिता के मोबाइल पर फोन आया । इसके पश्चात् उसके पिता ने उसकी माता पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी माता से पूछा कि वह गुड्डी के निवास स्थान क्यों नहीं गई ? उसके पिता ने घर के सामान को तोड़ना शुरू कर दिया, और जब दोनों भाई शीशे के टूटे हुए टुकड़ों को उठाने में व्यस्त थे तभी उनके पिता ने बिस्तर के अंदर रखी हुई अपनी बंदूक बाहर निकाली । उसने बंदूक के अंदर एक कारतूस रखा और उसकी माता के सिर में गोली मार दी जिसके पश्चात् उसकी माता भूमि पर गिर गई और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । इसके तुरंत पश्चात् मकान मालिक उसकी पत्नी और उसकी पुत्रवधू घटनास्थल पर पहुंचे । साक्षी के पिता ने बंदूक बिस्तर पर रखी और वह घटनास्थल से फरार हो गया । इसके अतिरिक्त, साक्षी के अनुसार इस घटना के तुरंत पश्चात् वह दौड़कर अक्षय और हेम सिंह की दुकान पर गया और उनको घटना के बारे में बताया । उनको सूचना दने के पश्चात् वह वापस कक्ष में आ गया । उसने अपनी मां को रक्त से लथपथ स्थिति में पड़ा पाया । उसके तुरंत पश्चात् पुलिस उनके घर आ गई । कुछ समय के पश्चात् उनके नाना प्रह्लाद सिंह (अभि. सा. 1), नानी और गांव के अन्य लोग भी वहां आ गए । उसने आगे कथन किया कि जब उसके नाना प्रह्लाद सिंह (अभि. सा. 1) ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने अपने नाना को सूचित किया कि उसके पिता का गुड्डी के साथ अवैध संबंध है, और इसी कारण से उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी है । उसने आगे दावा किया कि इस घटना से पूर्व उसके पिता गुड्डी को उसके घर लाए थे ।

11. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) ने प्रारम्भ में कथन किया कि पुलिस और उसके नाना द्वारा उसे जो कुछ बताया गया था, उसने उसे वर्णित किया है । लेकिन पुन: उसने स्वयं कहा कि "मैंने जो कुछ भी देखा था, वह मैंने वर्णित किया है ।" इस कथन के अतिरिक्त उसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं है जो इस साक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाए

या उसे ध्वस्त कर सके ।

12. मुकेश मेहता (अभि. सा. 3) के द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य को जिस दिन अभिलिखित किया गया था, उस दिन वह सोलह वर्ष का अप्राप्तवय बालक था । इसलिए उससे पहले कई प्रश्न पूछे गए, जिनका उसने समझदारीपूर्वक उत्तर दिया । तत्पश्चात् इस बाल साक्षी का सम्पूर्ण परिसाक्ष्य विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया । इस साक्षी ने भी यह दावा किया कि अभियुक्त का गुड्डी के साथ अवैध संबंध था तथा अभियुक्त बल देकर उसकी माता से कहता था कि जाकर गुड्डी को बुलाकर लाओ और उसे अपने साथ घर में रखो । साक्षी के द्वारा आगे यह दावा किया गया है कि उसने गुड्डी को तब देखा था जब उसके पिता उसे उनके घर लाए थे । इस साक्षी के अनुसार तारीख 23 अगस्त, 2014 वाले दिन भी उसका ज्येष्ठ भाई प्रात: विद्यालय के लिए गया था । दोपहर को जब उसका ज्येष्ठ भाई वापस आया तो वह और उसकी माता बिस्तर पर बैठे हुए थे । उसके पिता ने मदिरापान किया हुआ था और वह उसकी माता को गाली दे रहा था । उसके ज्येष्ठ भाई ने उनकी माता से पूछा कि पिता उसे गाली क्यों दे रहे हैं ? उसने अपने ज्येष्ठ भाई को बताया कि उसके पिता जिद कर रहे हैं कि वह जाकर गुड्डी को यहां अपने घर बुला लाए । उसकी माता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसी कारणवश यह झगड़ा हुआ था । उसकी माता से गाली-गलौज करने के पश्चात् उसके पिता बाजार चले गए और उसकी माता घास काटने चली गई । सायंकाल में उसका पिता शराब के नशे में बाजार से लौटा और पुन: उसकी माता के साथ गाली-गलौज करने लगा । उसके पिता ने कांच से निर्मित कुछ घरेलू सामानों को तोड़ दिया और जब उसकी माता कांच के टूटे हुए टुकड़े उठा रही थी तब वह और उसका भाई कक्ष के अंदर थे । उसके अनुसार उसके पिता ने बिस्तर के अंदर पड़ी अपनी अनुज्ञप्तिधारी बंदूक निकाली । उसने बंदूक में एक कारतूस रखा और उसकी माता के सिर में गोली मार दी । जिसके पश्चात् उसकी माता भूमि पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई । जब दोनों भाइयों ने चीख-पुकार मचाना शुरू किया तो उसके पश्चात् मकान-मालिक, उसका भाई और उसकी पुत्रवधू दौड़कर

घटनास्थल पर पहुंचे । उसका पिता बंदूक बिस्तर पर ही छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया । तत्पश्चात् उसका ज्येष्ठ भाई उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) दौड़कर अक्षय और हेम सिंह की दुकान पर गया । वह कुछ देर के पश्चात् वापस आ गया और उसके नाना-नानी भी उसके कुछ देर पश्चात् घटनास्थल पर आ गए । जब वे वहां आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, तब साक्षी ने यह दावा किया कि उसने उन लोगों को सब कुछ बता दिया । इसके पश्चात् मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को अभिलिखित किया ।

13. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह भी कथन किया कि नाना-नानी के आने के पूर्व ही पुलिस घटनास्थल आ चुकी थी । उसने आगे यह कथन किया कि वह स्वयं अपने विवेक से न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दे रहा है । उसने प्रतिरक्षा पक्ष के द्वारा दिए गए इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपने नाना और पुलिस द्वारा सिखाई-पढ़ाई गई बातों के अनुसार मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहा है । इसके अतिरिक्त, उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसके पिता घटना के समय अनुज्ञप्तिधारी बंदूक की सफाई कर रहे थे ।

14. श्रीमती दुर्गा भंडारी (अभि. सा. 5) के स्वतंत्र परिसाक्ष्य के द्वारा उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) और मुकेश मेहता (अभि. सा. 13), दोनों के द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि होती है । अभि. सा. 5 के द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य में उसने अभियुक्त की अपने किराएदार के रूप में शिनाख्त की है । उसके अनुसार, तारीख 23 अगस्त, 2014 को सायं लगभग 7:30 बजे उसने गोली चलने की आवाज सुनी । उसने बालकों के रूदन को भी सुना । इसके पश्चात् वह अपने भाई और भाभी के साथ खड़क सिंह मेहता के कक्ष में पहुंची । उन्होंने देखा कि कक्ष में हेमा का शव पड़ा हुआ था और दोनों बालक चीख-चीखकर रो रहे थे । खड़क सिंह मेहता उस कक्ष में मौजूद था और उन्हें देखते ही अभियुक्त खड़क सिंह मेहता वहां से फरार हो गया । उसने आगे यह दावा किया कि उसके भाई ने तुरंत 108 नम्बर पर एम्बुलेंस को फोन किया । कुछ समय पश्चात् एम्बुलेंस घटनास्थल पर

पहुंची । हेमा के माता-पिता भी घटनास्थल पर पहुंच गए । इसके अतिरिक्त, इस साक्षी के अनुसार खड़क सिंह मेहता नियमित रूप से मदिरा का सेवन करता था तथा पीड़ित पर मौखिक एवं शारीरिक रूप से हमला करता था । उसने आगे यह दावा किया कि जब वह खड़क सिंह मेहता के कक्ष में पहुंची तो उसने बालकों से पूछा कि क्या हुआ था । बालकों ने तुरंत ही उसे यह सूचित किया कि उनकी उनके पिता ने उनकी माता की गोली मारकर हत्या कर दी है ।

15. श्रीमती दुर्गा भंडारी (अभि. सा. 5) के द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य से न केवल उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) और मुकेश मेहता (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि होती है बल्कि वह महत्वपूर्ण रूप से अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा उठाए गए इस प्रतिवाद को ध्वस्त कर देता है कि बालकों के द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य सिखाए-पढ़ाए गए थे । उसके कक्ष में आने के तुरंत पश्चात् श्रीमती दुर्गा भंडारी (अभि. सा. 5) को बालकों ने बताया कि उनके पिता ने अपनी बंदूक से उनकी माता की हत्या कर दी है । यह वही कथन है जो बालकों के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, इसलिए यह न्यायालय अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा उठाए गए इस प्रतिवाद में कोई गुण नहीं पाता है कि बालक अविश्वसनीय और अविश्वस्त साक्षी है क्योंकि उन्हें उनके नाना द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया है ।

16. इन साक्षियों के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने के उपरांत यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त मदिरा का सेवन करने का आदी था । उसका गुड्डी नामक महिला के साथ विवाहेत्तर संबंध भी था । पति-पत्नी के मध्य लड़ाई की वजह विवाहेत्तर संबंध था । अभियुक्त मृतक के साथ गाली-गलौज तथा उस पर शारीरिक हमला करने का आदि था । घटना के दुर्भाग्यापूर्ण दिन दंपत्ति के मध्य पहले प्रातः और सायं को फिर से झगड़ा हुआ । चूंकि मृतका ने गुड्डी के घर जाने से इनकार कर दिया और उससे अपने साथ निवास करने हेतु अनुरोध करने से इनकार कर दिया, इसलिए आरोपी ने दोनों बालकों की उपस्थिति में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी ।

17. उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) और मुकेश मेहता (अभि. सा. 3), दोनों अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अडिग बने रहे हैं । इसलिए वे विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्षी है । इन दोनों साक्षियों ने वर्तमान घटना का बहुत विस्तार से वर्णन किया है । साक्षी उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) सत्रह वर्ष की आयु का है और बारहवीं कक्षा में पढ़ रहा था, जबकि मुकेश मेहता (अभि. सा. 3) सोलह वर्ष की आयु का था । इस प्रकार, ये दोनों साक्षी सत्य बोलने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हैं । चूंकि वे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, इसलिए इस बात की सम्भावना लगभग शून्य है कि वे अपने पिता को वास्तविक अपराधी के स्थान पर रखेंगे । घरेलू कलह और घरेलू हिंसा के संबंध में उनके परिसाक्ष्य को प्रह्लाद सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा समर्थन प्राप्त होता है । अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका परिसाक्ष्य विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए उनके कथनों के समान है, जो घटना के तुरंत पश्चात् अभिलिखित किया गया था । इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि उन दोनों को उनके नाना ने सिखाया पढ़ाया है । इन तीनों साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य की, अपराध स्थल पर बिस्तर पर पड़ी बंदूक की बरामदगी से और भी अभिपुष्टि होती है । उमेश सिंह मेहता (अभि. सा. 2) और मुकेश मेहता (अभि. सा. 3) के अनुसार उनके पिता कक्ष में ही बंदूक छोड़कर भाग गए थे । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श क-23) से भी यह बात साबित होती है कि बंदूक का प्रयोग किया गया था ।

18. डा. डी. एस. धर्मशक्तू (अभि. सा. 4) ने मृतका की शव-परीक्षा की थी । उसने शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श क-4) को साबित किया है । शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सिर में गोली लगने से क्षति कारित हुई थी । उक्त गोली लगने से मस्तिष्क के अंदर का पदार्थ बाहर निकल आया था । अग्न्यायुध की क्षति के कारण पार्श्विका, ललाट और ऐहिक अस्थियों का अस्थिभंग हो गया था । गोली के छर्रों ने मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया था । घाव के चारों ओर कालापन तथा गोदे जाने जैसा प्रभाव उत्पन्न हो गया था । मृत्यु का कारण गोली लगने से कारित हुई क्षति थी, जो कि मृत्यु-पूर्व प्रकृति की

थी । इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु एक मानव वध था ।

19. इसके अतिरिक्त, उप निरीक्षक महेश कदपाल (अभि. सा. 8) के अनुसार मृत्यु परीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय एक एसबीबीएल 12 बोर की बंदूक बिस्तर पर पड़ी मिली थी । एक खाली कारतूस जो बंदूक के अंदर विद्यमान था, तथा एक जिंदा कारतूस, दोनों को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया था । बरामदगी ज्ञापन भी तैयार किया गया था । उक्त परिसाक्ष्य की जी. पी. बोंथियाल, थाना प्रभारी (अभि. सा. 9) द्वारा भी अभिपुष्टि की गई है । इन दोनों साक्षियों के अनुसार उक्त बंदूक को बाद में रिपोर्ट हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था । एफ एस एल रिपोर्ट (प्रदर्श क-23) के अनुसार उक्त बंदूक से गोली चलाई गई थी ।

20. इस प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य और श्रीमती दुर्गा भंडारी (अभि. सा. 5) तथा डा. डी. एस. धर्मशक्तू (अभि. सा. 4) जैसे स्वतंत्र साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य और शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श क-4) एवं न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श क-23) के पुष्टिकारक अभिसाक्ष्यों पर विचार करते हुए, अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी ने ही अग्न्यायुध का उपयोग करके अपनी पत्नी पर गोली चलाई थी ।

21. उपरोक्त वर्णित कारणों से यह न्यायालय वर्तमान अपील में कोई गुण नहीं पाता है । एतद्द्वारा वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 19 मई, 2016 को पारित उसके निर्णय द्वारा की गई दोषसिद्धि एवं अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी को अपने शेष दंडादेश को भोगना होगा ।

अपील खारिज की गई ।

जा./पु.

फेयरडील सप्लाईस लि. और अन्य

बनाम

भारत संघ

(2021 की दांडिक अपील सं. 1)

तारीख 23 अप्रैल, 2021

न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15) – धारा 8(3), 5(1)(ख), 2(1)(घ), 5(2), 5(5) और 8(1) – यूको बैंक द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष याची सं. 1 और उसके निदेशकों के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज किया जाना – उक्त शिकायत के आधार पर उक्त अधिनियम के अधीन याचियों के विरुद्ध अन्वेषण आरम्भ किया जाना – सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचियों के विरुद्ध धारा 5(1) के अधीन अनंतिम कुर्की का आदेश पारित किया जाना – उसके उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 5(5) के अधीन शिकायत फाइल किया जाना, जिसके माध्यम से यह अनुरोध किया गया कि अनंतिम कुर्की के उक्त आदेश की पुष्टि की जाए – इसी दौरान विश्वव्यापी महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू किया जाना, जिसके कारण मामले की सुनवाई में विलम्ब होना – इसी दौरान याचियों द्वारा यह कथन करते हुए एक रिट याचिका फाइल किया जाना कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कुर्की के अनंतिम आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर उक्त आदेश प्रवर्तन में नहीं रहा है – याचियों द्वारा यह भी अनुरोध किया जाना कि उक्त आदेश के प्रवर्तन में न रह जाने के कारण न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पदकार्य-निवृत्त हो गया है – उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया जाना कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शिकायत के संबंध में अपनी कार्यवाहियों को जारी रख सकता है – चुनौती – माननीय उच्च न्यायालय ने यह

अभिनिर्धारित करते हुए मामले का निपटारा किया कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शिकायत संबंधी कार्यवाहियों की सुनवाई अधिनियम की धारा 8(2) में उपदर्शित प्रक्रम तक जारी रखेगा, किन्तु अधिनियम की धारा 8(3) के अधीन उपबंधित अभिपुष्टि रिट याचिका की अंतिम सुनवाई हो जाने के पश्चात् आने वाले अंतिम परिणाम पर निर्भर होगी ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री प्रणव कुमार, तत्कालीन आंचलिक प्रमुख, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, गरियाहाट शाखा, कोलकत्ता ने तारीख 14 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई., बी.एस. और एफ.सी.), कोलकत्ता के समक्ष एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर किया । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर तारीख 18 अगस्त, 2016 को याची सं. 1 और उसके निदेशकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 120(ख) के साथ पठित धारा 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप पत्र, जो 06/2016 के रूप में संख्यांकित है, प्रस्तुत किया गया । चूंकि, दंड संहिता की धारा 120(ख), 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराध, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2(1)(म) के अधीन यथापरिभाषित अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए याची सं. 1 और उसके निदेशकों के विरुद्ध पीएमएलए की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध को अभिकथित रूप से कारित करने, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय बनाया गया है, हेतु अन्वेषण आरम्भ किया गया और इसके अनुसरण में तारीख 2 दिसम्बर, 2016 को प्रवर्तन मामला इत्तिला रिपोर्ट सं. के. एल. जैड. ओ./17/2016 को अभिलिखित किया गया । तथापि, याची सं. 1 के निदेशक याचियों के रूप में उक्त रिट याचिका में सम्मिलित नहीं हुए थे । याची सं. 2 ने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने का दावा प्रस्तुत किया है । तारीख 20 जनवरी, 2020 को उप-निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, जो पीएमएलए की धारा 5(1) के उपबंधों के अधीन एक प्राधिकारी है, ने अनंतिम कुर्की का एक आदेश पारित किया । तारीख 19 फरवरी, 2020 को उक्त उप-निदेशक ने पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष एक शिकायत, अर्थात् वर्ष 2020 की शिकायत सं. 1262, प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ कुर्की संबंधी तथ्यों का कथन किया गया था और तारीख 20 जनवरी, 2020 के अनंतिम कुर्की के आदेश की पीएमएलए की धारा 8(3) के उपबंधों के अधीन पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था । तारीख 19 फरवरी, 2020 को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने पीएमएलए की धारा 8(1) के अधीन एक सूचना जारी की । याचियों ने तारीख 7 अक्तूबर, 2020 को या उसके आस-पास एक रिट याचिका फाइल की । उक्त रिट याचिका में तारीख 21 अक्तूबर, 2020 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया । उक्त अंतरिम आदेश के माध्यम से आक्षेपित आदेश के अधीन कोई भी कार्यवाही करने पर रोक लगा दी गई । उसके पश्चात्, तारीख 5 फरवरी, 2021 से पुनः रिट याचिका पर सुनवाई आरम्भ की गई और प्रवर्तन में विद्यमान आस्थगन संबंधी अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के लिए तारीख नियत की गई । तारीख 18 मार्च, 2021 को जब मामले की पुनः सुनवाई की गई तो उस समय याचियों की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई कि याची रिट याचिका को वापस लेने का आशय रखते हैं क्योंकि अनंतिम कुर्की का आदेश पीएमएलए की धारा 5(1)(ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 180 दिन के अवसान पर अपास्त हो गया है । याचियों द्वारा किए गए अनुरोध का प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा विरोध किया गया और इस प्रकार मामले को आस्थगित कर दिया गया । तारीख 22 मार्च, 2021 को याचियों द्वारा इस आधार पर रिट याचिका को वापिस लिए जाने के अनुरोध का पुनः प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि उक्त प्रत्यर्थियों के अनुसार कुर्की का आदेश, स्वविवेकानुसार फाइल की गई 2020 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 3 में तारीख 8 मार्च, 2021 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए समयावधि के अवसान के कारण अपास्त नहीं हुआ था (परिसीमा के विस्तारण का संज्ञान : संबंधी) । इस मामले पर एक बार फिर तारीख 26 मार्च, 2021 को सुनवाई की गई, जब उक्त मामले में एक आदेश पारित किया गया, इस आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी 2020 की

शिकायत सं. 1262 के संबंध में आगे कार्यवाही कर सकते हैं और साथ ही दोनों पक्षों को शपथ-पत्र फाइल करने का निदेश दिया गया । याचियों ने वर्तमान आवेदन इसलिए फाइल किया है क्योंकि याचियों के अनुसार तारीख 26 मार्च, 2020 के आदेश के एक भाग का प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा, पीएमएलए की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के अधीन न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करके दुरुपयोग किया गया है । याचियों ने अपनी अपील के माध्यम से यह अनुरोध किया है कि धारा 5(1) के उपबंधों के अनुसार तारीख 20 जनवरी, 2020 को पारित अनंतिम कुर्की का आदेश वस्तुतः तारीख 20 जुलाई, 2020 को या उसके आसपास प्रवृत्त नहीं रह गया है, अर्थात् रिट याचिका फाइल किए जाने से पूर्व ही उक्त आदेश प्रवर्तन में नहीं रहा था । अनंतिम कुर्की के आदेश के, उसे पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर अपास्त हो जाने पर, वह न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जिसके समक्ष पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन आवेदन किया गया था, पदकार्य-निवृत्त हो गया है और इस प्रकार पीएमएलए की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार किसी प्रकार की न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि अनंतिम कुर्की का आदेश प्रवृत्त नहीं है तो याचियों के अनुसार, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा ऐसे आदेश की पुष्टि किए जाने का कोई औचित्य नहीं है । पीएमएलए की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के उपबंधों के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई बिना समुचित अधिकारिता के होगी और याचियों के अनुसार ऐसी कोई कार्रवाई अविधिमान्य कार्रवाई होगी । याचियों द्वारा यह कथन किया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और साथ तारीख 21 अक्तूबर, 2020 को पारित आदेश में लिए गए मत को विचार में लेते हुए प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 को, पीएमएलए की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के उपबंधों के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए । तारीख 26 मार्च, 2021 के आदेश का फायदा लेते हुए, अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि किए जाने संबंधी कोई कार्रवाई

नहीं की जानी चाहिए और ऐसी किसी भी लम्बित कार्यवाही को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । अतः याची उपरोक्तानुसार उक्त आदेश में उपांतरण किए जाने की ईप्सा करते हैं । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के पश्चात् अपील को भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पीएमएलए की धारा 5(2) के कारण पीएमएलए की धारा 8(1) के अधीन न्यायनिर्णयन संबंधी कोई नई कार्यवाही आरम्भ किया जाना अपेक्षित नहीं है । अनंतिम कुर्की का आदेश पारित किए जाने पर संबद्ध अधिकारी को, आदेश पारित किए जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष एक शिकायत फाइल करनी होगी । पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन शिकायत फाइल किए जाने के तुरन्त पश्चात् न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, धारा 5(5) के अधीन ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण विद्यमान हैं कि किसी व्यक्ति ने धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया है तो वह 30 दिन से अन्यून अवधि की एक सूचना की तामील ऐसे व्यक्ति पर कर सकेगा और उससे इस संबंध में कारण बताए जाने की अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी सभी या किसी संपत्ति को ऐसी संपत्तियों या संपत्ति के रुप में घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसी संपत्ति धनशोधन की कार्यवाही में अन्तर्वलित है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अधिहरण किया जाना चाहिए । अतः न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस बात की घोषणा करेगा कि क्या कोई संपत्ति धनशोधन में अन्तवर्लित है अथवा नहीं । पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया गया है । पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के पूरा हो जाने के पश्चात् न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस संबंध में अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगा कि क्या धारा 8(1) के अधीन जारी सूचना में निर्दिष्ट सभी या कोई संपत्ति धनशोधन में अंतर्वलित है अथवा नहीं । एक बार इस प्रकार का निष्कर्ष निकाले जाने पर तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उक्त

निष्कर्ष की घोषणा किए जाने पर कि संपत्ति/संपत्तियां धनशोधन में अन्तर्वलित हैं, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पीएमएलए की धारा 5(1) के अधीन जारी कुर्की के आदेश की पुष्टि करेगा, अर्थात् वह संपत्ति के अनंतिम कुर्की के आदेश की अभिपुष्टि करेगा । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् या तो यह घोषणा कर सकता है कि संपत्ति या संपत्तियां धनशोधन में अन्तर्वलित हैं, अथवा वह यह भी अभिनिर्धारित कर सकता है कि ऐसी संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित नहीं है । इस प्रकार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की जानी वाली न्यायनिर्णयन प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त कुर्की के अनंतिम आदेश पर निर्भर नहीं है, यद्यपि, न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को पीएमएलए की धारा 8(1) के अधीन केवल उस समय ही आरम्भ किया जा सकता है जब पीएमएलए की धारा 5(1) के अधीन जारी किए गए किसी अनंतिम कुर्की के आदेश के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 5(5) के अधीन कोई शिकायत दर्ज की जाती है । पीएमएलए की धारा 8(1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 5(5) के अधीन किसी शिकायत की प्राप्ति के पश्चात् उक्त धारा के अधीन सूचना जारी किए जाने से पूर्व प्रथमदृष्ट्या स्वतंत्र राय बनाने हेतु सशक्त करती है । अतः न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की जानी वाली न्यायनिर्णयन प्रक्रिया इस तथ्य से स्वतंत्र है कि क्या पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्रक्रिया समाप्त होने की तारीख को अनंतिम कुर्की का आदेश प्रवर्तन में है अथवा नहीं । अतः विशेष न्यायालय और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की भूमिका पूर्णतया भिन्न-भिन्न है । विशेष न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए मामले का विचारण करता है कि क्या कोई अपराध धारा 4 के अधीन अनुसूचित अपराध, यदि कोई हो, से जुड़े होने के कारण दंडनीय है अथवा नहीं और विशेष न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि क्या ऐसा कोई अपराध किया गया है और क्या अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी है । उक्त निष्कर्ष निकालने के पश्चात् दोषी व्यक्ति को तद्नुसार दंडादिष्ट किया जाता है । दूसरी ओर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी यह पता लगाने का प्रयास करता है कि क्या संपत्ति (संपत्तियां) धनशोधन में अन्तर्वलित हैं

अथवा नहीं और सकारात्मक निष्कर्ष निकलने पर उक्त प्रभाव की घोषणा की जाती है । ऐसी कोई घोषणा किए जाने पर अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि की जाती है । वर्तमान मामले में, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अधिकारिता उस समय आरम्भ हुई थी जब पीएमएलए की धारा 5(1) के अधीन कुर्की का अनंतिम आदेश जारी किए जाने के पश्चात् उसके संबंध में धारा 5(5) के अधीन शिकायत फाइल की गई थी । वर्तमान मामले में, पीएमएलए के अधीन उप-निदेशक ने तारीख 19 फरवरी, 2020 को, अर्थात् अनंतिम कुर्की के आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन शिकायत फाइल की थी । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने, धारा 5(5) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् यह विश्वास करने के कारण मौजूद होने पर कि याची सं. 1 ने पीएमएलए की धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया है या उसके कब्जे में अपराध के कतिपय आगम हैं, तारीख 19 फरवरी, 2020 को याची सं. 1 और उसके निदेशकों से यह वांछा करते हुए पीएमएलए की धारा 8(1) के अधीन यह सूचना जारी की थी कि वे अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों के ऐसे स्रोत्र को उपदर्शित करें जहां से या जिसके माध्यम से पीएमएलए की धारा 5(1) के उपबंधों के अधीन कुर्क की गई संपत्ति को अर्जित किया गया था । यह एक स्वीकार्य परिस्थिति है कि धारा 8(1) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम 30 दिन की अवधि के समाप्त हो जाने के तुरन्त पश्चात् हमारे देश में महामारी के कारण एक राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया गया । इसके परिणामस्वरूप न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष धारा 8(2) के अधीन सुनवाई के लिए नियत की गई अगली तारीख, अर्थात् 4 मई, 2020 को मामले की सुनवाई नहीं की जा सकी । धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्रक्रिया समाप्त होने के पूर्व कुर्की के अनंतिम आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि का अवसान हो गया । यह प्रतीत होता है कि पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा उपबंधित नहीं की गई है । धारा 5(3) में किए गए अनुबंध को धारा 8(2) में किए गए

उपबंधों के साथ पढ़े जाने पर भी किसी समय सीमा के संबंध में कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है । तथापि, कुर्की के अनंतिम आदेश की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर, जब तक कि उक्त आदेश की पहले ही पुष्टि न कर दी गई हो, ऐसा आदेश विधिमान्य नहीं रह जाता है । इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन किसी शिकायत के अनुसरण में आरम्भ की गई न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को यदि अनंतिम कुर्की के आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व समाप्त नहीं किया जाता है तो उक्त अनंतिम कुर्की के आदेश की उस समय धारा 8(3) के अधीन अभिपुष्टि नहीं की जा सकती यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित थी । किसी विशिष्ट मामले में अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि पर लगाई गई रोक, उस दशा में जहां कुर्की का अनंतिम आदेश 180 दिन की अवधि के अवसान पर प्रवृत्त नहीं रह गया है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पीएमएलए की धारा 8(1) और धारा 8(2) के निबंधनानुसार किसी मामले की सुनवाई को बाधित नहीं करती है । अतः याचियों द्वारा ईप्सित कानून के संकीर्ण निर्वचन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे यह अभिनिर्धारित होगा कि पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को पूरा किए जाने हेतु 180 दिन की समयसीमा विद्यमान है । चूंकि, उच्च न्यायालय ने पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि पीएमएलए की धारा 5(3) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जब तक कि अनंतिम कुर्की के आदेश की धारा 8(3) के अधीन पुष्टि नहीं कि जाती तो ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पदकार्य-निवृत्त नहीं हो जाता, अतः वर्तमान में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी 8(2) के प्रक्रम, अर्थात् इस संबंध में अपना निष्कर्ष बताए जाने के प्रक्रम तक कि क्या संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित है अथवा नहीं, वर्ष 2020 की शिकायत सं. 1262 पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं । जहां तक इस विवाद्यक का संबंध है कि क्या अनंतिम कुर्की का आदेश महामारी के कारण उसे पारित किए जाने की तारीख से 180

दिन के अवसान के पश्चात् विधिमान्य रह गया है अथवा नहीं, उच्च न्यायालय इस बिन्दु को रिट याचिका के विनिश्चय से संबद्ध करता है जिसमें तारीख 21 अक्तूबर, 2020 को पारित अंतरिम आदेश को अपास्त किए बिना शपथ-पत्र फाइल करने का निदेश दिया गया है । वस्तुतः पीएमएलए की धारा 8(3) के अधीन अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती, जब तक वर्तमान मामले में रिट याचिका का अंतिम रुप से निपटारा नहीं कर दिया जाता । उक्त प्रश्न का समाधान उस समय भी नहीं किया जा सकेगा यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तारीख 21 अक्तूबर, 2020 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित थी । तद्नुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि तारीख 26 मार्च, 2021 के आदेश के अनुसार, वर्ष 2020 की शिकायत सं. 1262 की सुनवाई न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है और उसे पीएमएलए की धारा 8(2) में उपदर्शित प्रक्रम तक जारी रखा जाएगा, किन्तु पीएमएलए की धारा 8(3) के अधीन उपबंधित अभिपुष्टि रिट याचिका की अंतिम सुनवाई हो जाने के पश्चात् आने वाले अंतिम परिणाम पर निर्भर होगी । तद्नुसार, 2020 की डब्ल्यू. पी. ए. 8232 में फाइल किए गए 2021 के सीएएन-1 का बिना किसी आदेश या लागत के निपटारा किया जाता है । (पैरा 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 12 एस. सी. सी. 713 :
राम चन्द्र सिंह बनाम **सावित्री देवी और अन्य** । 9

वर्तमान अपील वर्ष 2020 की रिट याचिका 8232 में तारीख 26 मार्च, 2021 को पारित आदेश का उपांतरण करने हेतु अनुरोध करते हुए फाइल की गई है ।

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 1.

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री जिष्नु चौधरी, सर्वप्रिय मुखर्जी और अनिरुद्ध अग्रवाल

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री देबजानी रे, सुमितावा चक्रबर्ती, राजऋषि दत्ता, संदीप कुमार दत्ता, ओम नारायण राय, अर्जुन मुखर्जी, राहुल, ऋतुपर्णा सान्याल, पौद्दार, संतोष कुमार राय, अविषेक गुहा, सुश्री रुचिका मल, सुश्री रिति बासु और सुश्री चन्द्रानी दास

न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी – वर्तमान आवेदन, अन्य बातों के साथ, वर्ष 2020 की रिट याचिका 8232 में तारीख 26 मार्च, 2021 को पारित आदेश का उपांतरण करने हेतु अनुरोध करते हुए फाइल किया गया है । यद्यपि वर्तमान आवेदन का विस्तार क्षेत्र अत्यन्त सीमित है किन्तु उन आधारों का समुचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए, जिनके आधार पर आदेश में उपांतरणों की वांछा की गई है, मामले के संक्षिप्त तथ्यों को नीचे कथित किया गया है :–

श्री प्रणव कुमार, तत्कालीन आंचलिक प्रमुख, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, गरियाहाट शाखा, कोलकत्ता ने तारीख 14 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई., बी.एस. और एफ.सी.), कोलकत्ता के समक्ष एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर किया । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर तारीख 18 अगस्त, 2016 को याची सं. 1 और उसके निदेशकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 120(ख) के साथ पठित धारा 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए आरोपपत्र, जो 06/2016 के रूप में संख्यांकित है, प्रस्तुत किया गया । चूंकि, दंड संहिता की धारा 120(ख), 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराध, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पीएमएलए' कहा गया है) की धारा 2(1)(म) के अधीन यथापरिभाषित अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए याची सं. 1 और उसके निदेशकों के विरुद्ध पीएमएलए की धारा 3 के अधीन

दंडनीय अपराध को अभिकथित रूप से कारित करने, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय बनाया गया है, हेतु अन्वेषण आरम्भ किया गया और इसके अनुसरण में तारीख 2 दिसम्बर, 2016 को प्रवर्तन मामला इत्तिला रिपोर्ट (जिसे संक्षेप में 'ईसीआईआर' कहा गया है) सं. के. एल. जैड. ओ./17/2016 को अभिलिखित किया गया । तथापि, याची सं. 1 के निदेशक याचियों के रूप में उक्त रिट याचिका में सम्मिलित नहीं हुए थे । याची सं. 2 ने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने का दावा प्रस्तुत किया है ।

2. तारीख 20 जनवरी, 2020 को उप-निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, जो पीएमएलए की धारा 5(1) के उपबंधों के अधीन एक प्राधिकारी है, ने अनंतिम कुर्की का एक आदेश पारित किया । तारीख 19 फरवरी, 2020 को उक्त उप-निदेशक ने पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष एक शिकायत, अर्थात् वर्ष 2020 की शिकायत सं. 1262, प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ कुर्की संबंधी तथ्यों का कथन किया गया था और तारीख 20 जनवरी, 2020 के अनंतिम कुर्की के आदेश की पीएमएलए की धारा 8(3) के उपबंधों के अधीन पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था ।

3. तारीख 19 फरवरी, 2020 को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने पीएमएलए की धारा 8(1) के अधीन एक सूचना जारी की ।

4. याचियों ने तारीख 7 अक्तूबर, 2020 को या उसके आस-पास एक रिट याचिका फाइल की । उक्त रिट याचिका में तारीख 21 अक्तूबर, 2020 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के प्रवर्तनीय भाग को सुविधा हेतु यहां नीचे अधिकथित किया गया है :–

> "इस न्यायालय का यह मत है कि चूंकि प्रत्यर्थियों की ओर से आस्थगन हेतु अनुरोध किया गया है इसलिए, प्रत्यर्थियों को तब तक आक्षेपित आदेश के निबंधनानुसार कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जब तक कि पूरे मामले की गुणागुण आधार पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती ।"

5. उसके पश्चात्, तारीख 5 फरवरी, 2021 से पुनः रिट याचिका पर सुनवाई आरम्भ की गई और प्रवर्तन में विद्यमान आस्थगन संबंधी अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के लिए तारीख नियत की गई ।

6. तारीख 18 मार्च, 2021 को जब मामले की पुनः सुनवाई की गई तो उस समय याचियों की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई कि याची रिट याचिका को वापस लेने का आशय रखते हैं क्योंकि अनंतिम कुर्की का आदेश पीएमएलए की धारा 5(1)(ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 180 दिन के अवसान पर अपास्त हो गया है । याचियों द्वारा किए गए अनुरोध का प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा विरोध किया गया और इस प्रकार मामले को आस्थगित कर दिया गया । तारीख 22 मार्च, 2021 को याचियों द्वारा इस आधार पर रिट याचिका को वापिस लिए जाने के अनुरोध का पुनः प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि उक्त प्रत्यर्थियों के अनुसार कुर्की का आदेश, स्वविवेकानुसार फाइल की गई 2020 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 3 में तारीख 8 मार्च, 2021 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए समयावधि के अवसान के कारण अपास्त नहीं हुआ था (परिसीमा के विस्तारण का संज्ञान : संबंधी) । इस मामले पर एक बार फिर तारीख 26 मार्च, 2021 को सुनवाई की गई, जब उक्त मामले में एक आदेश पारित किया गया, जिसके प्रवर्तनीय भाग को यहां नीचे अधिकथित किया गया है :–

> "इसके पश्चात् याची, उनके द्वारा फाइल की गई रिट याचिका को वापस लेना चाहते थे, क्योंकि याचियों के अनुसार तारीख 20 जनवरी, 2020 को पारित अनंतिम कुर्की का आदेश, उसे पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर, पीएमएलए की धारा 5(1)(ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रर्वतन में नहीं रहा है ।
>
> रिट याचिका को वापस लिए जाने के अनुरोध का प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि तारीख 20 जनवरी, 2020 का अनंतिम कुर्की संबंधी आदेश, जो

याचियों के अनुसार प्रवर्तन में नहीं रहा है, वास्तव में, प्रवृत्त है क्योंकि इस न्यायालय और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महामारी के दौरान इस संबंध में सुसंगत आदेश पारित किए गए हैं । प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 ने यह दलील प्रस्तुत की है कि याची साधारण रूप से अपनी रिट याचिका को वापस लेने हेतु स्वतंत्र हैं किन्तु उक्त रिट याचिका को वापस लिए जाने की इजाजत के साथ इस न्यायालय से जुड़ी कोई शर्त या इजाजत या कोई अन्य सम्प्रेक्षण उसके साथ जोड़ा नहीं किया जा सकता ।

इन परिस्थितियों के अधीन याची रिट याचिका को वापस लेने का आशय नहीं रखते हैं ।

प्रत्यर्थी सं. 3 ने, यह ज्ञात होने पर कि याची अब रिट याचिका को वापस लेने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और उनका आशय उक्त रिट याचिका के संबंध में आगे आवश्यक कार्यवाही करने का है, अनेक आधारों पर रिट याचिका को बनाए रखने के बिन्दु पर आक्षेप किए, जिनके अन्तर्गत अधिकारिता संबंधी आधार भी हैं । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि तारीख 21 अक्तूबर, 2020 के अंतरिम आदेश को केवल इस अनुमान के आधार पर पारित किया गया था कि प्रत्यर्थियों ने और अधिक समय की ईप्सा की है । मामले की सुनवाई, तारीख 21 अक्तूबर, 2020 को अंतरिम आदेश पारित किए जाने के समय गुणागुण के आधार पर नहीं की गई थी । प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 ने याचियों के आचार के संबंध में भी आक्षेप उठाए हैं । उक्त प्रत्यर्थियों ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अनंतिम कुर्की का आदेश, उसे पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर प्रवर्तन में नहीं रह गया था, जैसा कि याचियों द्वारा दलील प्रस्तुत की गई है कि उस समय रिट याचिका तारीख 20 जनवरी, 2020 से प्रारम्भ होने वाली 180 दिन की अवधि के काफी समय बाद फाइल की गई थी । अतः, याचियों के अनुसार रिट याचिका केवल इस आधार पर चलाए जाने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें एकमात्र चुनौती तारीख 20 जनवरी, 2020 का अनंतिम कुर्की का आदेश है ।

जहां तक प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा किए गए इस अनुरोध का संबंध है कि अंतरिम आदेश को अपास्त किया जाए, इस प्रक्रम पर उक्त आदेश को अपास्त नहीं किया जा सकता, विशिष्ट रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त अंतरिम आदेश तारीख 21 अक्तूबर, 2020 से प्रवर्तन में बना हुआ है और इस दौरान उक्त प्रत्यर्थियों द्वारा उसे अपास्त किए जाने का अनुरोध करते हुए किसी प्रकार का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

तथापि, रिट याचिका के लम्बित बने रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्यर्थी पीएमएलए की धारा 5(5) के उपबंधों के अधीन फाइल की गई 2020 की शिकायत सं. 1262 के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि वह कुर्की के अनंतिम आदेश के निबंधनानुसार किसी बलपूर्वक उठाए जाने वाले कदम के तत्समान नहीं है ।

दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले की और अधिक प्रभावी सुनवाई दोनों पक्षों से शपथपत्र प्राप्त करने के पश्चात् हो सकती है ।

अतः, आज की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर शपथपत्र फाइल करने का निदेश दिया जाता है । उनका उत्तर, यदि कोई हो, उसके पश्चात् दो सप्ताह के भीतर फाइल किया जा सकता है ।

छह सप्ताह की अवधि के अवसान के पश्चात् 'सुनवाई' शीर्ष के अधीन सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु उल्लेख करने की स्वतंत्रता होगी ।

शपथपत्र फाइल किए जाने संबंधी निदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतरिम आदेश आज की तारीख को प्रवर्तन में बना हुआ है, शुफाधिकारिता वाली प्रकृति का होगा ।"

7. याचियों ने वर्तमान आवेदन इसलिए फाइल किया है क्योंकि याचियों के अनुसार तारीख 26 मार्च, 2020 के आदेश के एक भाग का प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा, पीएमएलए की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के अधीन न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करके दुरुपयोग किया गया है । तारीख 26 मार्च, 2020 के आदेश का वह भाग, जिसमें याची उपातंरण किए जाने की वांछा करते हैं, नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "तथापि, रिट याचिका का लम्बित रहना, पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन की गई 2020 की शिकायत सं. 1262 के संबंध में कार्यवाही किए जाने से प्रत्यर्थियों को किसी भी प्रकार से नहीं रोकेगा क्योंकि उसे कुर्की के अनंतिम आदेश के निबंधनानुसार कोई बलपूर्वक उठाया गया कदम नहीं माना जाएगा ।"

8. **याचियों की दलील**

(क) याचियों ने यह कथन किया है कि धारा 5(1) के उपबंधों के अनुसार तारीख 20 जनवरी, 2020 को पारित अनंतिम कुर्की का आदेश वस्तुतः तारीख 20 जुलाई, 2020 को या उसके आसपास प्रवृत्त नहीं रह गया है, अर्थात् रिट याचिका फाइल किए जाने से पूर्व ही उक्त आदेश प्रवर्तन में नहीं रहा था । अनंतिम कुर्की के आदेश के, उसे पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर अपास्त हो जाने पर, वह न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जिसके समक्ष पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन आवेदन किया गया था, पदकार्य-निवृत्त हो गया है और इस प्रकार पीएमएलए की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार किसी प्रकार की न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि अनंतिम कुर्की का आदेश प्रवृत्त नहीं है तो याचियों के अनुसार, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा ऐसे आदेश की पुष्टि किए जाने का कोई औचित्य नहीं है । पीएमएलए की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के उपबंधों के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई बिना समुचित अधिकारिता के होगी और याचियों के अनुसार ऐसी कोई कार्रवाई अविधिमान्य कार्रवाई होगी । याचियों द्वारा यह कथन किया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों

को ध्यान में रखते हुए और साथ तारीख 21 अक्तूबर, 2020 को पारित आदेश में लिए गए मत को विचार में लेते हुए प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 को, पीएमएलए की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के उपबंधों के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए । तारीख 26 मार्च, 2021 के आदेश का फायदा लेते हुए, अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि किए जाने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और ऐसी किसी भी लम्बित कार्यवाही को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । अतः याची उपरोक्तानुसार उक्त आदेश में उपांतरण किए जाने की ईप्सा करते हैं ।

(ख) याचियों द्वारा यह भी कथन किया गया है कि जहां तक तारीख 26 मार्च, 2021 के आदेश के अन्य भाग का संबंध है, याचियों को उसके प्रति कोई आक्षेप नहीं है और वे उस भाग के संबंध में शपथपत्रों के पूरा हो जाने के पश्चात् रिट याचिका पर सुनवाई को पूरा करने का आशय रखते हैं । याचियों ने यह भी कथन किया है कि जहां तक अनुसूचित अपराध को अभिनिश्चित किए जाने हेतु दांडिक कार्यवाहियों का संबंध है, याचियों को उसके प्रति कोई आक्षेप नहीं है और विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण को जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाए । याचियों ने अपने कथन के समर्थन में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (दांडिक) 3551/2020 और 12626/2020, मैसर्स विकास डब्ल्यू. एस. पी. लिमिटेड और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य वाले मामले में तारीख 8 नवम्बर, 2020 को पारित निर्णय का अवलंब लिया है और यह प्रतिवाद किया है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अनंतिम कुर्की के आदेश की विधिमान्यता समाप्त होने के पश्चात् पदकार्य-निवृत्त हो जाता है और वह पीएमएलए की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के उपबंधों के अधीन न्यायनिर्णयन संबंधी आगे कार्यवाही नहीं कर सकता । याचियों ने 2021 की डब्ल्यू. पी. ए. सं. 4845 में इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 2 अप्रैल, 2021 को पारित एक निर्णय का भी अवलंब लेते हुए यह दर्शित करने का प्रयास किया है कि अनंतिम कुर्की के आदेश की विधिमान्यता, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय (परिसीमा के विस्तारण का संज्ञान – संबंधी) को ध्यान में रखते हुए अनंतिम कुर्की के आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर स्वतः विस्तारित नहीं हो सकती है, जैसा कि प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा प्रतिवाद किया गया है और प्रत्यर्थियों के इस प्रतिवाद को नामंजूर किया जाना चाहिए ।

(ग) याचियों ने यह भी कथन किया है कि 2020 की शिकायत सं. 1262 से संबंधित परिवाद मामला, जो ऐसा स्रोत है जहां से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अनंतिम कुर्की के आदेश के अपास्त होने के बाद भी अधिकारिता प्राप्त करने का तात्पर्य रखता है, को अन्यथा आस्थगित किया जाना चाहिए अन्यथा उक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी संभाव्य रूप से उसके माध्यम से अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि कर सकते हैं ।

9. **प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा प्रस्तुत दलीलें**

(i) प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा (परिसीमा के विस्तारण का संज्ञान – संबंधी) तारीख 8 मार्च, 2021 को पारित आदेश का अवलंब लिया गया है और उनके द्वारा यह प्रतिवाद करने के लिए विशिष्ट रूप से उक्त आदेश के पैरा सं. 3 का अवलंब लिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 8 मार्च, 2021 को पारित उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए अनंतिम कुर्की का आदेश स्वतः ही 180 दिन की अवधि की बाह्य सीमा के पश्चात् विस्तारित हो गया है । अनंतिम कुर्की के उक्त आदेश की धारा 8(3) के अधीन पुष्टि किए जाने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास पर्याप्त समय उपलब्ध है और उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए कार्यवाहियों को समाप्त करने की परिसीमा भी स्वतः ही विस्तारित हो गई है । अतः न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उक्त मामले में कार्यवाही करने और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को उसके सुसंगत समापन तक ले जाने के लिए पीएमएलए की धारा 8(3) के अधीन आवश्यक आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र है ।

(ii) यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि ब्लैक्स के विधिक शब्दकोश (11वां संस्करण) के अनुसार कार्यवाही की परिभाषा इस प्रकार

है कि "किसी विधिक वाद का नियमित और क्रमवार रूप से आगे बढ़ना, जिसके अन्तर्गत उक्त वाद के प्रारम्भ से और निर्णय आने तक के अन्तराल के बीच होने वाली सभी कार्रवाइयां और घटनाएं भी हैं ।" 'कार्यवाही' पद को उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेक निर्णयों में शब्दों और पदों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'कार्यवाही' पद को इस प्रकार वर्णित किया गया है कि "कार्यवाही एक व्यापक पद है और साधारण रूप से उससे किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन करने के लिए कार्रवाई का विहित विस्तार क्षेत्र अभिप्रेत है" । यह भी दलील प्रस्तुत की गई है कि याचियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे तारीख 19 फरवरी, 2020 की सूचना के निबंधनानुसार तारीख 4 मई, 2020 को या उससे पूर्व हेतुक संबंधी कारण बताएं और तारीख 4 मई, 2020 को प्रत्यर्थी सं. 13 के समक्ष उपसंजात हों । प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 के अनुसार धारा 8(1) के अधीन दी गई आज्ञा किसी ऐसी सूचना की तामील किए जाने से संबंधित है जिसकी अवधि 30 दिन से कम नहीं होगी । यदि उक्त न्यूनतम सूचना अवधि को विचार में लिया जाता है तो तारीख 19 फरवरी, 2020 से उक्त 30 दिन की अवधि तारीख 20 मार्च, 2020 को समाप्त होती है । किन्तु महामारी के कारण तारीख 24 मार्च, 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी । महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि को समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् भी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियमित रूप से कार्यकरण नहीं कर रहे थे और इसलिए अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि करने के लिए 180 दिन की अधिकतम समयावधि को विस्तारित किया जाना चाहिए और उक्त अधिकतम समयावधि की संगणना इस आधार पर की जानी चाहिए कि ऐसी अवधि तारीख 15 मार्च, 2020 और तारीख 14 मार्च, 2021 के बीच समाप्त हुई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 8 मार्च, 2021 के आदेश के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात की अनुज्ञा प्रदान की थी कि इस प्रकार की पुष्टि, यदि आवश्यक हो, तो तारीख 15 मार्च, 2020 से 90 दिन की अवधि के भीतर की जानी अनिवार्य है ।

(iii) प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई है कि धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के अधीन न्यायनिर्यणन केवल कुर्की के अनंतिम आदेश की पुष्टि तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसके माध्यम से इस बात की घोषणा की जाती है कि क्या प्रश्नगत संपत्ति किसी धनशोधन संबंधी कार्य में अंतर्वलित थी अथवा नहीं और इसलिए वह स्वयं में एक स्वतंत्र कार्यवाही भी है । इस प्रकार, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, कुर्की के अनंतिम आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर उस आदेश के अवसान पर पदकार्य-निवृत्त नहीं हो जाता है ।

(iv) उक्त प्रत्यर्थियों ने यह भी कथन किया है कि पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन यथाअनुध्यात प्रक्रम तक न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं 2, 3, 4 और 13 ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की विद्वान् एकल न्यायपीठ द्वारा तारीख 8 नवम्बर, 2020 को पारित आदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 8 मार्च, 2020 को पारित आदेश को विचार में नहीं लेता है । इसके अतिरिक्त, किसी भी दशा में तारीख 8 नवम्बर, 2020 के उक्त निर्णय और आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा तारीख 8 जनवरी, 2020 के एक निर्णय द्वारा आस्थगित किया गया है, जिसे एलपीए 362/2020 और सीएम अपील 30675/ 2020 (प्रवर्तन निदेशालय और अन्य बनाम मैसर्स विकास डब्ल्यू. एस. पी. लिमिटेड और अन्य वाले मामले) में पारित किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 ने इस बिन्दु को भी उठाया है कि याचियों ने उपांतरण के लिए आवेदन की आड़ में वस्तुतः तारीख 26 मार्च, 2021 के आदेश का पुनर्विलोकन कराने का प्रयास किया है । यह विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और इस संदर्भ में उक्त प्रत्यर्थियों ने **राम चन्द्र सिंह** बनाम **सावित्री देवी और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवंलब लिया है ।

---

[1] (2014) 12 एस. सी. सी. 713.

10. चूंकि, वर्तमान आवेदन का विस्तार क्षेत्र अत्यन्त सीमित है और उसकी अधिकारिता पक्षकारों की सम्मति के अनुसार विधिक उपबंधों के निर्वचन पर निर्भर है, अतः मैं शपथपत्रों की ईप्सा किए बिना इस मामले पर आगे कार्यवाही आरम्भ करता हूं ।

11. **निष्कर्ष**

(i) पीएमएलए की धारा 2(1)(म) और धारा 3 के साधारण परिशीलन पर मुझे यह प्रतीत होता है कि विधानमंडल ने पीएमएलए के अधीन अपराध को 2 भागों में विभाजित किया है, अर्थात् "अनुसूचित अपराध" और "धनशोधन संबंधी अपराध" । "अनुसूचित अपराध" को पीएमएलए से संलग्न अनुसूची के भाग क में उपबंधित किया गया है, जिसमें विभिन्न अन्य कानूनों के अधीन आने वाले अपराधों को सम्मिलित किया गया है । अनुसूचित अपराध में, पीएमएलए की अनुसूची के भाग ख और भाग ग के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है ।

(ii) दूसरी ओर धनशोधन संबंधी अपराधों को स्पष्ट रूप से धारा 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है, जो अनुसूचित अपराधों में से कुछ अपराधों को भी सम्मिलित करते हैं किन्तु उनमें से अधिकांश अपराध अनुसूचित अपराधों से भिन्न हैं । पीएमएलए की धारा 4 धनशोधन के अपराध के लिए दंड का उपबंध करती है । पीएमएलए की धारा 3 और 4 को एक साथ पढ़े जाने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल द्वारा धनशोधन संबंधी अपराधों के लिए स्पष्ट रूप से पृथक् दंड उपबंधित किए गए हैं, जो विभिन्न कानूनों के अधीन अनुसूचित अपराध के मामलों में उपबंधित दंडों से भिन्न हैं, जिनमें उन कानूनों के अधीन उपबंधित अपराधों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से दंड का उपबंध किया गया है ।

(iii) पीएमएलए की धारा 43 और 44 के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि धारा 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध तथा उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध से जुड़े किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में उस क्षेत्र, जिसमें अपराध कारित किया गया है, के लिए विनिर्दिष्ट रूप से

गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा । अतः धारा 44 से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धारा 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध तथा उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध से जुड़े किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा । पीएमएलए की धारा 45 के दूसरे परन्तुक में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि विशेष न्यायालय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित शिकायत के अलावा अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा । धारा 45 की उपधारा (1क), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन अन्यथा प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को पीएमएलए के अधीन किसी अपराध का सामान्य रूप से अन्वेषण करने के लिए विवर्जित करती है ।

(iv) "अन्वेषण" पद को पीएमएलए की धारा 2(1)(ढक) के अधीन परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा पीएमएलए के अधीन साक्ष्य को एकत्रित करने हेतु की जाने वाली सभी कार्यवाहियां भी हैं । अतः विधानमंडल ने पीएमएलए में ऐसे उपबंधों को सम्मिलित करके पीएमएलए के अधीन किसी अपराध या उससे जुड़े किसी अनुसूचित अपराध के अन्वेषण और विचारण का पृथक्करण किया है और साथ ही उक्त अधिनियम में ऐसे न्यायालय के लिए भी उपबंध किया गया है जहां ऐसे अपराधों का विचारण किया जाना है । पीएमएलए के अधीन आने वाले प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 48 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है । प्राधिकारियों और अन्य अधिकारियों की अधिकारिता, शक्तियों और कर्तव्यों को पीएमएलए के अध्याय 8 के अधीन उपबंधित किया गया है । पीएमएलए की धारा 58 के साधारण परिशीलन पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि विधानमंडल द्वारा यह वांछा की गई है कि अन्य विभागों और/या अभिकरणों के अधिकारियों को भी जांच में फायदाप्रद सहायता हेतु सम्मिलित किया जाए ।

(v) धारा 5(1) के पहले परन्तुक में यह उपबंध किया गया है कि "कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में कोई रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को अग्रेषित न कर दी गई हो । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 3 उस रीति के संबंध में उपबंध करती है जिसमें किसी व्यक्ति को 'मजिस्ट्रेट' समझा जाएगा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2)(i) में ऐसे व्यक्ति को 'मजिस्ट्रेट' माना गया है, जो किसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है ।" चूंकि, धारा 45(1क) विवक्षित रूप से किसी पुलिस अधिकारी को पीएमएलए के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने से निवारित करती है, इसलिए सामान्य अनुक्रम के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2)(i) के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली पुलिस रिपोर्ट निदेशक या पीएमएलए के अधीन ऐसे किसी अधिकारी द्वारा, जो उप-निदेशक से अन्यून पंक्ति का है और जो पीएमएलए के अधीन अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत है, द्वारा प्रस्तुत की जाएगी । इस उपबंध को पीएमएलए की धारा 5(1) के पहले परन्तुक के अधीन उपबंधित किया गया है । तथापि, इस उपबंध के संबंध में एक अपवाद भी उपबंधित किया गया है कि किस प्रकार की परिस्थितियों के अधीन किसी संपत्ति की, पीएमएलए की धारा 5(1) के पहले परन्तुक के अधीन उपबंधित उपबंधों का अनुपालन किए बिना अनंतिम रूप से कुर्की की जा सकती है । वहीं, धारा 43 और 44 के अधीन ऐसा कोई अपराध, जो पीएमएलए की धारा 4 के अधीन दंडनीय है और उससे जुड़े किसी अनुसूचित अपराध का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान दूसरी बार मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में नहीं लिया जा सकता । अतः ऐसे मजिस्ट्रेट, जिसे पीएमएलए की धारा 5(1) के पहले परन्तुक के अधीन रिपोर्ट फाइल की गई है, की भूमिका के संबंध में यह अभिनिश्चित करने के लिए आगे ओर संवीक्षा किया जाना अपेक्षित है कि क्या ऐसे मजिस्ट्रेट को अपनी संज्ञान लिए जाने की शक्ति का प्रयोग न करते हुए मामले को विशेष न्यायालय को सौंपे जाने संबंधी निष्क्रिय भूमिका निभानी होगी जिससे विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 193 के अधीन मूल अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र हो या फिर मजिस्ट्रेट उसके समक्ष धारा 5(1) के पहले परन्तुक के अधीन फाइल की गई रिपोर्ट के आधार पर मामले का संज्ञान ले सकता है । चूंकि, मेरे द्वारा वर्तमान विवाद्यक का न्यायनिर्णयन करते समय इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है, इसलिए मैं इस बिन्दु पर आगे और विचार नहीं करुंगा । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पीएमएलए, उसकी धारा 4 के अधीन अनुसूचित अपराधों से जुड़े दंडनीय किसी अपराध के संबंध में संज्ञान लेने, उसका अन्वेषण और उसका विचारण करने के लिए स्वयं में एक सम्पूर्ण संहिता है ।

(vi) अगले प्रक्रम पर मैं पीएमएलए की धारा 6 के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की भूमिका का विश्लेषण करुंगा क्योंकि यह अन्तर्वलित विवाद्यक का उत्तर देने हेतु आवश्यक है ।

(vii) धारा 5 का शीर्ष इस प्रकार है कि "धनशोधन में अन्तर्वलित संपत्ति की कुर्की" । कुर्की को पीएमएलए की धारा 2(1)(घ) के अधीन परिभाषित किया गया है । तथापि, अधिनियम में कहीं भी "अनंतिम कुर्की" पद को परिभाषित नहीं किया गया है, यद्यपि धारा 5(1) में ऐसी किसी संपत्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है, जिसकी लिखित में किसी आदेश द्वारा, ऐसी आदेश की तारीख से 180 दिन से अनधिक अवधि के लिए अनंतिम रूप से कुर्की की जा सकती है । यदि निदेशक या उप-निदेशक की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण विद्यमान हैं कि कोई संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित है और वह ऐसे कारणों को उसके कब्जे में विद्यमान सामग्री के आधार पर लिखित में लेखबद्ध करता है तो वह अनंतिम रूप से ऐसी किसी संपत्ति की कुर्की कर सकेगा । उक्त उपबंध में "कुर्की कर सकेगा" शब्दों का उपयोग किया जाना निदेशक या उप-निदेशक की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी को, उसके पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर बनायी गई उसकी अवधारणा पर निर्भर करते हुए अनंतिम रूप से किसी संपत्ति की कुर्की करने या न करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है । धारा 5(1) के दूसरे परन्तुक के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता

है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर अनंतिम रूप से कुर्की किया जाना अपेक्षित है ? "यदि धनशोधन में अन्तर्वलित उस संपत्ति को इस अध्याय के अधीन तुरन्त कुर्क नहीं किया जाता है तो संपत्ति की कुर्की न किए जाने से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के निष्फल हो जाने की संभावना है" । धारा 5(1) के दूसरे परन्तुक में संबद्ध अधिकारी को पीएमएलए की धारा 5(1) के पहले परन्तुक के उपबंधों का अनुपालन किए बिना अनंतिम कुर्की का आदेश पारित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है । पहले परन्तुक और दूसरे परन्तुक में प्रयुक्त शब्दों में विद्यमान अन्तर से यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि पहला परन्तुक ऐसे किसी व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित है, जिसपर यह आरोप लगाया गया है कि उसने कोई अनुसूचित अपराध किया है, जबकि दूसरा परन्तुक किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित है, जिसपर अनिवार्य रूप से अनुसूचित अपराध करने का आरोप नहीं लगाया गया है । अतः यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण के लम्बित रहने के दौरान जब संबद्ध अधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह या तो अनंतिम रूप से संपत्ति की कुर्की कर सकता है या उसे यह प्रतीत होता है कि यदि धनशोधन में अन्तर्वलित उस संपत्ति को इस अध्याय के अधीन तुरन्त कुर्क नहीं किया जाता है तो संपत्ति की कुर्की न किए जाने से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के निष्फल हो जाने की संभावना है तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा । अतः अनंतिम कुर्की एक अस्थायी उपाय है जो तब तक एक विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए विधिमान्य है, जब तक उसकी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्टि न कर दी जाए और विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के प्रयोजन के लिए वह आगे और अन्वेषण के अध्यधीन है ।

(viii) अतः, निदेशक या उप-निदेशक से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी के पास धारा 5(1) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय यह विवेकाधिकार होगा कि वह या तो अनंतिम रूप से संपत्ति की कुर्की करे या ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दे । यदि उक्त अधिकारी अनंतिम रूप से संपत्ति को कुर्क करने का विकल्प लेता है तो

उसे, उसके कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को अग्रेषित करनी होगी । धनशोधन निवारण (अनंतिम कुर्की आदेश जारी करना) नियम, 2013 उस रीति को विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें अनंतिम कुर्की का आदेश जारी किया जाएगा । पीएमएलए की धारा 5(2) के अधीन यथाअपेक्षित सामग्रियों के साथ संपत्ति की अनंतिम कुर्की के आदेश की प्रति को अग्रेषित किए जाने की रीति के संबंध में धनशोधन निवारण (सामग्री के साथ अनंतिम कुर्की के आदेश तथा सर्वेक्षण के संबंध में सामग्री के साथ लेखबद्ध किए गए कारणों की प्रति को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को अग्रेषित करने की रीति और उसे प्रतिधारण करने की अवधि) नियम, 2005 के नियम 3 में उपबंध किया गया है । 2005 के नियम का नियम 6 उस समयावधि के लिए उपबंध करता है जिसके लिए अनंतिम कुर्की का आदेश किया जाएगा और साथ ही उक्त नियम में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को अग्रेषित किए जाने के लिए अपेक्षित सामग्रियों और अभिलिखित कारणों की प्रति तथा अपेक्षित प्रतिधारण किए जाने की अवधि के संबंध में भी उपबंध किया गया है । अतः पीएमएलए की धारा 5(2) के कारण पीएमएलए की धारा 8(1) के अधीन न्यायनिर्णयन संबंधी कोई नई कार्यवाही आरम्भ किया जाना अपेक्षित नहीं है । अनंतिम कुर्की का आदेश पारित किए जाने पर संबद्ध अधिकारी को, आदेश पारित किए जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष एक शिकायत फाइल करनी होगी । पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन शिकायत फाइल किए जाने के तुरन्त पश्चात् न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, धारा 5(5) के अधीन ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण विद्यमान हैं कि किसी व्यक्ति ने धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया है तो वह 30 दिन से अन्यून अवधि की एक सूचना की तामील ऐसे व्यक्ति पर कर सकेगा और उससे इस संबंध में कारण बताए जाने की अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी सभी या किसी संपत्ति को ऐसी संपत्तियों या संपत्ति के रूप में घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसी संपत्ति धनशोधन की

कार्यवाही में अन्तर्वलित है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अधिहरण किया जाना चाहिए । अतः न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस बात की घोषणा करेगा कि क्या कोई संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित है अथवा नहीं । पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया गया है । पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के पूरा हो जाने के पश्चात् न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस संबंध में अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगा कि क्या धारा 8(1) के अधीन जारी सूचना में निर्दिष्ट सभी या कोई संपत्ति धनशोधन में अंतर्वलित है अथवा नहीं । एक बार इस प्रकार का निष्कर्ष निकाले जाने पर तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उक्त निष्कर्ष की घोषणा किए जाने पर कि संपत्ति/संपत्तियां धनशोधन में अन्तर्वलित हैं, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पीएमएलए की धारा 5(1) के अधीन जारी कुर्की के आदेश की पुष्टि करेगा, अर्थात् वह संपत्ति के अनंतिम कुर्की के आदेश की अभिपुष्टि करेगा । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् या तो यह घोषणा कर सकता है कि संपत्ति या संपत्तियां धनशोधन में अन्तर्वलित हैं, अथवा वह यह भी अभिनिर्धारित कर सकता है कि ऐसी संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित नहीं है । इस प्रकार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की जानी वाली न्यायनिर्णयन प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त कुर्की के अनंतिम आदेश पर निर्भर नहीं है, यद्यपि, न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को पीएमएलए की धारा 8(1) के अधीन केवल उस समय ही आरम्भ किया जा सकता है जब पीएमएलए की धारा 5(1) के अधीन जारी किए गए किसी अनंतिम कुर्की के आदेश के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 5(5) के अधीन कोई शिकायत दर्ज की जाती है । पीएमएलए की धारा 8(1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 5(5) के अधीन किसी शिकायत की प्राप्ति के पश्चात् उक्त धारा के अधीन सूचना जारी किए जाने से पूर्व प्रथमदृष्ट्या स्वतंत्र राय बनाने हेतु सशक्त करती है । अतः न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की जानी वाली न्यायनिर्णयन प्रक्रिया इस तथ्य से स्वतंत्र है कि क्या पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्रक्रिया समाप्त होने

की तारीख को अनंतिम कुर्की का आदेश प्रवर्तन में है अथवा नहीं ।

(ix) अतः विशेष न्यायालय और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की भूमिका पूर्णतया भिन्न-भिन्न है । विशेष न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए मामले का विचारण करता है कि क्या कोई अपराध धारा 4 के अधीन अनुसूचित अपराध, यदि कोई हो, से जुड़े होने के कारण दंडनीय है अथवा नहीं और विशेष न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि क्या ऐसा कोई अपराध किया गया है और क्या अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी है । उक्त निष्कर्ष निकालने के पश्चात् दोषी व्यक्ति को तद्नुसार दंडादिष्ट किया जाता है । दूसरी ओर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी यह पता लगाने का प्रयास करता है कि क्या संपत्ति (संपत्तियां) धनशोधन में अन्तर्वलित हैं अथवा नहीं और सकारात्मक निष्कर्ष निकलने पर उक्त प्रभाव की घोषणा की जाती है । ऐसी कोई घोषणा किए जाने पर अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

(x) ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं विकास डब्ल्यू. एस. पी. वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल विद्वान् न्यायाधीश द्वारा लिए गए मत से सहमत होने में असमर्थ हूं जिसका याचियों द्वारा इस बात पर बल देने के लिए अवलंब लिया गया है कि अनंतिम कुर्की के आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान के साथ ही न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उस समय स्वयं ही पदकार्य-निवृत्त हो जाएगा, जब तक कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने 180 दिन की ऐसी अवधि के समाप्त होने के पूर्व न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाहियों को पूरा न कर दिया हो और अनंतिम कुर्की के आदेश की अभिपुष्टि न कर दी हो ।

(xi) वर्तमान मामले में, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अधिकारिता उस समय आरम्भ हुई थी जब पीएमएलए की धारा 5(1) के अधीन कुर्की का अनंतिम आदेश जारी किए जाने के पश्चात् उसके संबंध में धारा 5(5) के अधीन शिकायत फाइल की गई थी । वर्तमान मामले में, पीएमएलए के अधीन उप-निदेशक ने तारीख 19 फरवरी, 2020 को, अर्थात् अनंतिम कुर्की के आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 30

दिन के भीतर पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन शिकायत फाइल की थी । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने, धारा 5(5) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् यह विश्वास करने के कारण मौजूद होने पर कि याची सं. 1 ने पीएमएलए की धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया है या उसके कब्जे में अपराध के कतिपय आगम हैं, तारीख 19 फरवरी, 2020 को याची सं. 1 और उसके निदेशकों से यह वांछा करते हुए पीएमएलए की धारा 8(1) के अधीन यह सूचना जारी की थी कि वे अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों के ऐसे स्रोत्र को उपदर्शित करें जहां से या जिसके माध्यम से पीएमएलए की धारा 5(1) के उपबंधों के अधीन कुर्क की गई संपत्ति को अर्जित किया गया था । यह एक स्वीकार्य परिस्थिति है कि धारा 8(1) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम 30 दिन की अवधि के समाप्त हो जाने के तुरन्त पश्चात् हमारे देश में महामारी के कारण एक राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया गया । इसके परिणामस्वरूप न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष धारा 8(2) के अधीन सुनवाई के लिए नियत की गई अगली तारीख, अर्थात् 4 मई, 2020 को मामले की सुनवाई नहीं की जा सकी । धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्रक्रिया समाप्त होने के पूर्व कुर्की के अनंतिम आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि का अवसान हो गया ।

(xii) यह प्रतीत होता है कि पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा उपबंधित नहीं की गई है । धारा 5(3) में किए गए अनुबंध को धारा 8(2) में किए गए उपबंधों के साथ पढ़े जाने पर भी किसी समय सीमा के संबंध में कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है । तथापि, कुर्की के अनंतिम आदेश की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर, जब तक कि उक्त आदेश की पहले ही पुष्टि न कर दी गई हो, ऐसा आदेश विधिमान्य नहीं रह जाता है । इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 5(5) के अधीन किसी शिकायत के अनुसरण में आरम्भ की गई न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को यदि अनंतिम कुर्की के आदेश को पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व समाप्त नहीं किया

जाता है तो उक्त अनंतिम कुर्की के आदेश की उस समय धारा 8(3) के अधीन अभिपुष्टि नहीं की जा सकती यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित थी । किसी विशिष्ट मामले में अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि पर लगाई गई रोक, उस दशा में जहां कुर्की का अनंतिम आदेश 180 दिन की अवधि के अवसान पर प्रवृत्त नहीं रह गया है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पीएमएलए की धारा 8(1) और धारा 8(2) के निबंधनानुसार किसी मामले की सुनवाई को बाधित नहीं करती है । अतः याचियों द्वारा ईप्सित कानून के संकीर्ण निर्वचन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे यह अभिनिर्धारित होगा कि पीएमएलए की धारा 8(2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को पूरा किए जाने हेतु 180 दिन की समयसीमा विद्यमान है ।

(xiii) चूंकि, मैंने पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि पीएमएलए की धारा 5(3) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जब तक कि अनंतिम कुर्की के आदेश की धारा 8(3) के अधीन पुष्टि नहीं की जाती तो ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पदकार्य-निवृत्त नहीं हो जाता, अतः वर्तमान में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी 8(2) के प्रक्रम, अर्थात् इस संबंध में अपना निष्कर्ष बताए जाने के प्रक्रम तक कि क्या संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित है अथवा नहीं, वर्ष 2020 की शिकायत सं. 1262 पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(xiv) जहां तक इस विवाद्यक का संबंध है कि क्या अनंतिम कुर्की का आदेश महामारी के कारण उसे पारित किए जाने की तारीख से 180 दिन के अवसान के पश्चात् विधिमान्य रह गया है अथवा नहीं, मैं इस बिन्दु को रिट याचिका के विनिश्चय से संबद्ध करता हूं जिसमें तारीख 21 अक्तूबर, 2020 को पारित अंतरिम आदेश को अपास्त किए बिना शपथपत्र फाइल करने का निदेश दिया गया है । वस्तुतः पीएमएलए की धारा 8(3) के अधीन अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती, जब तक वर्तमान मामले में रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर दिया जाता । उक्त प्रश्न का समाधान उस समय

भी नहीं किया जा सकेगा यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तारीख 21 अक्तूबर, 2020 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत संपत्ति धनशोधन में अन्तर्वलित थी ।

(xv) प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 4 और 13 द्वारा एक अन्य मुद्दा भी उठाया गया है कि याचियों ने तारीख 26 मार्च, 2021 के आदेश का पुनर्विलोकन करने की ईप्सा की है, मेरे मतानुसार वर्तमान मामले में उक्त प्रत्यर्थियों द्वारा उद्धृत **राम चन्द्र सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित अनुपात के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया है अतः इस संबंध में तथ्यों की किसी प्रकार की संवीक्षा अपेक्षित नहीं है ।

12. **निष्कर्ष**

तद्नुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि तारीख 26 मार्च, 2021 के आदेश के अनुसार, वर्ष 2020 की शिकायत सं. 1262 की सुनवाई न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है और उसे पीएमएलए की धारा 8(2) में उपदर्शित प्रक्रम तक जारी रखा जाएगा, किन्तु पीएमएलए की धारा 8(3) के अधीन उपबंधित अभिपुष्टि रिट याचिका की अंतिम सुनवाई हो जाने के पश्चात् आने वाले अंतिम परिणाम पर निर्भर होगी । मैंने वस्तुतः यही बात अपने तारीख 26 मार्च, 2021 के आदेश में भी उल्लिखित की थी ।

13. तद्नुसार, 2020 की डब्ल्यू. पी. ए. 8232 में फाइल किए गए 2021 के सीएएन-1 का बिना किसी आदेश या लागत के निपटारा किया जाता है ।

इस निर्णय और आदेश की फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति, यदि उसके लिए आवेदन किया गया है तो तुरन्त पक्षकारों को सभी आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन करने के लिए पूर्विक्ता के आधार पर सौंप दिया जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

पु.

भभलू नाजभाई धाधल और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य

(2016 की पुनरीक्षण/दांडिक अपील सं. 609)

तारीख 12 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति ए. जे. देसाई और न्यायमूर्ति ए. एस. सुपेहिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 307, 326, 333, 224, 225 और 149 – हत्या – अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से अन्वेषण हेतु आए पुलिस दल पर घातक हथियारों से हमला किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप दो पुलिस कार्मिकों सहित कुल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना – अन्वेषण अभिकरण द्वारा घटना के दो दिन पश्चात् अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाना और साथ ही एक संयुक्त पंचनामे के माध्यम से कतिपय हथियारों की बरामदगी किया जाना – अन्वेषण अभिकरण द्वारा शनाख्त परेड का आयोजन करने में असफल रहना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा इस प्रभाव का कथन किया जाना कि वे यह बताने में असमर्थ थे कि किस अभियुक्त द्वारा किस किस्म के हथियार का प्रयोग किया गया और किस अभियुक्त ने किस विशिष्ट व्यक्ति पर किस विशिष्ट हथियार से वार किया – मामले के संबंध में दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किसी भी अभियुक्त को नामित न किया जाना और उसमें साधारण रूप से यह उल्लेख किया जाना कि 20 से 25 व्यक्तियों द्वारा पुलिस दल पर हमला किया गया – जबकि पुलिस द्वारा केवल 10 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना और शेष अभियुक्तों के संबंध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराया जाना – विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि यदि साक्षी अभियुक्त से पूर्व परिचित नहीं है तो अन्वेषण अभिकरण द्वारा शिनाख्त परेड का आयोजन किया जाना चाहिए और न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा पहली बार अभियुक्तों की शिनाख्त अभियोजन पक्षकथन

के लिए घातक है – उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के अन्य सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है ।

वर्तमान अपीलों का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 18 अप्रैल, 2001 को अमरेली जिला के स्वरकुंडला तालुक के मेकड़ा ग्राम में मुम्बई, महाराष्ट्र के डिनदोषी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों तथा अमरेली जिला के पुलिस अधिकारियों और साथ ही पूर्वोक्त ग्राम में निवास करने वाले ग्रामीणों के बीच प्रात: 6.00 बजे के लगभग एक अप्रिय घटना घटित हुई । कुल मिलाकर चार व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई जिसमें महाराष्ट्र का एक पुलिस अधिकारी और एक पंच साक्षी भी सम्मिलित था, जो महारष्ट्र के पुलिस दल के साथ मुम्बई से घटनास्थल पर आया था और इसके अतिरिक्त अभियुक्त पक्ष की ओर से भी दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई । स्वरकुंडला नगर पुलिस थाना में, उस पुलिस अधिकारी, जिसने अभिकथित रूप से सर्वप्रथम गोली चलाई और जिसने उक्त घटना के दौरान अपनी जान भी गंवाई, के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक दांडिक मामला सं. 7/2001 रजिस्टर किया गया जबकि उसी पुलिस थाने में एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो आईसीआर सं. 8/2001 के रूप में है, को रजिस्टर किया गया, जिसमें जयेश **उर्फ** जयदीप, ग्राम मेकड़ा के सरपंच, उसके भाई और जयेश **उर्फ** जयदीप के भाई (जिनको प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित्त नहीं किया गया था और जिन्होंने उक्त घटना के दौरान अपनी जान गंवाई थी) को नामजद किया गया, जो कि भीड़ का एक भाग थे । उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से स्वरकुंडला पुलिस थाने में रजिस्टर की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट आईसीआर सं. 8/2001 के संबंध में कार्यवाही की । लक्षमण रामचंद्र खामकर, जो मलाड (पूर्व) के डिनदोषी पुलिस थाना, मुम्बई, महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्य कर रहा था, ने यह घोषणा करते हुए स्वरकुंडला पुलिस थाने में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई कि तारीख 15 अप्रैल, 2001 को

रात्रि लगभग 11.30 बजे वह एक पुलिस दल के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सीआर सं. 500/2000, जिसे डिनदोषी पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 392, 394, 395 आदि के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए रजिस्टर किया गया था, के संबंध में मुद्दमल की बरामदगी के लिए जयेश **उर्फ** जयदीप खुमन नामक एक व्यक्ति के साथ मुम्बई से रवाना हुए । पुलिस उप निरीक्षक श्री नंद कुमार डेथे, पुलिस कांस्टेबल श्री दीपकभाई बाबा साहेब कांबले, डिनदोषी पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत सीआर सं. 500/2000 के शिकायतकर्ता श्री वलीशा रहीमशा साई, एक पंच साक्षी, अर्थात् रजनीकांत शाह, जो मुम्बई का निवासी था (जिसकी मृत्यु भी उक्त घटना के दौरान हो गई थी) और साथ ही एक अन्य पंच चालक श्री शिंदे ने मुम्बई से एक प्राइवेट टाटा सूमो यान को किराए पर लिया । अभियुक्त जयदीप, जिसे गिरफ्तार किया गया था और जो उक्त अपराध में अपनी पत्नी के साथ अभियुक्त था, भी उक्त यान में सवार था । जब वे तारीख 18 अप्रैल, 2001 को प्रात: 6.00 बजे के लगभग मेकड़ा ग्राम पहुंचे और जब वे जयदीप के घर और उसके नातेदारों के संबंध में पूछताछ कर रहे थे तो उसी समय अकस्मात् 20 से 25 व्यक्तियों की एक भीड़ वहां आ गई, जिसमें ग्राम मेकड़ा का सरपंच, सरपंच का भाई, ग्राम के दो-तीन वृद्ध व्यक्ति और जयदीप का बड़ा भाई सम्मिलित था और जो घातक हथियारों, जैसे कि कुल्हाड़ी, डंडों, तलवारों आदि से लैस थे । जयदीप के भाई के हाथों में एक चाकू था और उन सब ने मिलकर अपने हथियारों से पुलिस दल पर इस आशय से हमला किया कि वे जयदीप को छुड़ा लें । उस समय मुम्बई से आए पुलिस दल को बचाने के लिए पुलिस उप निरीक्षक डेथे ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई किन्तु उसी समय जयदीप के भाई ने पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे से उनकी सर्विस रिवाल्वर छीन ली और उसके पश्चात् भीड़ में शामिल व्यक्तियों ने पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे की लात-घूसों से बुरी तरह पिटाई की, स्वयं शिकायतकर्ता और एक अन्य हेड कांस्टेबल श्री कांबले, चालक श्री शिंदे की भी बुरी तरह से पिटाई की गई । उसी समय स्थानीय पुलिस अपनी जीप से घटनास्थल पर पहुंची और सभी चार घायल व्यक्तियों को स्वरकुंडला सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित

किया गया, जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लेखबद्ध किया गया । उसी समय यह तथ्य प्रकट हुआ कि पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे की अस्पताल में उन्हें हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई है । उस प्रक्रम पर यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि उसी तारीख, अर्थात् 18 अप्रैल, 2001 को पंच साक्षी श्री रजनी कांत शाह, जो मुम्बई से पुलिस दल के साथ यात्रा करके आया था, की भी उसे हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् सक्षम दांडिक न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । चूंकि यह मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है इसलिए उक्त मामले को उस संबद्ध सेशन न्यायाधीश को विचारण हेतु सौंपा गया, जिसके पास उक्त मामले का विचारण करने के अधिकारिता मौजूद थी । तारीख 19 अगस्त, 2006 को अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए जो प्रदर्श-61 के रूप में चिह्नित हैं । प्रत्येक अभियुक्त ने, उस पर लगे आरोप से इनकार किया और इसलिए विधि की प्रक्रिया के अनुसार उनके विरुद्ध विचारण आरंभ किया गया । तथापि, अभिलेख से यह तथ्य प्रकट होता है कि चूंकि प्रति मामले में एक गोली लगने के कारण हुई क्षति से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और उक्त गोली पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे द्वारा चलाई गई थी, जिसकी स्वयं उसे हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी, अन्वेषण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई मामले के शमन संबंधी रिपोर्ट को विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा उनके तारीख 9 मार्च, 2016 के एक आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । अतः, प्रति मामलों में आगे विचारण नहीं चलाया गया । अभियोजन पक्ष ने कुल 30 साक्षियां की परीक्षा की और अंत में अभियोजन पक्ष ने मामले को समाप्त करते हुए पुरशिस फाइल की । अभियुक्त व्यक्तियों ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की संवीक्षा करने और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराते

हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपीलें फाइल की गई हैं । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की समुचित रूप से सुनवाई करने तथा अभिलेख पर विद्यमान सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् अपीलों को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, चिकित्सा अधिकारियों और अन्वेषण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्यों का परिशीलन किया । उच्च न्यायालय ने पंचनामों पर भी भली-भांति विचार किया तथा पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे की शव-परीक्षा संबंधी टिप्पण, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की सीरम विज्ञान संबंधी रिपोर्ट और साथ ही सेशन न्यायालय के अभिलेख और कार्यवाहियों पर भी विचार किया । इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद विद्यमान नहीं है कि प्रश्नगत घटना, जो तारीख 18 अप्रैल, 2001 को घटित हुई थी, में चार व्यक्तियों, अर्थात् उस पुलिस दल, जो मुम्बई से फरार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जयदीप की निशानदेही पर हीरों की अभिकथित लूट के मुदम्मल की बरामदगी के लिए ग्राम मेकड़ा आया था, के दो सदस्यों और अभियुक्त पक्ष के दो व्यक्तियों की जान गई थी । इस तथ्य को सभी संदेहों से परे साबित कर दिया गया है कि शिकायतकर्ता लक्षमण खामकर, पुलिस उप निरीक्षक श्री नंद कुमार जी. डेथे, पुलिस कांस्टेबल श्री दीपक कुमार डिनदोषी पुलिस थाने में सीआर सं. 5/2001 के रूप में रजिस्ट्रीकृत शिकायत का मूल शिकायतकर्ता, श्री वलीशा रहीमशा साई, मुम्बई से स्थानीय पंच साक्षी श्री रजनीकांत शाह और एक अन्य पंच साक्षी श्री शिंदे भी एक प्राइवेट यान टाटा सूमो में और अपराध का अभियुक्त, अर्थात् जयदीप अपनी पत्नी और अप्राप्तवय पुत्री के साथ एक जीप में बैठकर तालुक स्वरकुंडला में स्थित ग्राम मेकड़ा आए थे । ये पूरा दल प्रात: लगभग 6.00 बजे ग्राम मेकड़ा पहुंचा था और वे जयदीप के घर और उसके नातेदारों के संबंध में पूछताछ कर रहे थे । उसी समय, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कथन किया गया है, 20 से 25 व्यक्तियों का एक दल, जिसमें ग्राम का सरपंच, उसका भाई और जयदीप का बड़ा भाई, जिसके हाथ में चाकू था,

वहां आया और उसने पुलिस दल पर हमला कर दिया । यद्यपि, उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया है कि पुलिस निरीक्षक श्री डेथे ने सर्वप्रथम गोली चलाई थी, तथापि, उसने न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को प्रकट नहीं किया है । इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद विद्यमान नहीं है कि यद्यपि, जयदीप के नाम को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है, किन्तु, यदि उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की संवीक्षा की जाए तो यह प्रतीत होता है कि उसने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि वह सरपंच से परिचित था क्योंकि जयदीप, जो उसके साथ मुम्बई से यात्रा करके ग्राम मेकड़ा आया था, ने उस व्यक्ति का सरपंच के रूप में परिचय दिया था । उसने ऐसे अन्य व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को नामित्त नहीं किया था, जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजित किया गया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा शनाख्त परेड का आयोजन नहीं किया गया और वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों में से किसी भी अभियुक्त की शनाख्त करने में असमर्थ था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह सटीक रूप से यह कथन करने में असमर्थ है कि किस विशिष्ट अभियुक्त ने अभिकथित रूप से किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया और किस अभियुक्त ने मृतकों, अर्थात् पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे और श्री रजनीकांत शाह पर प्रहार किए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसे जयदीप और शिवराज (जयेश **उर्फ** जयदीप के मृतक भाई) के अलावा किसी भी अन्य अभियुक्त का नाम ज्ञात नहीं था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने स्वरकुंडला सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सा अधिकारी के समक्ष किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं लिया था । इसी प्रकार का कथन अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् दीपक कांबले द्वारा प्रस्तुत किया गया है । वह साक्षी भी यह कथन करने में असमर्थ है कि किस अभियुक्त द्वारा विशिष्ट रूप से किस हथियार का प्रयोग किया गया और किस अभियुक्त ने किस व्यक्ति पर प्रहार किया था । यह सत्य है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उसने न्यायालय के कक्ष में उपस्थित अभियुक्त

व्यक्तियों की शनाख्त की थी, तथापि, वह यह कथन करने में असमर्थ है कि किस अभियुक्त ने किस किस्म के हथियार का प्रयोग किया था और किस अभियुक्त ने किस मृतक या किसी अन्य घायल साक्षी पर प्रहार किया था । तीसरे साक्षी, अर्थात् श्री वलीशा साई ने भी किसी भी अभियुक्त व्यक्ति का नाम नहीं लिया है और वह किसी भी अभियुक्त की शनाख्त करने में असमर्थ है । वह अपराध में अभिकथित रूप से प्रयुक्त की शनाख्त करने में भी असमर्थ है । इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह विद्यमान नहीं है कि ये तीनों साक्षी मुम्बई, महाराष्ट्र से हैं और उनमें से किसी ने भी घटना से पहले अभियुक्त व्यक्तियों को नहीं देखा था और इसलिए अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह ग्रामीणों को अभिकथित अपराध में संलिप्त करने से पूर्व शनाख्त परेड का आयोजन करता । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया है कि 20 से 25 व्यक्तियों की भीड़ ने पुलिस दल पर हमला किया था, तथापि, अन्वेषण अभिकरण ने केवल 10 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और अन्वेषण अभिकरण इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में असफल रहा है कि उसने उक्त गिरफ्तारियां किस आधार पर की और वह भी घटना के दो दिन पश्चात् । वर्तमान मामले में इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह विद्यमान नहीं है और स्वयं साक्षियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को पहली बार घटना के समय देखा था और उसके पश्चात् उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को विचारण के दौरान, अर्थात् 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् देखा था और इसलिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से एक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष साधारण रूप से उनकी शनाख्त किया जाना उच्च न्यायालय की राय में इस संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या उक्त आपराधिक मामले में वास्तविक हमलावरों को संलिप्त किया गया है अथवा नहीं ? यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि अपीलार्थियों में से एक अपीलार्थी, अर्थात् भभलूभाई की निशानदेही पर एक तलवार की बरामदगी की गई है, तथापि, किसी भी साक्षी ने यह अभिकथन नहीं किया है कि उक्त भभलूभाई ने मृतकों में से किसी पर या घायल साक्षियों में से किसी पर उक्त तलवार से प्रहार

किया था । अतः ऐसे अन्य साक्ष्य, जो अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं करता, पर विचार करते हुए, स्वयं अभियुक्त की निशानदेही पर तलवार की बरामदगी उसे दोषी सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है और इसलिए केवल इस आधार पर उसके विरुद्ध दंडादेश पारित नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार का सिद्धांत ऐसे अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी लागू होता है, जिनसे घटना के दो दिन पश्चात् हथियारों की बरामदगी की गई थी और वह भी एक संयुक्त पंचनामे के माध्यम से । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की परीक्षा की है, किन्तु अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री की अनुपस्थिति में और ऊपर चर्चा किए गए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों को विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था । अतः उच्च न्यायालय की राय यह है कि अपीलों पर समुचित रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है । परिणामतः और ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दांडिक अपीलों को मंजूर किया जाता है । विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अमरेली द्वारा वर्ष 2001 के सेशन मामला सं. 2001 में दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 224, 225, 302, 307, 324, 325, 326, 332, 333, 397 और 398 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 12 फरवरी, 2016 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त सं. 2 भभलूभाई नाजभाई धाधल, अभियुक्त सं. 8 जेठाभाई पीठाभाई हेलैया, अभियुक्त सं. 10 परषोत्तमभाई धूसाभाई गोराड़िया (दांडिक अपील सं. 609/2016 के अपीलार्थी) और अभियुक्त सं. 7 -कानाभाई गोविन्दभाई जोगराणा (दांडिक अपील सं. 739/2016 के अपीलार्थी) को तुरन्त कारावास से निर्मुक्त किया जाए, यदि किसी अन्य मामले में वे अपेक्षित नहीं है । उनके द्वारा संदत्त जुर्माने, यदि कोई हो, के संबंध में यह आदेश दिया जाता है कि उसका उन्हें प्रतिसंदाय किया जाए । रजिस्ट्री को यह निदेश दिया जाता है कि वह तुरन्त मामले से संबद्ध अभिलेख को वापस विचारण न्यायालय को भेज दे । (पैरा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 9)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 4 जी. एल. आर. 3017 :
रमणभाई भीखाभाई माछी बनाम **गुजरात राज्य** ; 5.7

[2012] (2012) 3 जी. एल. आर. 2250 :
रमेशभाई हाजाभाई छाछिया बनाम **गुजरात राज्य** ; 5.8

[2002] (2002) 2 एस. सी. सी. 556 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 820 :
भूपन बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 5.8

[2001] (2001) 8 एस. सी. सी. 690 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 4024 :
चंद्रशेखर बिंद और अन्य बनाम **बिहार राज्य** ; 5.8

[1982] (1982) 1 एस. सी. सी. 700 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 839 :
मोहनलाल गंगाराम गेहानी बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 5.7

[1979] (1979) 3 एस. सी. सी. 319 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1127 :
करण और अन्य बनाम **केरल राज्य** । 5.7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की पुनरीक्षण/दांडिक अपील सं. 609.

वर्तमान दांडिक अपीलें विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अमरेली द्वारा सेशन मामला सं. 294/2001 में तारीख 12 फरवरी, 2016 को पारित निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई हैं ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री योगेश लखानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, ध्रुविन पी. भूपतानी और ऋतुराज नानावटी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री धर्मेश देवनानी, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. जे. देसाई ने दिया ।

न्या. देसाई – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 374 के अधीन फाइल की गई वर्तमान दांडिक अपीलों के माध्यम से अपीलार्थियों, जो कि मूल रूप से अभियुक्त थे, ने विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अमरेली द्वारा सेशन मामला सं. 294/2001 में तारीख 12 फरवरी, 2016 को पारित उस निर्णय और दंडादेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 224, 225, 302, 307, 324, 325, 326, 332, 333, 397 और 398 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया और उनके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास ; धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 2,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा, इसके अतिरिक्त, दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दंडनीय अपराध को करने के लिए उनके विरुद्ध तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 500/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा । इसके अलावा दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए उनके विरुद्ध तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें चार मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा और दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 224 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में

व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें चार मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा । इसके अलावा, अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 225 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए उनके विरुद्ध दो वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें चार मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा तथा दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए उनके विरुद्ध तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 2,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा तथा दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए उनके विरुद्ध तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 2,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 2,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा और दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 332 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए उनके विरुद्ध तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 2,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा तथा दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 333 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए उनके विरुद्ध तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही 2,000/- रुपए का

जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों-अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 397 के अधीन दंडनीय अपराध को करने के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 398 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए उनके विरुद्ध सात वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया । वर्तमान दांडिक अपील को तारीख 15 जून, 2016 को स्वीकार किया गया जबकि दांडिक अपील सं. 739/2016 को तारीख 4 जुलाई, 2016 को स्वीकार किया गया । उसके पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा मामले के अभिलेख और कार्यवाहियों संबंधी विवरण को पेपरबुक के साथ उच्च न्यायालय को भेजा गया ।

2. कुल मिलाकर दस व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 224, 225, 302, 307, 324, 325, 326, 332, 333, 397 और 398 तथा गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अमरेली द्वारा सेशन मामला सं. 294/2001 के अंतर्गत अभियोजित किया गया । विचारण के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त सं. 5 विक्रमभाई भागुभाई पटगिर और अभियुक्त सं. 9 हरजीत पीठाभाई हेलैया की मृत्यु हो गई और इस प्रकार शेष आठ अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण को पूरा किया गया । निर्णय की तारीख को अभियुक्त सं. 3 खोदूभाई बाबूभाई खूमन की भी मृत्यु हो गई । अतः, उक्त सेशन विचारण के संबंध में तीन भिन्न-भिन्न अपीलें फाइल की गईं, अर्थात् दांडिक अपील सं. 609/2016 जिसे (1) भभलू नाजभाई धाधल, (2) वालकूभाई रामभाई लूणसर, (3) छगनभाई कालाभाई कनसागरा, (4) जेठाभाई पीठाभाई हेलिया और (5) परषोत्तमभाई धूसाभाई गोराडिया द्वारा फाइल किया गया, दांडिक अपील सं. 739/2016 जिसे कानाभाई गोविंदभाई जोगराणा द्वारा फाइल किया गया तथा दांडिक अपील सं. 604/2016 जिसे जयेश **उर्फ** जयदीप पूंजाभाई खुमन द्वारा फाइल किया गया । दांडिक अपील सं. 609/2016 के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी

सं. 2 वालकूभाई रामभाई लूणसर और अपीलार्थी सं. 3 छगनभाई कालाभाई कनसागरा की भी मृत्यु हो गई । अतः, दांडिक अपील सं. 609/2016 पर अपीलार्थी सं. 2 और 3 के संबंध में कार्यवाही न करते हुए उसका शमन किया गया ।

इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि मूल अभियुक्त सं. 1, अर्थात् जयेश **उर्फ** जयदीप पूंजाभाई खुमन को दांडिक अपील लंबित रहने के दौरान अस्थायी जमानत मंजूर की गई और उसके पश्चात् वह तारीख 3 अगस्त, 2018 से फरार हो गया और इसलिए हमने दांडिक अपील सं. 604/2016 पर विचारण नहीं किया है ।

3. अभिलेख पर उपलब्ध मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं –

3.1 तारीख 18 अप्रैल, 2001 को अमरेली जिला के स्वरकुंडला तालुक के मेकड़ा ग्राम में मुम्बई, महाराष्ट्र के डिनदोषी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों तथा अमरेली जिला के पुलिस अधिकारियों और साथ ही पूर्वोक्त ग्राम में निवास करने वाले ग्रामीणों के बीच प्रातः 6.00 बजे के लगभग एक अप्रिय घटना घटित हुई । कुल मिलाकर चार व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई जिसमें महाराष्ट्र का एक पुलिस अधिकारी और एक पंच साक्षी भी सम्मिलित था, जो महाराष्ट्र के पुलिस दल के साथ मुम्बई से घटनास्थल पर आया था और इसके अतिरिक्त अभियुक्त पक्ष की ओर से भी दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई । स्वरकुंडला नगर पुलिस थाना में, उस पुलिस अधिकारी, जिसने अभिकथित रूप से सर्वप्रथम गोली चलाई और जिसने उक्त घटना के दौरान अपनी जान भी गंवाई, के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक दांडिक मामला सं. 7/2001 रजिस्टर किया गया जबकि उसी पुलिस थाने में एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो आईसीआर सं. 8/2001 के रूप में है, को रजिस्टर किया गया, जिसमें जयेश **उर्फ** जयदीप, ग्राम मेकड़ा के सरपंच, उसके भाई और जयेश **उर्फ** जयदीप के भाई (जिनको प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित्त नहीं किया गया था और जिन्होंने उक्त घटना के दौरान अपनी जान गंवाई थी) को नामजद किया गया, जो कि भीड़ का एक भाग थे । हम मुख्य रूप से स्वरकुंडला पुलिस थाने में रजिस्टर

की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट आईसीआर सं. 8/2001 के संबंध में कार्यवाही करेंगे ।

3.2 लक्षमण रामचंद्र खामकर, जो मलाड (पूर्व) के डिनदोषी पुलिस थाना, मुम्बई, महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्य कर रहा था, ने यह घोषणा करते हुए स्वरकुंडला पुलिस थाने में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई कि तारीख 15 अप्रैल, 2001 को रात्रि लगभग 11.30 बजे वह एक पुलिस दल के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सीआर सं. 500/2000, जिसे डिनदोषी पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 392, 394, 395 आदि के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए रजिस्टर किया गया था, के संबंध में मुद्दमल की बरामदगी के लिए जयेश **उर्फ** जयदीप खुमन नामक एक व्यक्ति के साथ मुम्बई से रवाना हुए । पुलिस उप निरीक्षक श्री नंद कुमार डेथे, पुलिस कांस्टेबल श्री दीपकभाई बाबा साहेब कांबले, डिनदोषी पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत सीआर सं. 500/2000 के शिकायतकर्ता श्री वलीशा रहीमशा साई, एक पंच साक्षी, अर्थात् रजनीकांत शाह, जो मुम्बई का निवासी था (जिसकी मृत्यु भी उक्त घटना के दौरान हो गई थी) और साथ ही एक अन्य पंच चालक श्री शिंदे ने मुम्बई से एक प्राइवेट टाटा सूमो यान को किराए पर लिया । अभियुक्त जयदीप, जिसे गिरफ्तार किया गया था और जो उक्त अपराध में अपनी पत्नी के साथ अभियुक्त था, भी उक्त यान में सवार था ।

3.3 जब वे तारीख 18 अप्रैल, 2001 को प्रात: 6.00 बजे के लगभग मेकड़ा ग्राम पहुंचे और जब वे जयदीप के घर और उसके नातेदारों के संबंध में पूछताछ कर रहे थे तो उसी समय अकस्मात् 20 से 25 व्यक्तियों की एक भीड़ वहां आ गई, जिसमें ग्राम मेकड़ा का सरपंच, सरपंच का भाई, ग्राम के दो-तीन वृद्ध व्यक्ति और जयदीप का बड़ा भाई सम्मिलित था और जो घातक हथियारों, जैसे कि कुल्हाड़ी, डंडों, तलवारों आदि से लैस थे । जयदीप के भाई के हाथों में एक चाकू था और उन सब ने मिलकर अपने हथियारों से पुलिस दल पर इस आशय से हमला किया कि वे जयदीप को छुड़ा लें । उस समय मुम्बई से आए पुलिस दल को बचाने के लिए पुलिस उप निरीक्षक डेथे ने अपनी सर्विस

रिवाल्वर से गोली चलाई किन्तु उसी समय जयदीप के भाई ने पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे से उनकी सर्विस रिवाल्वर छीन ली और उसके पश्चात् भीड़ में शामिल व्यक्तियों ने पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे की लात-घूसों से बुरी तरह पिटाई की, स्वयं शिकायतकर्ता और एक अन्य हेड कांस्टेबल श्री कांबले, चालक श्री शिंदे की भी बुरी तरह से पिटाई की गई । उसी समय स्थानीय पुलिस अपनी जीप से घटनास्थल पर पहुंची और सभी चार घायल व्यक्तियों को स्वरकुंडला सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लेखबद्ध किया गया । उसी समय यह तथ्य प्रकट हुआ कि पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे की अस्पताल में उन्हें हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई है । उस प्रक्रम पर यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि उसी तारीख, अर्थात् 18 अप्रैल, 2001 को पंच साक्षी श्री रजनीकांत शाह, जो मुम्बई से पुलिस दल के साथ यात्रा करके आया था, की भी उसे हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई ।

3.4 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् सक्षम दांडिक न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । चूंकि यह मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है इसलिए उक्त मामले को उस संबद्ध सेशन न्यायाधीश को विचारण हेतु सौंपा गया, जिसके पास उक्त मामले का विचारण करने के अधिकारिता मौजूद थी ।

3.5 तारीख 19 अगस्त, 2006 को अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए जो प्रदर्श-61 के रूप में चिह्नित हैं । प्रत्येक अभियुक्त ने, उस पर लगे आरोप से इनकार किया और इसलिए विधि की प्रक्रिया के अनुसार उनके विरुद्ध विचारण आरंभ किया गया ।

3.6 प्रारंभ में, वर्तमान मामले में अभियुक्त व्यक्तियों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश से यह अनुरोध किया कि वे दोनों मामलों, अर्थात् सीआर सं. 7/2001 तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट आईसीआर सं. 8/2001 से उद्भूत होने वाले मामलों

का संयुक्त रूप से विचारण करें, किन्तु विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उक्त अनुरोध को नामंजूर कर दिया । तथापि, अभिलेख से यह तथ्य प्रकट होता है कि चूंकि प्रति मामले में एक गोली लगने के कारण हुई क्षति से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और उक्त गोली पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे द्वारा चलाई गई थी, जिसकी स्वयं उसे हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी, अन्वेषण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई मामले के शमन संबंधी रिपोर्ट को विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा उनके तारीख 9 मार्च, 2016 के एक आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । अत:, प्रति मामलों में आगे विचारण नहीं चलाया गया ।

3.7 अभियोजन पक्ष ने कुल 30 साक्षियों की परीक्षा की और अंत में अभियोजन पक्ष ने मामले को समाप्त करते हुए पुरशिस फाइल की । अभियुक्त व्यक्तियों ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की संवीक्षा करने और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात् ऊपर कथित किए गए अनुसार अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपीलें फाइल की गई हैं ।

4. दांडिक अपील सं. 609/2016 के अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री योगेश एस. लखानी विद्वान् अधिवक्ता श्री ध्रुविन भूपतानी के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और दांडिक अपील सं. 739/2016 के अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री ऋतुराज नानावटी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं ।

5. विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को सिद्धदोष ठहराकर गंभीर त्रुटि कारित की है । उन्होंने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-151) में नामित्त नहीं किया गया था । उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की है कि घटना के तुरंत पश्चात् लेखबद्ध की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों में यह अभिकथन किया गया है कि सरपंच और जयदीप के

भाई ने पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे पर घूसों से वार किया । इसी प्रकार जयदीप के भाई, अर्थात् शिवराज की मृत्यु, उसे वह गोली लगने के कारण हुई जिसे पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे के कहने पर चलाया गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किसी भी अन्य अभियुक्त को नामित्त नहीं किया गया है । विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी भी अभियुक्त की शनाख्त करने के लिए कोई शनाख्त परीक्षा परेड (टीआई परेड) नहीं कराई गई ।

5.1 विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने हमारा ध्यान शिकायतकर्ता लक्षमण रामचंद्र खामकर (अभि. सा. 8, प्रदर्श-150) द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की ओर आकर्षित करते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि शिकायतकर्ता ने उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में काफी सुधार किए गए हैं और इस तथ्य को उसकी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से और साथ ही लेखक श्री मुकेश कुमार बलवंतराय जानी (अभि. सा. 28, प्रदर्श-220), जो अन्वेषण अधिकारी श्री सी. आर. वंडरवाला, जिसका विचारण के लंबित रहने के दौरान देहांत हो गया था, का लेखक कांस्टेबल है, के अभिसाक्ष्य से भली-भांति स्थापित होता है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय को इस तथ्य का मूल्यांकन करते हुए उसे विचार में लेना चाहिए कि एक अभियुक्त, अर्थात् जयदीप, जो मूल रूप से डिनदोषी पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत अपराध का अभियुक्त था और जो अभिरक्षा के अधीन मुम्बई से पुलिस दल के साथ यात्रा करके अमरेली पहुंचा था, उस पुलिस दल, जो मुम्बई से आया था, के सभी व्यक्तियों से भली-भांति परिचित था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि प्रतिपरीक्षा से यह तथ्य स्थापित होता है कि जब अभिकथित रूप से भीड़ द्वारा पुलिस दल पर हमला किया गया था, उस समय जयदीप अपनी पत्नी और अपनी पुत्री, जिसकी आयु मात्र 3 वर्ष थी, के साथ जीप में बैठा था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि जयदीप और मुम्बई से आया मृतक पंचसाक्षी श्री रजनीकांत शाह जीप से उतरे थे किन्तु उन्होंने किसी को नहीं देखा और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि जयदीप के हाथ में एक डंडा था ।

तथापि, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब जयदीप जीप से बाहर आया था तो उस समय उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने यह अभिकथन नहीं किया है कि जयदीप ने शिकायतकर्ता लक्षमण खामकर पर डंडे से प्रहार किया था । हालांकि उसने यह कथन नहीं किया है कि जयदीप ने किसी भी मृतक या शिकायतकर्ता और अन्य घायल साक्षी, अर्थात् दीपक कांबले पर डंडे से प्रहार नहीं किया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि शिकायतकर्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब चिकित्सा अधिकारी को इतिवृत्त बताया गया तो उस समय इन ब्यौरों का वर्णन नहीं किया गया था कि किस व्यक्ति ने किस दूसरे व्यक्ति पर किस हथियार से प्रहार करके उसे क्षति कारित की । इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि वह उस अभियुक्त की शनाख्त करने में असमर्थ है जिसने उस पर प्रहार किए थे । वह केवल जयदीप और उसके भाई शिवराज के नाम से परिचित है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह यह कथन करने में असमर्थ है कि किस अभियुक्त के पास किस किस्म का हथियार मौजूद था । इस प्रकार, विद्वान् काउंसेल ने अंततः यह दलील प्रस्तुत की कि टीआई परेड की अनुपस्थिति में और जयदीप के सिवाय किसी भी अन्य अभियुक्त की, जो अन्यथा शिकायतकर्ता से भली-भांति परिचित थे, शनाख्त न होने के कारण विचारण न्यायालय को इस साक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए किसी भी अभियुक्त को सिद्धदोष नहीं ठहराना चाहिए था । हालांकि यह भी सत्य है कि उसे स्वयं क्षतियां कारित हुई हैं ।

5.2 विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने हमारा ध्यान एक अन्य पुलिस कांस्टेबल श्री दीपकभाई बाबासाहेब कांबले (अभि. सा. 6, प्रदर्श-145), जो मुम्बई से पुलिस दल के साथ यात्रा करके वहां आया था, द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य की ओर आकर्षित करते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सरपंच के हाथ में एक डंडा मौजूद था और मृतक शिवराज,

जिसे जयदीप के भाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के हाथ में एक तलवार थी और उन दोनों ने मिलकर पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे पर हमला किया था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि इस साक्षी के अनुसार अन्वेषण अभिकरण द्वारा किसी प्रकार की टीआई परेड का आयोजन नहीं किया गया । इसके पश्चात्, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अभियुक्त जयदीप, जो इस साक्षी से परिचित था, क्योंकि वह इस साक्षी के साथ मुम्बई से कार में यात्रा करके घटनास्थल पर पहुंचा था, के सिवाय यह साक्षी किसी अन्य अभियुक्त से परिचित नहीं था, तथापि, साधारण रूप से उसने पहली बार न्यायालय में यह कथन करते हुए अभियुक्त की शनाख्त की है कि न्यायालय में उपस्थित सभी अभियुक्तों ने मिलकर उन पर हमला किया था, किन्तु उक्त साक्षी यह वर्णन करने में या इस संबंध में किसी अभियुक्त की विशिष्ट रूप से शनाख्त करने में असफल रहा है कि किस अभियुक्त ने किस व्यक्ति पर किस प्रकार और किस हथियार से प्रहार किया था । विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि साक्षी ने अपराध की तारीख से दस वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् पहली बार न्यायालय में सभी अभियुक्तों को देखा है । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उक्त अभियुक्तों में से किसी को भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित्त नहीं किया गया है और वह यह कथन करने में असमर्थ है कि किस अभियुक्त ने अपराध के दौरान किस हथियार का प्रयोग किया था । उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि वह निश्चित रूप से यह कथन नहीं कर सकता कि उस पर किस अभियुक्त ने हमला किया था और साथ ही वह यह बताने में भी असमर्थ था कि उसके दल के अन्य सदस्यों पर किस अभियुक्त ने हमला किया था । उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब वे ग्राम मेकड़ा गऐ थे तो उन्होंने पुलिस की वर्दी धारण नहीं की हुई थी । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई मृत्युकालिक घोषणा (प्रदर्श-146) जिसे तारीख 18 अप्रैल, 2001

को लेखबद्ध किया गया था (जिसे अब मृत्युकालिक घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता), में भी उसने मृतक सरपंच और मृतक शिवराज, जो कि जयदीप का भाई था, के सिवाय किसी अन्य अभियुक्त के नाम को निर्दिष्ट नहीं किया था ।

5.3 विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने हमारा ध्यान एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् वलीशा रहीमशा साई (अभि. सा. 7, प्रदर्श-147), जो डिनदोषी पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत सीआर. सं. 500/2000 का शिकायतकर्ता है, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की ओर आकर्षित करते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि उक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी किसी भी अभियुक्त की शनाख्त करने में असमर्थ है और अन्वेषण अभिकरण द्वारा किसी प्रकार की टीआई परेड का भी आयोजन नहीं कराया गया । विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने इस प्रकार यह दलील प्रस्तुत की है कि अभियोजन पक्ष किसी भी अभियुक्त, जिसके अंतर्गत शेष बचे अपीलार्थी-सिद्धदोष व्यक्ति भी हैं, के विरुद्ध अपने पक्षकथन और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभिकथित अपराध में निभाई गई भूमिका के संबंध में अपने पक्षकथन को साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है ।

5.4 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने हमारा ध्यान गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श-168) और भभलूभाई (जो अपीलार्थियों में से एक है) के कहने पर तैयार किए गए प्रकटीकरण पंचनामे (प्रदर्श-169) की ओर आकर्षित करते हुए यह भी दलील प्रस्तुत की है कि उक्त पंचानामे घटना की तारीख, अर्थात् तारीख 20 अप्रैल, 2001 के दो दिन पश्चात् अपराह्न 3.45 बजे से 4.30 बजे के बीच तैयार किए गए थे । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि पंचनामों के परिशीलन से यह सुझाव प्राप्त होता है कि भभलूभाई के बाएं हाथ के अंगूठे पर क्षतियां कारित हुई थीं और उक्त क्षतियों पर पट्टी की गई थी और इसके अतिरिक्त, भभलूभाई की छाती के बाईं ओर एक मामूली क्षति भी कारित हुई थी । उसकी निशानदेही पर एक हथियार, अर्थात् एक तलवार की बरामदगी की गई थी, जिस पर रक्त के चिह्न पाए गए थे और उक्त तलवार को विश्लेषण हेतु न्यायालयिक विज्ञान

प्रयोगशाला में भेजा गया था । विद्वान् काउंसेल ने उसके पश्चात् यह दलील प्रस्तुत की है कि यद्यपि तलवार को भभलूभाई की निशानदेही पर बरामद किया गया है किन्तु किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह अभिकथन नहीं किया है कि भभलूभाई ने किसी भी मृतक या किसी अन्य घायल व्यक्ति पर तलवार से प्रहार किया था । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि अन्य आठ व्यक्तियों को तारीख 20 अप्रैल, 2001 को गिरफ्तार किया गया था, उनकी गिरफ्तारी के संबंध में एक सामान्य पंचनामा (प्रदर्श-169) तैयार किया गया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी और अपराध में प्रयुक्त किए जाने वाले अभिकथित हथियारों की प्रस्तुती को भी सम्मिलित किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने इसके पश्चात् यह दलील प्रस्तुत की है कि सभी अभियुक्तों को घटना के दो दिन पश्चात् एक ही स्थान, अर्थात् एक मंदिर के निकट स्थित खुले स्थान से गिरफ्तार किया गया था । उसके पश्चात् विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि इस प्रकार की गिरफ्तारी और हथियारों आदि की बरामदगी से पंचानामों को तैयार करने की पद्धति और रीति के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है । इसके आगे विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि इस बात पर विश्वास करना कठिन प्रतीत होता है कि अभियुक्त दो दिन तक अपने वस्त्र नहीं बदलेंगे और सभी अभियुक्त एक साथ एक ही स्थान पर पाए जाएंगे । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि अभियुक्त जयदीप के संबंध में कोई गिरफ्तारी पंचनामा तैयार नहीं किया गया है । इसके पश्चात्, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा वस्त्रों या हथियारों की कोई बरामदगी नहीं की गई है । अन्वेषण अभिकरण द्वारा अपनाई गई इस प्रकार की प्रक्रिया से अभियोजन के पक्षकथन के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है ।

5.5 अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने दो चिकित्सा अधिकारी, अर्थात् डा. शोभनाबेन मनुभाई मेहता (अभि. सा. 19, प्रदर्श-181) और डा. अश्विन कुमार देवराजभाई टांक (अभि. सा. 20, प्रदर्श-184) की

परीक्षा की है फिर भी श्री रजनीकांत शाह के संबंध में की गई शव-परीक्षा संबंधी टिप्पण को अभिलेख पर नहीं रखा गया है । डा. शोभनाबेन (अभि. सा. 19, प्रदर्श-181) ने पुलिस उप निरीक्षक श्री नंद कुमार डेथे की शव-परीक्षा संबंधी एक टिप्पण को निर्दिष्ट किया है, जिस पर उसने डा. अश्विन कुमार टांक (अभि. सा. 20, प्रदर्श-184) के साथ हस्ताक्षर किए थे, तथापि, दिल्लूभाई नाजभाई (सरपंच) की शव-परीक्षा संबंधी टिप्पण (प्रदर्श-182) से यह सुझाव प्राप्त होता है कि दिल्लूभाई की मृत्यु एक गोली लगने के कारण हुए घाव से हुई थी, तथापि, अभिलेख पर श्री रजनीकांत शाह को कारित की गई क्षतियों संबंधी कोई प्रमाणपत्र या ऐसा शव-परीक्षा टिप्पण, जिसमें उसे आई क्षतियों का वर्णन किया गया हो, अभिलेख पर नहीं रखा गया है और इसलिए रजनीकांत शाह की मृत्यु के कारण के संबंध में प्रश्नचिह्न विद्यमान है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि श्री रजनीकांत शाह के रक्त के नमूने, जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाना चाहिए था, को जांच और राय हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि मृतक श्री रजनीकांत शाह द्वारा पहने हुए वस्त्रों का किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नमूना प्राप्त किया गया था तथा उसे न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को भी भेजा गया था, किन्तु उक्त पुलिस अधिकारी की अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई । इन सभी त्रुटियों की न्यायालय द्वारा अनदेखी नहीं की जा सकती, विशेष रूप से उस समय जब अभियुक्त द्वारा अन्वेषण की रीति और पद्धति के संबंध में गंभीर आरोप प्रस्तुत किए गए हैं ।

5.6 विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि अभिलेख के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे का पांच मिली लीटर रक्त नमूना एकत्रित किया गया था, तथापि, अभिलेख पर इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रयोगशाला को केवल तीन मिली लीटर रक्त प्राप्त हुआ था और इस प्रकार अन्वेषण अधिकारी का यह दायित्व है कि वह उस कारण को स्पष्ट करे, जिसके कारण अन्वेषण के दौरान एकत्रित और सीलबंद किए गए रक्त नमूने की कम मात्रा को विश्लेषण हेतु भेजा गया था ।

5.7 विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने टीआई परेड का आयोजन न कराए जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई अपनी पहली दलील के समर्थन में **मोहनलाल गंगाराम गेहानी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] और **करण और अन्य** बनाम **केरल राज्य**[2] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि उपरोक्त दोनों मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब साक्षी (साक्षियों) के पास अभियुक्त, जिसने अभिकथित रूप से अपराध में भाग लिया था, को जानने का अवसर मौजूद नहीं हो, वहां यद्यपि शनाख्त परेड एक द्वितीय साक्ष्य माना जाएगा किन्तु फिर भी वह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा और ऐसी शनाख्त परेड की अनुपस्थिति में, यदि कोई साक्षी पहली बार न्यायालय में ही अभियुक्त की शनाख्त करता है तो उसका कोई महत्व नहीं होगा और उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता । विद्वान् काउंसेल ने **रमणभाई भीखाभाई माछी** बनाम **गुजरात राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय न्यायपीठ के निर्णय का भी अवलंब लिया है ।

5.8 विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने **चंद्रशेखर बिंद और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[4] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां किसी मामले में बड़ी संख्या में अभियुक्तों ने अभिकथित आपराधिक घटना में भाग लिया है और अनेक व्यक्तियों ने उस घटना को देखा है तो ऐसी स्थिति में यह असुसंगत या अतर्कसंगत नहीं होगा कि इस परीक्षा को अपनाया जाए कि अभियुक्तों की दोषसिद्धि केवल तभी कायम रखी जा सकती है यदि अभियोजन के पक्षकथन को कम से कम दो या अधिक साक्षियों का समर्थन प्राप्त है और वह भी उस समय

---

[1] (1982) 1 एस. सी. सी. 700 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 839.

[2] (1979) 3 एस. सी. सी. 319 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1127.

[3] (2014) 4 जी. एल. आर. 3017.

[4] (2001) 8 एस. सी. सी. 690 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 4024.

जब विशिष्ट मामले में ऐसे साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय पाया जाता है । जहां तक सभी अभियुक्तों की निशानदेही पर हथियारों की बरामदगी से संबंधित दलील का संबंध है, विद्वान् काउंसेल ने **भूपन** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है । विद्वान् काउंसेल ने उक्त निर्णय का अवलंब लेते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए हमें यह प्रतीत होता है कि किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल हथियारों की बरामदगी पर आधारित नहीं हो सकती, यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध में संलिप्त होने से संबंधित अन्य पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं करता है । विद्वान् काउंसेल ने **रमेशभाई हाजाभाई छाछिया** बनाम **गुजरात राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया है । अतः, विद्वान् काउंसेल ने अंत में यह दलील प्रस्तुत की है कि दांडिक अपील सं. 609/2016 को मंजूर किया जाए ।

5.9 विद्वान् काउंसेल श्री लखानी ने गुजरात राज्य बनाम मुहम्मद फारिक हाजी मुहम्मद वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए अरिपोर्टित निर्णय का भी अवलंब लिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष के लिए यह दर्शित करना आवश्यक है कि मृतक के शरीर से कितनी मात्रा में रक्त एकत्रित किया गया था और अभियुक्त के शरीर से कितनी मात्रा में रक्त एकत्रित किया गया था और क्या रक्त की उतनी ही मात्रा विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला को भेजी गई थी । यदि रक्त को प्रयोगशाला भेजने से पूर्व, उसमें से कुछ मात्रा का उपयोग किया गया था तो अभियोजन पक्ष को निश्चित रूप से यह दर्शित करना चाहिए कि उक्त रक्त का प्रयोग किस प्रयोजन हेतु किया गया था या एकत्रित किए गए रक्त से कम मात्रा में रक्त को प्रयोगशाला क्यों भेजा गया था तथा अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसे

---

[1] (2002) 2 एस. सी. सी. 556 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 820.

[2] (2012) 3 जी. एल. आर. 2250.

किसी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में यह तथ्य अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक होगा ।

6. दांडिक अपील सं. 739/2016 के अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री ऋतुराज नानावटी ने विद्वान् काउंसेल श्री लखानी द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का समर्थन करते हुए उनको अपनाया है, तथापि, उन्होंने इसके अतिरिक्त यह दलील प्रस्तुत की है कि हथियार, अर्थात् डंडा, जिसे अपीलार्थी-कानागोबिंद की निशानदेही पर बरामद किया गया था, को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा हेतु भेजा गया था, तथापि, उक्त डंडे पर किसी भी मृतक के रक्तचिह्न नहीं पाए गए थे । अतः, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि दांडिक अपील सं. 739/2016 को मंजूर किया जाए तथा अपीलार्थी को निर्मुक्त किया जाए ।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री धर्मेश देवनानी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि शिकायतकर्ता लक्षमण रामचंद्र खामकर (अभि. सा. 8, प्रदर्श-150) ने न्यायालय कक्ष में भी अपीलार्थियों में से किसी की भी शनाख्त नहीं की है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि साक्षियों में से एक साक्षी, अर्थात् दीपक कांबले (अभि. सा. 6), पुलिस कांस्टेबल, मुम्बई ने यह अभिकथन करते हुए न्यायालय में सभी अभियुक्तों की शनाख्त की है कि उन सभी अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध घातक हथियारों जैसे कि डंडों, पाइपों, कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग किया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि केवल इस कारण से कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा शनाख्त परेड का आयोजन नहीं किया गया, अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन असफल नहीं हो सकता । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि किसी भीड़ में, जब अनेक व्यक्ति भाग लेते हैं और वे घातक हथियारों का प्रयोग करते हुए बिना सोचे-समझे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर प्रहार करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए, जो भयभीत है और जिसे क्षतियां कारित हुई हैं, यह स्मरण करना कठिन होगा कि

अपराध वास्तविक रूप से किस प्रकार घटित हुआ और अपराध में भाग लेने वाले प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किस हथियार का प्रयोग किया गया । अत:, विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील प्रस्तुत की है कि दांडिक अपील सं. 609/2016 के अपीलार्थियों की निशानदेही पर बरामद किए गए हथियारों पर मौजूद रक्तचिह्न, चाहे वे मृतक व्यक्तियों के हों अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों के, उनसे यह दर्शित होता है कि उक्त हथियारों का प्रयोग अपराध के दौरान किया गया था ।

7.1 विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी, भभलूभाई, जो प्रतिमामले का शिकायतकर्ता है, को भी घटना के दौरान क्षतियां कारित हुई थीं और अपराध के घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति उसके गिरफ्तारी पंचनामे से साबित की गई है । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि भभलूभाई की निशानदेही पर बरामद की गई तलवार पर पाए गए रक्तचिह्न मृतक श्री रजनीकांत शाह के हैं और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के माध्यम से की गई दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश को कायम रखा जाना अपेक्षित है ।

8. हमने संबंधित पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, चिकित्सा अधिकारियों और अन्वेषण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्यों का परिशीलन किया । हमने पंचनामों पर भी भली-भांति विचार किया तथा पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे की शव-परीक्षा संबंधी टिप्पण, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की सीरम विज्ञान संबंधी रिपोर्ट और साथ ही सेशन न्यायालय के अभिलेख और कार्यवाहियों पर भी विचार किया ।

8.1 इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद विद्यमान नहीं है कि प्रश्नगत घटना, जो तारीख 18 अप्रैल, 2001 को घटित हुई थी, में चार व्यक्तियों, अर्थात् उस पुलिस दल, जो मुम्बई से फरार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जयदीप की निशानदेही पर हीरों की अभिकथित लूट के मुदम्मल की बरामदगी के लिए ग्राम मेकड़ा आया था, के दो सदस्यों और अभियुक्त पक्ष के दो व्यक्तियों की जान गई थी । इस तथ्य को

सभी संदेहों से परे साबित कर दिया गया है कि शिकायतकर्ता लक्षमण खामकर (अभि. सा. 8), पुलिस उप निरीक्षक श्री नंद कुमार जी. डेथे, पुलिस कांस्टेबल श्री दीपक कुमार (अभि. सा. 6) डिनदोषी पुलिस थाने में सीआर सं. 5/2001 के रूप में रजिस्ट्रीकृत शिकायत का मूल शिकायतकर्ता, श्री वलीशा रहीमशा साई (अभि. सा. 7), मुम्बई से स्थानीय पंच साक्षी श्री रजनीकांत शाह और एक अन्य पंच साक्षी श्री शिंदे भी एक प्राइवेट यान टाटा सूमो में और अपराध का अभियुक्त, अर्थात् जयदीप अपनी पत्नी और अप्राप्तवय पुत्री के साथ एक जीप में बैठकर तालुक स्वरकुंडला में स्थित ग्राम मेकड़ा आए थे । ये पूरा दल प्रात: लगभग 6.00 बजे ग्राम मेकड़ा पहुंचा था और वे जयदीप के घर और उसके नातेदारों के संबंध में पूछताछ कर रहे थे । उसी समय, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-151) में कथन किया गया है, 20 से 25 व्यक्तियों का एक दल, जिसमें ग्राम का सरपंच, उसका भाई और जयदीप का बड़ा भाई, जिसके हाथ में चाकू था, वहां आया और उसने पुलिस दल पर हमला कर दिया । यद्यपि, उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया है कि पुलिस निरीक्षक श्री डेथे ने सर्वप्रथम गोली चलाई थी, तथापि, उसने न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को प्रकट नहीं किया है । इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद विद्यमान नहीं है कि यद्यपि, जयदीप के नाम को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है, किन्तु, यदि उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की संवीक्षा की जाए तो यह प्रतीत होता है कि उसने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि वह सरपंच से परिचित था क्योंकि जयदीप, जो उसके साथ मुम्बई से यात्रा करके ग्राम मेकड़ा आया था, ने उस व्यक्ति का सरपंच के रूप में परिचय दिया था । उसने ऐसे अन्य व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया था, जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजित किया गया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा शनाख्त परेड का आयोजन नहीं किया गया और वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों में से किसी भी अभियुक्त की शनाख्त करने में असमर्थ था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह सटीक रूप से यह

कथन करने में असमर्थ है कि किस विशिष्ट अभियुक्त ने अभिकथित रूप से किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया और किस अभियुक्त ने मृतकों, अर्थात् पुलिस उप निरीक्षक श्री डेथे और श्री रजनीकांत शाह पर प्रहार किए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसे जयदीप और शिवराज (जयेश **उर्फ** जयदीप के मृतक भाई) के अलावा किसी भी अन्य अभियुक्त का नाम ज्ञात नहीं था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने स्वरकुंडला सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सा अधिकारी के समक्ष किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं लिया था । इसी प्रकार का कथन अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् दीपक कांबले (अभि. सा. 6) द्वारा प्रस्तुत किया गया है । वह साक्षी भी यह कथन करने में असमर्थ है कि किस अभियुक्त द्वारा विशिष्ट रूप से किस हथियार का प्रयोग किया गया और किस अभियुक्त ने किस व्यक्ति पर प्रहार किया था । यह सत्य है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उसने न्यायालय के कक्ष में उपस्थित अभियुक्त व्यक्तियों की शनाख्त की थी, तथापि, वह यह कथन करने में असमर्थ है कि किस अभियुक्त ने किस किस्म के हथियार का प्रयोग किया था और किस अभियुक्त ने किस मृतक या किसी अन्य घायल साक्षी पर प्रहार किया था । तीसरे साक्षी, अर्थात् श्री वलीशा साई (अभि. सा. 7) ने भी किसी भी अभियुक्त व्यक्ति का नाम नहीं लिया है और वह किसी भी अभियुक्त की शनाख्त करने में असमर्थ है । वह अपराध में अभिकथित रूप से प्रयुक्त की गई तलवार की शनाख्त करने में भी असमर्थ है ।

8.2 इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह विद्यमान नहीं है कि ये तीनों साक्षी मुम्बई, महाराष्ट्र से हैं और उनमें से किसी ने भी घटना से पहले अभियुक्त व्यक्तियों को नहीं देखा था और इसलिए अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह ग्रामीणों को अभिकथित अपराध में संलिप्त करने से पूर्व शनाख्त परेड का आयोजन करता । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया है कि 20 से 25 व्यक्तियों की भीड़ ने पुलिस दल पर हमला किया था, तथापि, अन्वेषण अभिकरण ने केवल 10 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और अन्वेषण अभिकरण

इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में असफल रहा है कि उसने उक्त गिरफ्तारियां किस आधार पर कीं और वह भी घटना के दो दिन पश्चात् । ऐसी परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मोहन लाल गंगाराम गेहानी** (उपरोक्त) वाले मामले में दिया गया निर्णय लागू होगा । उक्त मामले में तथ्य भी वर्तमान मामले से काफी मिलते-जुलते थे । **करण और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्षी से अपरिचित अभियुक्तों के संबंध में शनाख्त परेड का आयोजन करने में असफल रहना और ऐसे साक्षियों द्वारा न्यायालय कक्ष में अभियुक्तों की शनाख्त किया जाना उनके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है और ऐसे परिसाक्ष्यों का परित्याग किया जाना अपेक्षित है । वर्तमान मामले में इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह विद्यमान नहीं है और स्वयं साक्षियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को पहली बार घटना के समय देखा था और उसके पश्चात् उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को विचारण के दौरान, अर्थात् 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् देखा था और इसलिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से एक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष साधारण रूप से उनकी शनाख्त किया जाना हमारी राय में इस संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या उक्त आपराधिक मामले में वास्तविक हमलावरों को संलिप्त किया गया है अथवा नहीं ? इसी प्रकार इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा **रमणभाई भीखाभाई माछी** (उपरोक्त) वाले मामले में भी समान प्रकार का निर्णय दिया गया है । यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि पुलिस कार्मिकों, जो कि सिविल वस्त्रों में घटनास्थल पर मौजूद थे, जैसा कि एक साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है, और ग्रामीणों के बीच कुछ झगड़े हुए थे, जिसमें अनेक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इसलिए ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि कम से कम दो साक्षियों को विश्वसनीय पाया जाए । इस प्रकार वर्तमान मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **चंद्रशेखर बिंद और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित निर्णय लागू होगा । उपरोक्त निर्णयों के आलोक में तथा यहां ऊपर कथित मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने किसी भी अभियुक्त की हमलावर भीड़ के सदस्य के रूप में शनाख्त नहीं की

है, अभियोजन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोपों को साबित करने में असफल रहा है ।

8.3 इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि अपीलार्थियों में से एक अपीलार्थी, अर्थात् भभलूभाई की निशानदेही पर एक तलवार की बरामदगी की गई है, तथापि, किसी भी साक्षी ने यह अभिकथन नहीं किया है कि उक्त भभलूभाई ने मृतकों में से किसी पर या घायल साक्षियों में से किसी पर उक्त तलवार से प्रहार किया था । अतः ऐसे अन्य साक्ष्य, जो अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं करता, पर विचार करते हुए, स्वयं अभियुक्त की निशानदेही पर तलवार की बरामदगी उसे दोषी सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है और इसलिए केवल इस आधार पर उसके विरुद्ध दंडादेश पारित नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार का सिद्धांत ऐसे अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी लागू होता है, जिनसे घटना के दो दिन पश्चात् हथियारों की बरामदगी की गई थी और वह भी एक संयुक्त पंचनामे के माध्यम से । ऐसी परिस्थितियों में, **भूपन** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांत लागू होगा । इसी प्रकार के सिद्धांत को **रमेशभाई हाजाभाई छाछिया** (उपरोक्त) वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है । यह उल्लेख करना भी अपेक्षित है कि मृतक श्री रजनीकांत शाह की शव-परीक्षा संबंधी टिप्पण को अभिलेख पर नहीं रखा गया है और उसके संबंध में एकत्रित रक्त के नमूने की एकत्रित मात्रा से कम मात्रा को न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचाया गया था । तथापि, इस संबंध में विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराते हुए ब्योरेवार चर्चा की है ।

8.4 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की परीक्षा की है, किन्तु अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री की अनुपस्थिति में और ऊपर चर्चा किए गए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों को विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था । अतः हमारी

राय यह है कि अपीलों पर समुचित रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है ।

9. परिणामतः और ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दांडिक अपीलों को मंजूर किया जाता है । विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अमरेली द्वारा वर्ष 2001 के सेशन मामला सं. 2001 में दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 224, 225, 302, 307, 324, 325, 326, 332, 333, 397 और 398 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 12 फरवरी, 2016 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त सं. 2-भभलूभाई नाजभाई धाधल, अभियुक्त सं. 8-जेठाभाई पीठाभाई हेलैया, अभियुक्त सं. 10-परषोत्तमभाई धूसाभाई गोराड़िया (दांडिक अपील सं. 609/2016 के अपीलार्थी) और अभियुक्त सं. 7-कानाभाई गोविन्दभाई जोगराणा (दांडिक अपील सं. 739/2016 के अपीलार्थी) को तुरन्त कारावास से निर्मुक्त किया जाए, यदि किसी अन्य मामले में वे अपेक्षित नहीं हैं । उनके द्वारा संदत्त जुर्माने, यदि कोई हो, के संबंध में यह आदेश दिया जाता है कि उसका उन्हें प्रतिसंदाय किया जाए ।

रजिस्ट्री को यह निदेश दिया जाता है कि वह तुरन्त मामले से संबद्ध अभिलेख को वापस विचारण न्यायालय को भेज दे ।

2021 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 1

दांडिक अपील सं. 609/2016 के उपरोक्तानुसार किए गए निपटारे को ध्यान में रखते हुए, दांडिक अपील सं. 609/2016 में फाइल किए गए दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 1/2021 को कायम नहीं रखा जा सकता और तदनुसार उसका निपटारा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

स्वदेश चौधरी

बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2020 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1)

तारीख 23 अप्रैल, 2021

न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 341, 325 और 320 – घोर उपहति – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने पीड़ित के साथ कहा-सुनी होने के पश्चात् उस समय पीड़ित के सिर पर एक ठोस लकड़ी के डंडे से प्रहार किया जब पीड़ित अपने घर लौट रहा था और उसे घोर उपहति कारित की – उक्त प्रहार के कारण पीड़ित को सिर में घोर उपहति कारित होना और उसके द्वारा राज्य के भीतर और राज्य से बाहर विभिन्न अस्पतालों में काफी लंबे समय तक उपचार प्राप्त करना और इस दौरान पीड़ित द्वारा अपना सामान्य जीवन जीने में असमर्थ रहना – पीड़ित का स्वयं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करना कि उसके सिर पर अभियुक्त, जो उसका पड़ोसी है, द्वारा प्रहार करके उसे घोर उपहति कारित की गई – अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा भी घटना की पुष्टि किया जाना, यद्यपि उनमें से किसी भी साक्षी का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना – चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होना कि पीड़ित को कारित की गई क्षति किसी ठोस और कुंद वस्तु से कारित की गई है और उक्त क्षति के कारण उसका जीवन संकटापन्न हुआ – इस प्रकार पीड़ित को कारित हुई क्षति धारा 320 के आठवें खंड के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आती है – अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शित करता है कि अभियुक्त ने पीड़ित को घोर उपहति कारित करने के इरादे से उस पर प्रहार किया था और उसके द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने के परिणामों के संबंध में वह भली-भांति जागरूक था – इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने हेतु कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है और साथ ही अपराध को

कारित किए जाने की रीति को ध्यान में रखते हुए यह भी उचित प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन निर्मुक्त किया जाए, अत: दंडादेश की अवधि में भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारे करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला उस समय आरंभ हुआ जब श्रीमती छबि दास (अभि. सा. 1), सिधाई के निवासी नारायण दास की पत्नी द्वारा तारीख 28 जनवरी, 2013 को सिधाई पुलिस थाने में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह आरोप लगाया गया कि तारीख 26 जनवरी, 2013 को रात्रि लगभग 7.00 बजे याची की उसके पति के साथ कार्यालय टिला बाजार में कहा-सुनी हुई । स्थानीय लोगों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर याची उस स्थान से चला गया किन्तु जब उसका पति घर वापस जाने के लिए मार्ग तय करते हुए याची के घर के पास पहुंचा तो याची ने एक लकड़ी के डंडे (लाठी) से उस पर हमला किया और उसके सिर पर उक्त लाठी से एक प्रहार किया । इस प्रकार किए गए प्रहार के कारण उसके पति को जो क्षति कारित हुई उससे रक्तस्राव होने लगा और उसका पति भूमि पर गिर गया । उसकी चीख-पुकार की आवाज सुनकर अड़ोस-पड़ोस के लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसके पति को मोहनपुर अस्पताल स्थानांतरित किया, जहां से उसे अगरतला स्थित एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल ले जाए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया । उसने अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में विलंब हुआ क्योंकि वह अपने पति के उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही थी । उसकी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन सिधाई पुलिस थाने का वर्ष 2013 का मामला सं. 8 दर्ज किया गया तथा यह मामला अन्वेषण हेतु उप निरीक्षक धनेश चौधरी दास को सौंपा गया । अपने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का अन्वेषण किया और उसने संपूर्ण घटनास्थल का एक हस्त स्थलनक्शा तैयार किया । उसके द्वारा तैयार किए गए स्थलनक्शे में सारवान् अवस्थानों को एक पृथक् अनुक्रमणिका को तैयार करके उपदर्शित किया गया है । उसने जीबीपी अस्पताल से पीड़ित की क्षति संबंधी रिपोर्ट को भी प्राप्त

किया । मामले के तथ्यों से अवगत सारवान् साक्षियों की भी उसके द्वारा परीक्षा की गई । इस प्रकार मामले का अन्वेषण पूरा करने के पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त स्वदेश चौधरी के विरुद्ध अगरतला स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन 2013 का आरोप पत्र सं. 48, तारीख 31 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत किया । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र का परिशीलन करने तथा पुलिस के पत्रों का समर्थन करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अपने तारीख 27 सितम्बर, 2013 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया और उक्त मामले को विचारणार्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (न्यायालय सं. 1) को सौंपा गया । जहां इस मामले का विचारण किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने के साथ ही विचारण आरंभ हुआ । अभियुक्त ने उक्त आरोपों का दोषी न होने के संबंध में अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने की इच्छा व्यक्त की । अभियोजन के पक्ष के साक्ष्य के समाप्त हो जाने के पश्चात् अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई । जिसके उत्तर में अभियुक्त ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और यह दावा किया कि उस पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं । उसने अपनी प्रतिरक्षा में कोई अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने से भी इनकार किया । साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन दंडनीय अपराध करने का दोषी है और इसके परिणामस्वरूप उस पर दंडादेश अधिरोपित किया गया । इससे व्यथित होकर अभियुक्त-सिद्धदोष व्यक्ति ने विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय का विरोध करते हुए सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील फाइल की । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने वर्तमान याचिका में आक्षेपित निर्णय के माध्यम से विचारण न्यायालय के निर्णय की अभिपुष्टि की और सेशन न्यायाधीश के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल करके उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपील की सुनवाई के समय विद्वान् सेशन न्यायाधीश

को ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ कि जिसके आधार पर अभियोजन साक्षियों, विशेष रूप से स्वयं पीड़ित और उसकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए । अपील न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए विद्वान् विचारण न्यायाधीश के उस निर्णय की पुष्टि की जिसके द्वारा अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराकर उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया था । चिकित्सा साक्ष्य से यह बात अत्यधिक स्पष्ट हो जाती है कि पीड़ित को कारित की गई क्षति के कारण उसके जीवन को संकट उत्पन्न हुआ था, जिसके लिए उसे चिकित्सीय सलाह दी गई तथा उसे लगे आघात के बेहतर उपचार के लिए उसे राज्य से बाहर एक अस्पताल में निर्दिष्ट किया गया । पीड़ित (अभि. सा. 5) ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त याची ने उसके सिर पर एक ठोस लकड़ी की वस्तु से प्रहार किया तथा उसे क्षति कारित की । याची द्वारा की गई उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़ित द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अक्षुण्ण बना रहा । इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस साक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है कि पीड़ित (अभि. सा. 5) को कारित क्षति के कारण उसका जीवन संकटापन्न हुआ था । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस तथ्य का भी समर्थन करता है कि आहत (अभि. सा. 5) ने बीस दिन से अधिक अवधि के लिए विभिन्न अस्पतालों में उपचार प्राप्त किया और उन दिनों के दौरान वह अपना सामान्य जीवन जीने में असमर्थ था । अत: पीड़ित को कारित की गई क्षति दंड संहिता की धारा 320 के आठवें खंड के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसलिए उसे दंड संहिता की धारा 320 के अर्थांतर्गत घोर उपहति के रूप में माना जा सकता है । सभी साक्षियों ने एक सुर में यह कथन किया है कि घटना से पूर्व अभियुक्त-याची और पीड़ित के बीच कहा-सुनी हुई थी और उसके तुरंत पश्चात् अभियुक्त ने अपने घर के सामने पीड़ित पर उस समय प्रहार किया जब वह बाजार से अपने घर लौट रहा था । इस बात के संबंध में कोई संदेह विद्यमान नहीं है कि उक्त कहा-सुनी ने ऐसे अकस्मात् प्रकोपन का कार्य किया होगा किन्तु यह सुझाव देने के लिए अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि यह ऐसा घोर प्रकोपन था, जिसके कारण दंड संहिता की धारा 335 के अधीन उपबंधित अपवाद को आकर्षित किया जा सके । इसकी बजाय साक्षियों की

प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त ने उसके तथा पीड़ित के बीच घटना से पूर्व हुई कहा-सुनी से संबंधित साक्ष्य को धराशायी करने का प्रयास किया । विचारण के दौरान लेखबद्ध साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने पीड़ित को घोर उपहति कारित करने के इरादे से और साथ ही अपने कार्य के परिणाम के संबंध में पूर्णतया स्पष्ट विचार से एक ठोस लकड़ी के डंडे से पीड़ित के सिर पर प्रहार किया और यह अत्यधिक हिंसापूर्ण प्रहार था जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के सिर में घोर उपहति कारित हुई जिसके लिए पीड़ित को राज्य के भीतर और राज्य से बाहर विभिन्न अस्पतालों में लंबे समय तक उपचार प्राप्त करना पड़ा । निचले दोनों न्यायालयों ने गहन रूप से साक्ष्य की समीक्षा की है और विधि के सुसंगत उपबंधों और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा सामने रखे तर्कों पर सम्यकत: विचार करने के पश्चात् तर्कपूर्ण रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त ने स्वैच्छिक रूप से पीड़ित को अविधिपूर्ण रूप से निर्बंधित करने के पश्चात् उस पर प्रहार करके उसे घोर उपहति कारित की है और इसके परिणामस्वरूप उसे दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन दंडनीय अपराधों को करने के लिए सिद्धदोष ठहराया है । इन परिस्थितियों में हमें याची के दोषसिद्धि संबंधी निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है । जहां तक दंडादेश का संबंध है विचारण न्यायालय ने यह मत बनाया कि जिस रीति में अभियुक्त ने अपराध को कारित किया है, उसे ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन निर्मुक्त करना उचित नहीं होगा । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा यह मत भी लिया गया कि अभियुक्त एक परिपक्व पुरुष है जो अपने कार्य के परिणामों को समझने में पूर्णतया समर्थ है और पर्याप्त दंडादेश के बिना उसे निर्मुक्त करने से समाज के प्रति गलत संकेत जाएगा । इस प्रकार से विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन उसे निर्मुक्त करने से इनकार कर दिया और उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपील के दौरान अभिलेख पर उपलब्ध सपूर्ण साक्ष्य की ब्यौरेवार समीक्षा तथा पुन: मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा विचारण न्यायालय की निर्णय की अभिपुष्टि की । अभिलेख से यह दर्शित होता है कि घटना के

समय याची की आयु 50 वर्ष थी और वह समझ के निबंधनों में काफी परिपक्व था जबकि याची की आयु केवल 39 वर्ष थी और वह याची से काफी छोटा था । मामले के तथ्यों से यह प्रकट होता है कि दोनों के बीच कहा-सुनी के पश्चात् याची घर लौट गया और उसने स्वयं को एक ठोस लकड़ी के डंडे से लैस किया और उसने पीड़ित की प्रतीक्षा करना आरंभ किया । जैसे ही पीड़ित घर लौटते समय उसके घर के सामने पहुंचा तो उसने उसके सिर पर जबरदस्त प्रहार किया और उसके इस कार्य के परिणामस्वरूप पीड़ित को, उसके सिर में घोर उपहति कारित हुई । यह सत्य है कि अभियुक्त की कोई पूर्ववर्ती आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है । किन्तु पीड़ित की आयु पर विचार करते हुए और साथ ही उस रीति पर विचार करते हुए जिसमें अभियुक्त ने अपने पड़ोसी के प्रति उक्त क्रूर अपराध कारित किया, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का फायदा न देकर नितांत रूप से सही कार्य किया । जैसा कि कथन किया गया है, अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया और साथ ही व्यतिक्रम अनुबंध के साथ चार हजार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । इसके अतिरिक्त्, अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 341 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक मास के साधारण कारावास से भी दंडादिष्ट किया गया और व्यतिक्रम अनुबंध के साथ 500/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । इस न्यायालय का विचार यह है कि उक्त दंडादेश न्यायोचित है और याची को दिए गए दंडादेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । इसके परिणामस्वरूप याचिका को खारिज किया जाता है । सिद्धदोष याची को यह निदेश दिया जाता है कि वह अपने दंडादेश को पूरा करने के लिए दो मास की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे, जिसमें असफल रहने पर विचारण न्यायालय उसके द्वारा दंडादेश के भोगे जाने को सुनिश्चित करने हेतु विधि के अनुसार अपेक्षित उपाय करेगा । लंबित आवेदन, यदि कोई हो (हों), का भी निपटारा किया जाता है । (पैरा 19, 26, 27, 28, 29, 30 और 31)

पुनरीक्षण (दांडिक) याचिका : 2020 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1.

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका सेशन न्यायाधीश, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला द्वारा 2016 की दांडिक अपील सं. 36 में तारीख 19 नवम्बर, 2019 को पारित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (न्यायालय सं. 1), अगरतला द्वारा मामला सं. पीआरसी 80/2013 में तारीख 16 मार्च, 2016 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की अभिपुष्टि करने वाले निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

याची की ओर से श्री एस. लोध, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. घोष, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय – वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका सेशन न्यायाधीश, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला द्वारा 2016 की दांडिक अपील सं. 36 में तारीख 19 नवम्बर, 2019 को पारित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (न्यायालय सं. 1), अगरतला द्वारा मामला सं. पीआरसी 80/2013 में तारीख 16 मार्च, 2016 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की अभिपुष्टि करने वाले निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उक्त निर्णय और दंडादेश के माध्यम से याची को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 341 और 325 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया तथा उसे सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 341 के अधीन एक मास के कारावास का दंडादेश पारित किया गया और 500/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया तथा दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए उसके विरुद्ध एक वर्ष के साधारण कारावास का दंडादेश पारित किया गया तथा व्यतिक्रम अनुबंध के साथ उस पर 4,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था ।

2. अभियोजन पक्ष का मामला उस समय आरंभ हुआ जब श्रीमती छबि दास (अभि. सा. 1), सिधाई के निवासी नारायण दास की पत्नी द्वारा तारीख 28 जनवरी, 2013 को सिधाई पुलिस थाने में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह आरोप लगाया गया कि तारीख 26 जनवरी, 2013 को रात्रि लगभग 7.00 बजे

याची की उसके पति के साथ कार्यालय टिला बाजार में कहा-सुनी हुई । स्थानीय लोगों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर याची उस स्थान से चला गया किन्तु जब उसका पति घर वापस जाने के लिए मार्ग तय करते हुए याची के घर के पास पहुंचा तो याची ने एक लकड़ी के डंडे (लाठी) से उस पर हमला किया और उसके सिर पर उक्त लाठी से एक प्रहार किया । इस प्रकार किए गए प्रहार के कारण उसके पति को जो क्षति कारित हुई उससे रक्तस्राव होने लगा और उसका पति भूमि पर गिर गया । उसकी चीख-पुकार की आवाज सुनकर अड़ोस-पड़ोस के लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसके पति को मोहनपुर अस्पताल स्थानांतरित किया, जहां से उसे अगरतला स्थित एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल ले जाए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया । उसने अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में विलंब हुआ क्योंकि वह अपने पति के उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही थी ।

3. उसकी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन सिधाई पुलिस थाने का वर्ष 2013 का मामला सं. 8 दर्ज किया गया तथा यह मामला अन्वेषण हेतु उप निरीक्षक धनेश चौधरी दास (अभि. सा. 8) को सौंपा गया ।

4. अपने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का अन्वेषण किया और उसने संपूर्ण घटनास्थल का एक हस्त स्थलनक्शा तैयार किया । उसके द्वारा तैयार किए गए स्थलनक्शे में सारवान् अवस्थानों को एक पृथक् अनुक्रमणिका (प्रदर्श-5) को तैयार करके उपदर्शित किया गया है । उसने जीबीपी अस्पताल से पीड़ित की क्षति संबंधी रिपोर्ट (प्रदर्श-2) को भी प्राप्त किया । मामले के तथ्यों से अवगत सारवान् साक्षियों की भी उसके द्वारा परीक्षा की गई और उसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उनके कथनों को लेखबद्ध किया । इस प्रकार मामले का अन्वेषण पूरा करने के पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त स्वदेश चौधरी के विरुद्ध अगरतला स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दंड संहिता

की धारा 341 और 325 के अधीन 2013 का आरोप पत्र सं. 48, तारीख 31 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत किया ।

5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र का परिशीलन करने तथा पुलिस के पत्रों का समर्थन करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अपने तारीख 27 सितम्बर, 2013 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया और उक्त मामले को विचारणार्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (न्यायालय सं. 1) को सौंपा गया । जहां इस मामले का विचारण किया गया ।

6. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने के साथ ही विचारण आरंभ हुआ, विरचित आरोप निम्नानुसार हैं :–

> "यह कि आपने तारीख 26 जनवरी, 2013 को रात्रि लगभग 8.30 बजे तुलाबागान, पुलिस थाना सिधाई, पश्चिमी त्रिपुरा में शिकायतकर्ता के पति, अर्थात् नारायण शुक्ला दास को अविधिपूर्ण रीति में निर्बंधित किया और इस प्रकार आपने दंड संहिता की धारा 341 के अधीन दंडनीय अपराध किया और यह न्यायालय उक्त अपराध का संज्ञान लेता है ।
>
> द्वितीय यह कि आपने तारीख 26 जनवरी, 2013 को या उसके आस-पास रात्रि लगभग 8.30 बजे तुलाबागान, पुलिस थाना सिधाई, पश्चिमी त्रिपुरा में स्वैच्छिक रूप से शिकायतकर्ता के पति, अर्थात् नारायण शुक्ला दास को घोर उपहति कारित की और इस प्रकार दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया और यह न्यायालय उक्त अपराध का संज्ञान लेता है ।
>
> और मैं एतद्द्वारा यह निदेश देता हूं कि आपके विरुद्ध उक्त आरोपों के संबंध में विचारण चलाया जाए ।"

अभियुक्त ने उक्त आरोपों का दोषी न होने के संबंध में अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने की इच्छा व्यक्त की ।

7. विचारण के अनुक्रम में, अभियोजन पक्ष ने 8 अभियोजन साक्षियों (अभि. सा. 1 से अभि. सा. 8) की परीक्षा की, जिनमें पीड़ित की शिकायतकर्ता पत्नी (अभि. सा. 1), चिकित्सा अधिकारी (अभि.

सा. 6) और मामले का अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 8) भी सम्मिलित थे । अभियोजन साक्षियों के मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत करने के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के अभिलेख पर 5 दस्तावेजों को भी रखा गया जिन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया और प्रदर्श-1 से प्रदर्श-5/1 के रूप में चिह्नित किया गया ।

8. अभियोजन के पक्ष के साक्ष्य के समाप्त हो जाने के पश्चात् अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई । जिसके उत्तर में अभियुक्त ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और यह दावा किया कि उस पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं । उसने अपनी प्रतिरक्षा में कोई अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने से भी इनकार किया ।

9. साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय पूर्वोक्त निष्कर्षों पर पहुंचा और उसने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन दंडनीय अपराध करने का दोषी है और इसके परिणामस्वरूप उस पर पूर्वोक्त दंडादेश अधिरोपित किया गया । इससे व्यथित होकर अभियुक्त-सिद्धदोष व्यक्ति ने विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय का विरोध करते हुए सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील फाइल की । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने वर्तमान याचिका में आक्षेपित निर्णय के माध्यम से विचारण न्यायालय के निर्णय की अभिपुष्टि की और सेशन न्यायाधीश के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल करके उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है ।

10. याची की ओर से उपस्थित होने वाले काउंसेल ने इस न्यायालय का ध्यान विचारण के दौरान लेखबद्ध किए गए साक्ष्य के प्रति आकर्षित किया है । इत्तिलाकर्ता श्रीमती छबि दास (अभि. सा. 1) ने विचारण के दौरान उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए कथन का समर्थन करते हुए यह कहा कि उसके पति और अभियुक्त स्वदेश चौधरी के बीच, उसके पति पर याची द्वारा हमला किए जाने से पूर्व काफी गरमागरम वाद-विवाद हुआ था । उसके पश्चात् अभियुक्त ने उस

समय उसके पति पर लाठी से हमला किया जब उसका पति अपने घर लौटते समय मार्ग में अभियुक्त के घर के समीप पहुंचा । इसके परिणामस्वरूप उसके पति को सिर में क्षति कारित हुई जिससे रक्तस्राव होने लगा । इत्तिलाकर्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि घटना के समय वह अपने घर में थी, जो कि याची के घर के साथ लगा हुआ है । अपने पति की चीख-पुकार सुनकर वह दौड़कर घटनास्थल पर पहुंची और उसने अपने पति को गंभीर दशा में पाया जहां से उसे पहले मोहनपुर अस्पताल ले जाया गया और उसके पश्चात् उसे अगरतला स्थित जीबीपी अस्पताल ले जाया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में हुए लगभग 2 (दो) दिन के विलंब के संबंध में इत्तिलाकर्ता ने यह स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया है कि उसके पति को बेहतर उपचार हेतु वायु मार्ग से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था और वह अपने पति के उपचार के संबंध में सुचारू व्यवस्था करने में व्यस्त थी, जिसके कारण प्रथम इत्तिलाकर्ता रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ । इत्तिलाकर्ता की अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा की गई । अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में उक्त अभियोजन साक्षी की प्रतिपरीक्षा के समय यह सुझाव देते हुए यह पक्षकथन उपदर्शित करने का प्रयास किया कि उसका पति घटना के समय नशे की स्थिति में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए किसी स्थानीय महिला के साथ गाली-गलौज कर रहा था । यद्यपि, शिकायतकर्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसका पति कभी-कभार मदिरापान करता था किन्तु शिकायतकर्ता के अनुसार घटना के समय उसके पति ने मदिरापान नहीं किया था ।

11. तूतन दास (अभि. सा. 2) पीड़ित व्यक्ति और अभियुक्त, दोनों का पड़ोसी है । घटना के समय वह अपने घर में मौजूद था । घायल व्यक्ति की चीख-पुकार सुनकर वह घटनास्थल पर आया और उसने यह देखा कि अभि. सा. 1 का घायल पति भूमि पर गिरा हुआ है और उसके सिर पर आई क्षति से रक्तस्राव हो रहा है । उसने यह भी देखा कि अभियुक्त स्वदेश चौधरी भी घटनास्थल पर मौजूद है । अभि. सा. 2 द्वारा यह कथन किया गया कि वह वहां से कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर घायल व्यक्ति को मोहनपुर अस्पताल ले गया जहां से उसे अगरतला स्थित जीबीपी अस्पताल स्थानांतरित किया गया ।

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि घायल व्यक्ति रिश्ते में उसका भाई है । उसने यह भी कथन किया कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि हमले से पूर्व पीड़ित और उसके हमलावर के बीच कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ था अथवा नहीं ।

12. किशोर सरकार (अभि. सा. 3) ने घटना को होते हुए नहीं देखा था । उसे उसके पड़ोसी तूतन दास ने टेलीफोन पर बताया था कि नारायण दास पर अभियुक्त स्वदेश चौधरी ने हमला किया था । यह सुनने के तुरंत पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुंचा, जहां से वे नारायण दास को अपनी कार में मोहनपुर अस्पताल ले गया और उसके पश्चात् उनके कहने पर अगरतला स्थित जीबीपी अस्पताल ले गया । अभि. सा. 3 को तूतन दास से यह तथ्य ज्ञात हुआ था कि नारायण दास पर हमला अभियुक्त स्वदेश चौधरी द्वारा किया गया था ।

13. श्रीमती दीपाली देबनाथ (अभि. सा. 4) भी पीड़ित और अभियुक्त-याची, दोनों की पड़ोसन है । वह भी घटनास्थल की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । उसे भी अन्य व्यक्तियों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि स्वदेश चौधरी ने नारायण दास से कहा-सुनी होने के पश्चात् उस पर हमला किया है । अभियोजन पक्ष के वकील के कहने पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष के वकील द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई । किन्तु सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई ऐसी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जो अभियोजन पक्ष का समर्थन करता हो ।

14. अभि. सा. 5 इस मामले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी है । वह स्वयं पीड़ित, अर्थात् नारायण चौधरी शुक्ला दास है और उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना के समय और तारीख, अर्थात् तारीख 26 जनवरी, 2013 को रात्रि लगभग 8.30 बजे वह तुलाबागान बाजार से अपने घर की ओर लौट रहा था । जैसे ही वह याची के घर के सामने पहुंचा, याची ने एक लाठी से अभि. सा. 5 के सिर पर प्रहार किया । जिसके परिणामस्वरूप वह भूमि पर गिर गया और अपने होशोहवास खो बैठा । उसने यह भी कथन किया कि उसकी

चीख की आवाज सुनकर अड़ोस-पड़ोस के व्यक्ति घटनास्थल पर एकत्रित हो गए । उन्हें देखकर अभियुक्त-याची अपनी लाठी के साथ घटनास्थल से फरार हो गया । उसकी पत्नी छबि और उसके पड़ोसी माणिक पाल और तूतन दास उसे मोहनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए जहां से उसे जीबीपी अस्पताल ले जाया गया । वह चार दिन तक जीबीपी अस्पताल में रहा जहां से उसे एक वायुयान द्वारा कोलकाता स्थित पियरलेस अस्पताल ले जाया गया । यह कथन किया गया है कि उसकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसे वायुयान में भी एक स्ट्रेचर पर ले जाया गया था और उसके साथ एक डाक्टर भी गया था । अभि. सा. 5 के अनुसार उसका घटना से पूर्व अभियुक्त के साथ झगड़ा हुआ था और गुस्से में अभियुक्त ने उसे उस समय पकड़ा जब वह अपने घर लौट रहा था और उस पर हमला किया ।

अभियुक्त की ओर से अभि. सा. 5 की गहन और ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि घटना से पूर्व उसके अभियुक्त के साथ संबंध काफी अच्छे थे । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त द्वारा प्रहार किए जाने के पश्चात् वह अपने होशोहवास खो बैठा था और उसके पश्चात् जब उसे होश आया तो वह मोहनपुर अस्पताल में था । जिस समय वह जीबीपी अस्पताल में था, उस समय वह पूर्णरूपेण होश में था किन्तु उसके स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर नहीं थी । अभियुक्त की ओर से इस साक्षी के समक्ष अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए । उसे यह सुझाव दिया गया कि उसने अभियुक्त से 1,47,000/- रुपए का ऋण लिया था किन्तु उसने अभियुक्त को उक्त ऋण का प्रतिसंदाय नहीं किया । अभि. सा. 5 ने इस सुझाव से इनकार किया । उसे यह सुझाव भी दिया गया था कि उक्त ऋण के प्रतिसंदाय से बचने के लिए उसने अभियुक्त को मिथ्या रूप से वर्तमान मामले में फंसाया है, जिसके संबंध में उसने पुन: इनकार किया । अभि. सा. 5 को यह भी सुझाव दिया गया था कि अभियुक्त ने उस पर हमला नहीं किया था, किन्तु अभि. सा. 5 ने इस सुझाव से इनकार किया ।

15. डा. अभिजीत डे (अभि. सा. 6) एक चिकित्सा अधिकारी है, जिसने तारीख 27 जनवरी, 2013 को उस समय अगरतला स्थित

जीबीपी अस्पताल में आहत व्यक्ति (अभि. सा. 5) की चिकित्सा परीक्षा की थी जब आहत व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था और अपनी चिकित्सा परीक्षा के दौरान उसने आहत व्यक्ति की बाईं भौंह के ऊपर 4 सें. मी. लंबा एक घाव पाया था जो साधारण प्रकृति का था जिसे किसी ठोस और कुंद वस्तु द्वारा कारित किया गया था । अभि. सा. 6 ने यह कथन किया है कि आहत व्यक्ति के मस्तिष्क को स्कैन किया गया था जिससे यह दर्शित हुआ कि "दाहिने टेम्पोरल पेराइटल भाग में ऐडेमा के आस-पास गंभीर आंतरिक रक्तस्राव और अंत:क्षति" मौजूद है । अभि. सा. 6 ने उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की शनाख्त की, जिसे साक्ष्य स्वरूप स्वीकार किया गया और प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि उक्त क्षति शारीरिक हमले के अलावा अन्यथा भी कारित हो सकती है ।

16. कनू दास (अभि. सा. 7) भी उसी क्षेत्र का निवासी है जहां अभियुक्त और पीड़ित निवास करते हैं । उसे अन्य व्यक्तियों से इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई । अभि. सा. 7 के अनुसार उसने लोगों से यह सुना कि नारायण दास पर अभियुक्त स्वदेश चौधरी द्वारा हमला किया गया है । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सुझाव से इनकार किया कि घटना से पूर्व अभियुक्त और आहत नारायण दास के बीच काफी झगड़ा हुआ था ।

17. अभि. सा. 8 मामले का अन्वेषण अधिकारी है और उसने यह कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान उसके द्वारा एकत्रित सामग्री ने अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का समर्थन किया । जिसके परिणामस्वरूप उसने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

18. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–

> "..... अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सारांश यह है कि हमले की घटना तारीख 26 जनवरी, 2013 को रात्रि लगभग 8.00-8.30 बजे सड़क पर अभियुक्त के घर के ठीक सामने घटित

हुई और अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 5 पर हमला किया गया तथा अभि. सा. 6 द्वारा किए गए कथन के अनुसार अभि. सा. 5, उस पर किसी कुंद वस्तु द्वारा हमला किए जाने के कारण आहत हुआ था और उक्त क्षति ताजा थी और वह घोर उपहति की प्रकृति की थी तथा अभि. सा. 5 ने तारीख 26 जनवरी, 2013 से 30 जनवरी, 2013 के दौरान जीबीपी अस्पताल में उसका उपचार कराया था और उसके पश्चात् अभि. सा. 5 ने जीबीपी अस्पताल द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर कोलकाता स्थित पियरलेस अस्पताल में 15 दिन तक उपचार प्राप्त किया था और चिकित्सा क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श-2) से भी यही तथ्य प्रकट होते हैं ।

यह साबित किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अविधिपूर्ण रूप से अभि. सा. 5 को अभियुक्त के घर के सामने सड़क पर निर्बंधित किया, जब वह तुलाबागान बाजार से अपने घर लौट रहा था । उसके पश्चात् अभियुक्त ने अभि. सा. 5 के सिर पर लाठी से प्रहार किया, जिसके कारण उसके सिर पर घोर क्षतियां कारित हुईं और जिसके लिए उसे 20 दिन तक उपचार प्राप्त करना पड़ा, जिसमें से पांच दिन तक जीबीपी अस्पताल में तथा 15 दिन का उपचार कोलकाता स्थित पियरलेस अस्पताल में प्राप्त किया गया और जिस समय अभि. सा. 5 अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में अभियुक्त ने अपने घर के सामने सड़क पर उसे रोका तथा उसने अभि. सा. 5 पर हमला किया । चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 6) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके शरीर पर क्षति मौजूद थी और उक्त क्षति ताजा थी तथा घोर प्रकृति की थी (मस्तिष्क के एनसीसीटी से यह प्रकट हुआ कि "दाहिने टेम्पोरल पेराइटल भाग में ऐडेमा के आस-पास गंभीर आंतरिक रक्तस्राव और अंत:क्षति" मौजूद है) । वर्तमान मामले में पीड़ित (अभि. सा. 5) के सिर पर घोर क्षतियां पाई गई हैं और ये क्षतियां किसी कुंद वस्तु से प्रहार करके कारित की गई थीं और अभि. सा. 5 ने यह कथन किया कि उस पर एक लाठी से हमला किया गया था ।

अभियुक्त ने अभि. सा. 5 को क्षतियां कारित कीं और उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षतियां गंभीर प्रकृति की थीं और अभियुक्त ने

आशयित रूप से या यह जानते हुए कि उसके इस कार्य से घोर क्षति कारित होने की संभावना है, अभि. सा. 5 पर लाठी से हमला किया था और यह घटना उससे तुरंत पूर्व दोनों के बीच हुए झगड़े के पश्चात् घटित हुई थी .....।"

19. अपील की सुनवाई के समय विद्वान् सेशन न्यायाधीश को ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ कि जिसके आधार पर अभियोजन साक्षियों, विशेष रूप से स्वयं पीड़ित और उसकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए । अपील न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए विद्वान् विचारण न्यायाधीश के उस निर्णय की पुष्टि की जिसके द्वारा अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराकर उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया था ।

20. याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने सुनवाई के दौरान निम्नलिखित आधारों पर विशिष्ट बल दिया :–

(i) निचले न्यायालयों ने सारवान् बिन्दुओं पर अभियोजन साक्ष्य में विद्यमान विसंगतियों को विचार में नहीं लिया ।

(ii) निचले न्यायालयों ने इस तथ्य को भी विचार में नहीं लिया कि वर्तमान मामले में दंड संहिता की धारा 341 और 325 के आधारित घटकों का समाधान नहीं होता है ।

(iii) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब को समाधानप्रद रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो जाता है ।

(iv) पीड़ित के सिवाय किसी भी अन्य साक्षी ने घटना को नहीं देखा है । निचले न्यायालयों ने अनुश्रुत साक्ष्य के आधार पर मामले का विनिश्चय किया, जो कि घोर त्रुटिपूर्ण है और ऐसे आधार पर पारित किए गए निर्णय अपास्त किए जाने के दायी हैं ।

(v) अन्वेषण अधिकारी द्वारा हाथ से तैयार किए गए स्थलनक्शे में दर्शित घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पीड़ित (अभि. सा. 5) के अनुसार घटना घटित हुई थी । इस सारवान् तथ्य को निचले न्यायालयों द्वारा विचार में नहीं लिया गया ।

याची के विद्वान् काउंसेल ने अंतिम रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि स्पष्ट रूप से अभियुक्त और पीड़ित के बीच घटना से पूर्व कहा-सुनी हुई थी, जो याची के पक्षकथन का समर्थन करती है कि उसे पीड़ित द्वारा बदले की भावना से मिथ्या मामले में फंसाया गया है ।

21. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दूसरी ओर यह प्रतिवाद किया है कि निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अकाट्य और ठोस साक्ष्य पर आधारित हैं और याची ऐसे कोई आधार प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिनके आधार पर न्यायालय, निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सके । विद्वान् अपर लोक अभियोजक के अनुसार विचारण के दौरान इस तथ्य को भली-भांति स्थापित किया गया है कि याची ने चुपके से पीड़ित (अभि. सा. 5) पर हमला किया और उसे घोर शारीरिक क्षति कारित की, जिसके लिए पीड़ित को राज्य और राज्य से बाहर विभिन्न अस्पतालों में दीर्घावधि का उपचार लेना पड़ा, जिसके कारण उसे न केवल वित्तीय हानि हुई अपितु उसे अत्यधिक पीड़ा और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और इसमें उसका कोई दोष भी नहीं था । अत: विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय से यह अनुरोध किया कि याचिका को खारिज किया जाए ।

22. यह स्मरण कराया जाता है कि याची को दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन सिद्धदोष ठहराते हुए दंडादिष्ट किया गया है । दंड संहिता की धारा 325 निम्नानुसार है :–

> "**325. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड** – उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

23. दंड संहिता की धारा 325 के साधारण पठन से यह दर्शित होता है कि दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध का

गठन करने के लिए निम्नलिखित आधारिक घटकों का समाधान आवश्यक है :–

(i) यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने पीड़ित को घोर उपहति कारित की है ; और

(ii) ऐसी उपहति स्वेच्छया कारित की गई है सिवाय उस दशा में, जो कि दंड संहिता की धारा 335 में उपबंधित है ।

24. अभि. सा. 6 द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि तारीख 27 जनवरी, 2013 को उसके द्वारा एजीएमसी और अगरतला स्थित जीबीपी अस्पताल में, अस्पताल के आपातकाल खंड में पीड़ित की चिकित्सा परीक्षा की गई थी । उक्त चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 6) ने पीड़ित से इस तथ्य को अभिनिश्चित किया कि उस पर पूर्ववर्ती दिवस को शारीरिक रूप से हमला किया गया था । परीक्षा किए जाने पर चिकित्सा अधिकारी को पीड़ित की बाईं भौंह पर एक घाव दिखाई दिया जिस पर टांके लगाए गए थे और वह घाव 4 सें. मी. लंबा था और वह क्षति साधारण प्रकृति की थी और जिसे अभि. सा. 6 के अनुसार किसी ठोस और कुंद वस्तु का उपयोग करते हुए कारित किया गया था । डा. (अभि. सा. 6) द्वारा तैयार की गई क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श-2) से भी यह तथ्य उपदर्शित होता है कि आहत व्यक्ति के मस्तिष्क को स्कैन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके मस्तिष्क में निम्नलिखित क्षतियां दिखाई दीं :–

"दाहिने टेम्पोरल पेराइटल भाग में ऐडेमा के आस-पास गंभीर आंतरिक रक्तस्राव और अंत:क्षति" ।

अपने परिसाक्ष्य में डा. (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि मस्तिष्क को कारित हुई क्षति घोर प्रकृति की थी, जिसके कारण आहत व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी । साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया था कि आहत को अस्पताल में दाखिल किया गया था और उसके पश्चात् उसकी बेहतर देखभाल के लिए उसे 30 जनवरी, 2013 को कोलकाता में स्थित एसएसकेएम अस्पताल को निर्दिष्ट किया गया था ।

25. घोर उपहति पद को दंड संहिता की धारा 320 में परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है :–

"320. **घोर उपहति** – उपहति की केवल नीचे लिखित किस्में 'घोर' कहलाती हैं –

पहला – पुंस्त्वहरण ।

दूसरा – दोनों में किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद ।

तीसरा – दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद ।

चौथा – किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद ।

पांचवां – किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास ।

छठा – सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण ।

सातवां – अस्थि या दांत का भंग या विसंधान ।

आठवां – कोई उपहति जो जीवन का संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है ।"

26. चिकित्सा साक्ष्य से यह बात अत्यधिक स्पष्ट हो जाती है कि पीड़ित को कारित की गई क्षति के कारण उसके जीवन को संकट उत्पन्न हुआ था, जिसके लिए उसे चिकित्सीय सलाह दी गई तथा उसे लगे आघात के बेहतर उपचार के लिए उसे राज्य से बाहर एक अस्पताल में निर्दिष्ट किया गया । पीड़ित (अभि. सा. 5) ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त याची ने उसके सिर पर एक ठोस लकड़ी की वस्तु से प्रहार किया तथा उसे क्षति कारित की । याची द्वारा की गई उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़ित द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अक्षुण्ण बना रहा । इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस साक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है कि पीड़ित (अभि. सा. 5) को कारित क्षति के कारण उसका जीवन संकटापन्न हुआ था । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस तथ्य का भी समर्थन करता है कि आहत (अभि. सा. 5) ने बीस दिन से अधिक अवधि के लिए विभिन्न अस्पतालों में

उपचार प्राप्त किया और उन दिनों के दौरान वह अपना सामान्य जीवन जीने में असमर्थ था । अत: पीड़ित को कारित की गई क्षति दंड संहिता की धारा 320 के आठवें खंड के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसलिए उसे दंड संहिता की धारा 320 के अर्थांतर्गत घोर उपहति के रूप में माना जा सकता है ।

27. सभी साक्षियों ने एक सुर में यह कथन किया है कि घटना से पूर्व अभियुक्त-याची और पीड़ित के बीच कहा-सुनी हुई थी और उसके तुरंत पश्चात् अभियुक्त ने अपने घर के सामने पीड़ित पर उस समय प्रहार किया जब वह बाजार से अपने घर लौट रहा था । इस बात के संबंध में कोई संदेह विद्यमान नहीं है कि उक्त कहा-सुनी ने ऐसे अकस्मात् प्रकोपन का कार्य किया होगा किन्तु यह सुझाव देने के लिए अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि यह ऐसा घोर प्रकोपन था, जिसके कारण दंड संहिता की धारा 335 के अधीन उपबंधित अपवाद को आकर्षित किया जा सके । इसकी बजाय साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त ने उसके तथा पीड़ित के बीच घटना से पूर्व हुई कहा-सुनी से संबंधित साक्ष्य को धराशायी करने का प्रयास किया ।

28. विचारण के दौरान लेखबद्ध साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने पीड़ित को घोर उपहति कारित करने के इरादे से और साथ ही अपने कार्य के परिणाम के संबंध में पूर्णतया स्पष्ट विचार से एक ठोस लकड़ी के डंडे से पीड़ित के सिर पर प्रहार किया और यह अत्यधिक हिंसापूर्ण प्रहार था जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के सिर में घोर उपहति कारित हुई जिसके लिए पीड़ित को राज्य के भीतर और राज्य से बाहर विभिन्न अस्पतालों में लंबे समय तक उपचार प्राप्त करना पड़ा । निचले दोनों न्यायालयों ने गहन रूप से साक्ष्य की समीक्षा की है और विधि के सुसंगत उपबंधों और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा सामने रखे तर्कों पर सम्यकत: विचार करने के पश्चात् तर्कपूर्ण रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त ने स्वैच्छिक रूप से पीड़ित (अभि. सा. 5) को अविधिपूर्ण रूप से निर्बंधित करने के पश्चात् उस पर प्रहार करके उसे घोर उपहति कारित की है और इसके परिणामस्वरूप उसे

दंड संहिता की धारा 341 और 325 के अधीन दंडनीय अपराधों को करने के लिए सिद्धदोष ठहराया है । इन परिस्थितियों में हमें याची के दोषसिद्धि संबंधी निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है ।

29. जहां तक दंडादेश का संबंध है विचारण न्यायालय ने यह मत बनाया कि जिस रीति में अभियुक्त ने अपराध को कारित किया है, उसे ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के अधीन निर्मुक्त करना उचित नहीं होगा । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा यह मत भी लिया गया कि अभियुक्त एक परिपक्व पुरुष है जो अपने कार्य के परिणामों को समझने में पूर्णतया समर्थ है और पर्याप्त दंडादेश के बिना उसे निर्मुक्त करने से समाज के प्रति गलत संकेत जाएगा । इस प्रकार से विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन उसे निर्मुक्त करने से इनकार कर दिया और उसके विरुद्ध पूर्वोक्त दंडादेश पारित किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपील के दौरान अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की ब्यौरेवार समीक्षा तथा पुन: मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा विचारण न्यायालय की निर्णय की अभिपुष्टि की ।

30. अभिलेख से यह दर्शित होता है कि घटना के समय याची की आयु 50 वर्ष थी और वह समझ के निबंधनों में काफी परिपक्व था जबकि याची की आयु केवल 39 वर्ष थी और वह याची से काफी छोटा था । मामले के तथ्यों से यह प्रकट होता है कि दोनों के बीच कहा-सुनी के पश्चात् याची घर लौट गया और उसने स्वयं को एक ठोस लकड़ी के डंडे से लैस किया और उसने पीड़ित की प्रतीक्षा करना आरंभ किया । जैसे ही पीड़ित घर लौटते समय उसके घर के सामने पहुंचा तो उसने उसके सिर पर जबरदस्त प्रहार किया और उसके इस कार्य के परिणामस्वरूप पीड़ित को, उसके सिर में घोर उपहति कारित हुई । यह सत्य है कि अभियुक्त की कोई पूर्ववर्ती आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है । किन्तु पीड़ित की आयु पर विचार करते हुए और साथ ही उस रीति पर

विचार करते हुए जिसमें अभियुक्त ने अपने पड़ोसी के प्रति उक्त क्रूर अपराध कारित किया, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का फायदा न देकर नितांत रूप से सही कार्य किया । जैसा कि कथन किया गया है, अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया और साथ ही व्यतिक्रम अनुबंध के साथ चार हजार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 341 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक मास के साधारण कारावास से भी दंडादिष्ट किया गया और व्यतिक्रम अनुबंध के साथ 500/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया ।

इस न्यायालय का विचार यह है कि उक्त दंडादेश न्यायोचित है और याची को दिए गए दंडादेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है ।

31. इसके परिणामस्वरूप याचिका को खारिज किया जाता है । सिद्धदोष याची को यह निदेश दिया जाता है कि वह अपने दंडादेश को पूरा करने के लिए दो मास की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे, जिसमें असफल रहने पर विचारण न्यायालय उसके द्वारा दंडादेश के भोगे जाने को सुनिश्चित करने हेतु विधि के अनुसार अपेक्षित उपाय करेगा ।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो (हों), का भी निपटारा किया जाता है ।

निचले न्यायालय के अभिलेख को तुरंत वापस भेजा जाए ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

अमृत पाल सिंह

बनाम

राहुल आहुजा

(2020 की प्रकीर्ण याचिका सं. 9295)

तारीख 6 मार्च, 2020

न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी

दंड प्रक्रिया संहिता 1973, (1974 का 2) – धारा 259 [सपठित परक्राम्य लिखत अधिनिमय, 1881 की धारा 143 और धारा 138] – याची-अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन उसके विरुद्ध फाइल किए गए परिवाद को समन मामले से वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने हेतु अनुरोध किया जाना – विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन को रद्द किया जाना – चुनौती – याची-अभियुक्त द्वारा इस आधार पर याचिका फाइल किया जाना कि वर्तमान मामला सिविल प्रकृति का है और उसमें बड़ी संख्या में साक्षियों की परीक्षा किया जाना तथा बड़ी संख्या में दस्तावेजों संबंधी साक्ष्यों का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है – याची द्वारा उपरोक्त प्रभाव का अनुरोध न तो उसके विरुद्ध विचारण आरंभ किए जाने के समय प्रस्तुत किया जाना और न ही उसके द्वारा विचारण के दौरान भिन्न-भिन्न आवेदन फाइल किए जाने के समय प्रस्तुत किया जाना – याची-अभियुक्त द्वारा उपरोक्तानुसार अनुरोध प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कोई सुसंगत स्पष्टीकरण न उपलब्ध कराया जाना – परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 के उपबंधों के अनुसार उपरोक्त के प्रकृति के मामले का निपटारा अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित है – वर्तमान प्रक्रम पर मामले को वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने से परिवाद के निपटारे में अनावश्यक विलंब होगा, जो कि पहले ही पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित है, अत: मामले के सभी तथ्यों और

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले के संपरिवर्तन संबंधी आवेदन को खारिज किया जाना सर्वथा उचित है और उसमें उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान दांडिक प्रकीर्ण याचिका का निपटारा करने के लिए सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी-परिवादी ने यह प्रकथन करते हुए उपरोक्त परिवाद फाइल किया है कि याची-अभियुक्त ने तारीख 1 नवम्बर, 2013 को एक करार का निष्पादन किया था, जिसमें उसने उसमें उल्लिखित संपत्ति का 9,25,00,000/- रुपए के विक्रय प्रतिफल के लिए विक्रय करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान की थी और इस संबंध में उसने कृष्ण सिंह जगदेव, जो उक्त संपत्ति के 1/3 शेयर का स्वामी है, का मुख्तारनामा भी प्रस्तुत किया था तथा साथ ही उसने कोवलम इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जो शेष दो-तिहाई अंश की स्वामी है, की ओर से उक्त संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकार और सम्मति को भी प्रस्तुत किया था । याची-अभियुक्त को प्रत्यर्थी-परिवादी से 5,25,00,000/- रुपए की रकम प्राप्त हुई और उसके अनुदेश पर 4,00,00,000/- रुपए की रकम को कोवलम इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, को संदत्त किया गया था । विक्रय विलेख का निष्पादन तारीख 15 दिसम्बर, 2013 को या उससे पूर्व किया जाना था । याची-अभियुक्त ने यह करार किया था कि तारीख 15 दिसम्बर, 2013 तक विक्रय विलेख के निष्पादन में असफल रहने की दशा में वह कुल 5,50,00,000/- रुपए की रकम (5,25,00,000/- रुपए की रकम को अग्रिम धन के प्रतिदाय के रूप में तथा 25,00,000/- की रकम को क्षतिपूर्ति के रूप में) का संदाय करेगा और साथ ही उसने तारीख 16 दिसम्बर, 2013 का पश्चात्वर्ती तारीख का एक चैक भी जारी किया था । चूंकि याची-अभियुक्त विक्रय विलेख का निष्पादन करने में असफल रहा, इसलिए प्रत्यर्थी-परिवादी ने उक्त चैक को नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया । याची-अभियुक्त ने बैंक की मूक सहमति से तारीख 26 फरवरी, 2014 के बैंक ज्ञापन के माध्यम से इस टिप्पणी के साथ चैक का अनादर करा दिया कि "**आहरणकर्ता के हस्ताक्षर में अंतर है**", जबकि उसके खाते में पर्याप्त अतिशेष उपलब्ध नहीं था । प्रत्यर्थी-परिवादी ने

तारीख 22 मार्च, 2014 को एक विधिक सूचना की तामील की, जिसके संबंध में याची-अभियुक्त ने तारीख 5 अप्रैल, 2014 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया । प्रत्यर्थी-परिवादी के प्रारंभिक साक्ष्य को लेखबद्ध किया गया और याची-अभियुक्त को विचारण का सामना करने हेतु समन जारी किए गए । विचारण के लंबित रहने के दौरान, याची-अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 के अधीन यह अनुरोध करते हुए एक आवेदन फाइल किया कि विचारण को समन मामले से अंतरित करके वारंट मामला बनाया जाए, जिसे विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपने तारीख 1 अक्तूबर, 2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया । उक्त आदेश से व्यथित होकर याची-अभियुक्त ने वर्तमान याचिका फाइल की है । याचिका के संबंध में प्रत्यर्थी-परिवादी को सूचना जारी की गई, जो श्री गुरचरण दास, अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ । उसके पश्चात् दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और दलीलों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – याची-अभियुक्त ने इस आधार पर विचारण को समन मामले से वारंट मामले में संपरिवर्तित करने का अनुरोध किया है कि विवाद मुख्यत: सिविल प्रकृति का है, जिसमें तारीख 1 नवम्बर, 2013 के एक त्रिपक्षीय विक्रय करार का निष्पादन किए जाने संबंधी प्रश्न अंतर्वलित है, जो कोवलम इवेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और श्री सुमेश चड्ढा से संबंधित है, जिसमें बड़ी संख्या में साक्षियों की परीक्षा किया जाना तथा बड़ी संख्या में दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसके कारण यह वांछनीय नहीं होगा कि मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाए क्योंकि उससे याची-अभियुक्त को समुचित प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं होगा । यहां यह संप्रेक्षण करना अनिवार्य है कि संक्षिप्त विचारण के दौरान केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 264 के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार साक्ष्य का सार लेखबद्ध किया जाना अपेक्षित है किन्तु याचिका में याची-अभियुक्त द्वारा की गई प्रत्यर्थी-परिवादी की प्रतिपरीक्षा के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी-परिवादी की प्रतिपरीक्षा को ब्यौरेवार रूप से लेखबद्ध किया गया और प्रस्तुत किए गए कुछ प्रश्नों के उत्तरों को

विस्तृत रूप से लेखबद्ध किया गया है । याची-अभियुक्त उसके द्वारा परीक्षा किए जाने वाले साक्षियों और अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत कर सकता है और साथ ही वह विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे साक्षियों के नामों को उल्लिखित करते हुए आवेदन फाइल कर सकता है जिनकी उपस्थिति वह न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित करना चाहता है तथा वह ऐसे दस्तावेजों को भी विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित कर सकता है जिन्हें प्रस्तुत किए जाने के लिए न्यायालय की सहायता अपेक्षित है । इस प्रकार की आशंका के लिए कोई विधिपूर्ण आधार विद्यमान नहीं है कि न्यायालय उसे इस प्रकार की सहायता प्रदान करने से इनकार करेगा, सिवाय उस समय के जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे साक्षियों की परीक्षा किया जाना और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना मामले के उचित विनिश्चय हेतु सुसंगत नहीं है और वे मामले के निपटारे में अनुचित विलंब करेंगे और उनको प्रस्तुत किए जाने पर बल दिया जाना याची-अभियुक्त द्वारा अपनाई जा रही विलंबकारी रणनीति का एक भाग है । चूंकि, याची वर्तमान मामले में एकमात्र अभियुक्त है और मामले में उचित निर्णय दिए जाने हेतु उसके विधिक रूप से प्रवर्तनीय दायित्व संबंधी प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा उसे ऐसा संपूर्ण प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान करके किया जा सकता है, जैसा कि न्यायालय सुसंगत समझता है, इसलिए याची-अभियुक्त के पक्षकथन पर उस समय भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वर्तमान मामले को समन मामला मानकर उसका संक्षिप्त रूप से विचारण करके उसका निपटारा किया जाता है । दूसरी ओर, इस प्रक्रम पर समन मामले के रूप में संक्षिप्त विचारण को वारंट मामले के रूप में संपरिवर्तित किए जाने पर वर्तमान परिवाद मामले के निपटारे में अनावश्यक विलंब होगा जो कि पहले ही पांच वर्ष के अधिक समय से निपटारे हेतु लंबित है । मामले के उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि विचारण को वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने हेतु कोई समुचित आधार नहीं बनाए गए हैं और याची-अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए उक्त अनुरोध को अंतर्वलित करने वाले आवेदन को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

द्वारा सही रूप से खारिज किया गया है । आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई अविधिपूर्ण बात अंतर्वलित नहीं है जिससे यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप करे । उक्त याचिका को, उसमें कोई गुण न होने के कारण खारिज किया जाता है और तद्नुसार, उक्त याचिका का निपटारा किया जाता है और उसमें खर्चे संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है । (पैरा 15, 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 2 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 598 : **इंडियन बैंक एसोसिएशन और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य** ; 7

[2010] (2010) 1 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 870 = (2011) ए. सी. डी. 317 (कर्ना.) : **मैसर्स लियो ग्रेनेक्स** बनाम **मैसर्स पैविलियन ग्रेनाइट्स** ; 6,16

[2006] (2006) 1 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 757 : **स्टील ट्यूब्स ऑफ इंडिया** बनाम **भारतीय इस्पात प्राधिकरण** । 7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की प्रकीर्ण याचिका सं. 9295.

वर्तमान प्रकीर्ण याचिका विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना द्वारा वर्ष 2014 के सीओएमए सं. 2589 में पारित तारीख 1 अक्तूबर, 2019 के आदेश को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए फाइल की गई है ।

याची की ओर से श्री एच. एस. बरार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री गुरचरण दास, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी – याची-अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973, (1974 का 2) की धारा 482 के अधीन वर्तमान याचिका

विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना द्वारा 'राहुल आहुजा बनाम अमृत पाल सिंह' शीर्षक वाले 2014 के सीओएमए सं. 2589, जिसे प्रत्यर्थी-परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 138 के अधीन फाइल किया गया था, में तारीख 1 अक्तूबर, 2019 को पारित उस आदेश को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए फाइल की है, जिसके द्वारा याची-अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 के अधीन ऊपर उल्लिखित परिवाद मामले के विचारण को समन मामले से वारंट मामले में संपरिवर्तित करने हेतु आवेदन फाइल किए गए आवेदन को खारिज किया गया था ।

2. वर्तमान याचिका का निपटारा करने के लिए सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी-परिवादी ने यह प्रकथन करते हुए उपरोक्त परिवाद फाइल किया है कि याची-अभियुक्त ने तारीख 1 नवम्बर, 2013 को एक करार का निष्पादन किया था, जिसमें उसने उसमें उल्लिखित संपत्ति का 9,25,00,000/- रुपए के विक्रय प्रतिफल के लिए विक्रय करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान की थी और इस संबंध में उसने कृष्ण सिंह जगदेव, जो उक्त संपत्ति के 1/3 शेयर का स्वामी है, का मुख्तारनामा भी प्रस्तुत किया था तथा साथ ही उसने कोवलम इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जो शेष दो-तिहाई अंश की स्वामी है, की ओर से उक्त संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकार और सम्मति को भी प्रस्तुत किया था । याची-अभियुक्त को प्रत्यर्थी-परिवादी से 5,25,00,000/- रुपए की रकम प्राप्त हुई और उसके अनुदेश पर 4,00,00,000/- रुपए की रकम को कोवलम इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, को संदत्त किया गया था । विक्रय विलेख का निष्पादन तारीख 15 दिसम्बर, 2013 को या उससे पूर्व किया जाना था । याची-अभियुक्त ने यह करार किया था कि तारीख 15 दिसम्बर, 2013 तक विक्रय विलेख के निष्पादन में असफल रहने की दशा में वह कुल 5,50,00,000/- रुपए की रकम (5,25,00,000/- रुपए की रकम को अग्रिम धन के प्रतिदाय के रूप में तथा 25,00,000/- की रकम को क्षतिपूर्ति के रूप में) का संदाय करेगा और साथ ही उसने तारीख 16 दिसम्बर, 2013 का पश्चात्वर्ती तारीख का एक चैक भी जारी किया था । चूंकि याची-अभियुक्त विक्रय विलेख का निष्पादन करने में असफल

रहा, इसलिए प्रत्यर्थी-परिवादी ने उक्त चैक को नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया । याची-अभियुक्त ने बैंक की मूक सहमति से तारीख 26 फरवरी, 2014 के बैंक ज्ञापन के माध्यम से इस टिप्पणी के साथ चैक का अनादर करा दिया कि "**आहरणकर्ता के हस्ताक्षर में अंतर है**", जबकि उसके खाते में पर्याप्त अतिशेष उपलब्ध नहीं था । प्रत्यर्थी-परिवादी ने तारीख 22 मार्च, 2014 को एक विधिक सूचना की तामील की, जिसके संबंध में याची-अभियुक्त ने तारीख 5 अप्रैल, 2014 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया । प्रत्यर्थी-परिवादी के प्रारंभिक साक्ष्य को लेखबद्ध किया गया और याची-अभियुक्त को विचारण का सामना करने हेतु समन जारी किए गए । विचारण के लंबित रहने के दौरान, याची-अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 के अधीन यह अनुरोध करते हुए एक आवेदन फाइल किया कि विचारण को समन मामले से अंतरित करके वारंट मामला बनाया जाए, जिसे विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपने तारीख 1 अक्तूबर, 2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया ।

3. उक्त आदेश से व्यथित होकर याची-अभियुक्त ने वर्तमान याचिका फाइल की है ।

4. याचिका के संबंध में प्रत्यर्थी-परिवादी को सूचना जारी की गई, जो श्री गुरचरण दास, अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ ।

5. मैंने याची-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री एच. एस. बरार और प्रत्यर्थी-परिवादी के विद्वान् काउंसेल श्री गुरचरण दास को सुना और मैंने ध्यानपूर्वक सुसंगत अभिलेख का परिशीलन भी किया ।

6. याची-अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एच. एस. बरार ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत चैक को केवल प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध कराया गया था और उक्त चैक के संबंध में कोई प्रवर्तनीय विधिक दायित्व विद्यमान नहीं था । प्रत्यर्थी-परिवादी ने याची-अभियुक्त से प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया था और प्रश्नगत संपत्ति के विक्रय विलेख का निष्पादन कोवलम इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सुमेश चड्डा, जो

प्रत्यर्थी-परिवादी का नाम-निर्देशिती है, के पक्ष में पहले ही कर दिया गया है, किन्तु इसी दौरान प्रत्यर्थी-परिवादी प्रतिभूति के रूप में दिए गए चैक की रकम के संबंध में अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है । वर्तमान मामले में, तारीख 1 नवम्बर, 2013 के विक्रय करार के निष्पादन के संबंध में सिविल प्रकृति का विवाद अंतर्वलित है । उक्त त्रिपक्षीय करार के संबंध में अनेक दस्तावेजों को प्रतिरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और साथ ही इस संबंध में अनेक साक्षियों की भी परीक्षा की जानी है, जो कि किसी संक्षिप्त विचारण में संभव नहीं है । अत:, वर्तमान मामले के विचारण को समन मामले से वारंट मामले में अंतरित किया जाना आवश्यक है । ऐसा किए जाने से प्रत्यर्थी-परिवादी के पक्षकथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु यदि मामले का वारंट मामले के रूप में विचारण न करके समन मामले के रूप में संक्षिप्त विचारण किया जाता है तो इससे याची-अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अन्याय कारित होगा । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश सारवान् अविधिपूर्ण त्रुटियों से ग्रस्त है और उसे इस प्रभाव का निदेश जारी करते हुए अपास्त किया जाना चाहिए कि वर्तमान विचारण को वारंट मामले के रूप में संपरिवर्तित किया जाए । अपने तर्कों के समर्थन में याची-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स लियो ग्रेनेक्स** बनाम **मैसर्स पैविलियन ग्रेनाइट्स**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है ।

7. दूसरी ओर, श्री गुरचरण दास, प्रत्यर्थी-परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि परिवाद वर्ष 2014 में फाइल किया गया था । याची-अभियुक्त ने मामले में देरी करने की रणनीति को अपनाया है और इसके परिणामस्वरूप मामले के निपटारे में विलंब हुआ है और उक्त मामले का विनिश्चय, जो याची-अभियुक्त के मामले के संबंध में न्यायालय में उपस्थित होने के छह मास के भीतर हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हो सका है । याची-अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 के अधीन आवेदन फाइल किया था, किन्तु उसके पश्चात्, प्रत्यर्थी-परिवादी को उसकी आगे और प्रतिपरीक्षा करने हेतु पुन:

[1] (2010) 1 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 870 = (2011) ए. सी. डी. 317 (कर्ना.).

बुलाने के आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को अपास्त करने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष एक और याचिका फाइल की । याची-अभियुक्त ने प्रत्यर्थी-प्रतिवादी की गहन प्रतिपरीक्षा की है । प्रत्यर्थी-परिवादी के साक्ष्य को पहले ही समाप्त कर दिया गया है । याची-अभियुक्त के पास अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर मौजूद है । यदि मामले का समन मामले के रूप में उसका विचारण करते हुए निपटारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में याची-अभियुक्त के पक्षकथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की कोई अविधिपूर्ण बात सम्मिलित नहीं है । अतः, याचिका को खारिज किया जाना चाहिए । प्रत्यर्थी-परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने उसके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में **इंडियन बैंक एसोसिएशन और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा **स्टील ट्यूब्स ऑफ इंडिया** बनाम **भारतीय इस्पात प्राधिकरण**[2] वाले मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है ।

8. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन फाइल किए गए परिवाद मामलों का संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त करती है, निम्नानुसार है :–

> "**143. न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति** –
>
> (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन सभी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 के उपबंध (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए), जहां तक हो सके, ऐसे विचारणों को लागू होंगे :

---

[1] (2014) 2 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 598.

[2] (2006) 1 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 757.

परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषिसिद्धि की दशा में, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे कारावास का, जिसकी अविध एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के आरंभ पर या उसके दौरान जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक अविध के कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है या यह कि किसी अन्य कारण से, मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाना अवांछनीय है तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, उस आशय का आदेश अभिलिखत करेगा और तत्पश्चात् ऐसे किसी साक्षी को वापस बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और उक्त संहिता में उपबंधित रीति से मामले को सुनने या पुन: सुनने के लिए अग्रसर होगा ।

(2) इस धारा के अधीन किसी मामले का विचारण, यथासाध्य, अविरोध न्याय के हित में उसके समापन तक दिन-प्रतिदिन जारी रखा जाएगा । जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक नहीं समझता है ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता से संचालित किया जाएगा और विचारण को परिवाद फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा ।"

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 143 के अधीन ऐसा कोई परिवाद मामला, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध अंतर्वलित है, समन मामले के रूप में संक्षिप्त रूप से विचारणीय है । तथापि, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, संक्षिप्त विचारण को आरंभ किए जाने के समय या उसके अनुक्रम में समन मामले के रूप में ऐसे संक्षिप्त विचारण को वारंट

मामले में उस समय परिवर्तित कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि या तो मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसमें कारावास का दंडादेश एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पारित किया जा सकता है या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त विचारण अवांछनीय है । विचारण के संबंध में इस प्रकार का परिवर्तन संबंधी आदेश केवल पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् ही पारित किया जा सकता है । विचारण के अनुक्रम में मामले के विचारण को इस प्रकार परिवर्तित किए जाने की दशा में ऐसे साक्षियों, जिनकी पहले ही परीक्षा कर ली गई है, पुनः, बुलाया जाएगा और मामले की सुनवाई वारंट मामलों के विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपबंधित रीति में पुनः की जाएगी ।

10. वर्तमान मामले में याची-अभियुक्त ने मामले के विचारण को समन मामले से वारंट मामले में परिवर्तित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 के अधीन एक आवेदन फाइल किया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 निम्नानुसार है :–

> "259. **समन मामलों को वारंट मामले में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति** – जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन मामले के विचारण के दौरान जो छह मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है ।"

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 के तुलनात्मक परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259, विचारण आरंभ होने के पश्चात्, विचारण के अनुक्रम में उस समय समन मामले के रूप में संक्षिप्त विचारण को वारंट मामले में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान

करती है जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि न्याय के हित में अपराध के संबंध में विचारण वारंट मामलों के विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, जबकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 ऐसे विचारण के आरंभ पर या संक्षिप्त विचारण के दौरान इस प्रकार के परिवर्तन को उस समय अनुज्ञात करती है, जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसमें पारित किए जाने वाला दंडादेश एक वर्ष से अधिक अवधि का हो सकता है या यह कि किसी अन्य सुसंगत कारणवश मामले का संक्षिप्त विचारण वांछनीय नहीं है ।

12. निस्संदेह रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 को सर्वोपरि खंड के साथ आरंभ किए जाने के कारण और परक्राम्य लिखत अधिनियम के एक विशेष अधिनियमिति होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 के साधारण उपबंध, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 और धारा 5 में किए गए कानूनी उपबंधों को ध्यान में रखते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामलों के विचारण के संबंध में लागू नहीं होंगे, किन्तु, वर्तमान मामले में उपरोक्त शैक्षिक भिन्नता कुछ अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 के अधीन समन मामले के रूप में संक्षिप्त विचारण को वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने के संबंध में समान उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं ।

13. वर्तमान मामले में परिवाद तारीख 21 अप्रैल, 2014 को फाइल किया गया था और याची-अभियुक्त को तारीख 5 मई, 2014 के आदेश के माध्यम से विचारण का सामना करने हेतु समन किया गया था । तारीख 16 अक्तूबर, 2014 को अभियुक्त पर अभियोग की सूचना की तामील की गई थी । याची-अभियुक्त ने एक आवेदन फाइल करते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना से यह अनुरोध किया कि उक्त परिवाद मामले में कार्यवाहियों को तब तक आस्थगित रखा जाए जब तक कि सिविल वाद का निर्णय नहीं हो जाता, किन्तु विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने तारीख 28 नवम्बर, 2016 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया । उसके पश्चात् याची-अभियुक्त ने

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन यह अनुरोध करते हुए एक अन्य आवेदन फाइल किया कि परिवादी को, उसकी आगे और प्रतिपरीक्षा किए जाने के लिए न्यायालय के समक्ष पुन: बुलाया जाए किन्तु याची-अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए इस आवेदन को भी विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना ने अपने तारीख 31 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया । परिवाद मामले में साक्ष्य को तारीख 27 सितम्बर, 2017 को समाप्त कर दिया गया और मामले को तारीख 17 अक्तूबर, 2017 तक स्थगित कर दिया गया और उसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन याची-अभियुक्त के कथन को लेखबद्ध करने हेतु मामले को दो बार, अर्थात् तारीख 9 सितम्बर, 2017 तथा तारीख 17 नवम्बर, 2017 तक के लिए स्थगित कर दिया गया । याची-अभियुक्त ने तारीख 17 नवम्बर, 2017 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 के अधीन एक अन्य आवेदन फाइल किया जो लंबित बना रहा । याची-अभियुक्त ने अमृत पाल सिंह बनाम राहुल आहुजा शीर्षक वाला वर्ष 2016 का सीआरएम-एम-45277 फाइल किया था जिसके माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि न्यायालय के तारीख 28 नवम्बर, 2016 के आदेश को अपास्त किया जाए, जिसे न्यायालय ने अपने तारीख 5 फरवरी, 2019 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया । याची-अभियुक्त ने परिवाद और उसके विरुद्ध जारी समन आदेश को अभिखंडित किए जाने के लिए अमृत पाल सिंह बनाम राहुल आहुजा शीर्षक वाला वर्ष 2016 का सीआरएम-एम-45288 फाइल किया था, जिसका इस न्यायालय द्वारा तारीख 5 फरवरी, 2019 को निपटारा किया गया और यह निदेश जारी किया गया कि याची अपने सभी अभिवाक् विचारण न्यायालय के समक्ष रख सकता है । तारीख 3 नवम्बर, 2017 को याची-अभियुक्त ने अमृत पाल सिंह बनाम राहुल आहुजा शीर्षक वाला वर्ष 2017 का सीआरएम-एम-41957 फाइल किया था, जिसके माध्यम से यह अनुरोध किया गया कि तारीख 31 अगस्त, 2017 के आदेश को अपास्त किया जाए, जिसका निपटारा इस न्यायालय द्वारा अपने तारीख 5 फरवरी, 2019 के एक आदेश द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से याची-अभियुक्त को प्रत्यर्थी-परिवादी की प्रतिपरीक्षा किए जाने का एक अंतिम अवसर उपलब्ध कराए जाने का निदेश दिया

गया । तद्नुसार, तारीख 19 मार्च, 2019 को प्रत्यर्थी-परिवादी की ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई । उसके पश्चात् याची-अभियुक्त ने उस समय जब प्रत्यर्थी-परिवादी के साक्ष्य को पूरा करते हुए बंद कर दिया गया और मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन को लेखबद्ध करने हेतु रखा गया तब संक्षिप्त विचारण को वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने संबंधी अपने आवेदन का निपटारा किए जाने पर बल दिया ।

14. याची-अभियुक्त ने विचारण के आरंभ पर संक्षिप्त विचारण को वारंट मामले के रूप में संपरिवर्तित किए जाने हेतु कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया था और परिवाद मामले के विचारण के आरंभ के समय संक्षिप्त विचारण को वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने हेतु आवेदन फाइल न किए जाने संबंधी कोई सुसंगत स्पष्टीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है । यहां यह संप्रेक्षण किया जाना आवश्यक है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143(3) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिवाद मामले को याची-अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की तारीख से छह मास के भीतर निपटाए जाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना अपेक्षित है । याची-अभियुक्त ने जानबूझकर मामले के निपटारे में विलंब करने हेतु सभी प्रकार की विलंबकारी रणनीतियों को अपनाया है और यह तथ्य उसके द्वारा दावा किए गए अनुतोष के लिए उसके हकदारी को समाप्त करने हेतु पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त, यह संप्रेक्षण भी किया जा सकता है कि याची-अभियुक्त ने मामले के संक्षिप्त विचारण में भाग लिया है और विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, लुधियाना द्वारा प्रत्यर्थी-परिवादी को प्रतिपरीक्षा हेतु पुन: बुलाने के उसके आवेदन को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, लुधियाना द्वारा तारीख 31 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा खारिज किए जाने के पश्चात् याची-अभियुक्त द्वारा तारीख 3 नवम्बर, 2017 को फाइल किए गए अमृत पाल सिंह बनाम राहुल आहुजा शीर्षक वाले वर्ष 2017 के सीआरएम-एम-41957 में, जिसके माध्यम से तारीख 31 अगस्त, 2017 के आदेश को अपास्त किए जाने का अनुरोध किया गया था, विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया । उसके पश्चात् याची-अभियुक्त

ने तारीख 17 नवम्बर, 2017 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 के अधीन एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु उस समय भी याची-अभियुक्त ने उसके निपटारे पर बल नहीं दिया, जो तारीख 5 फरवरी, 2019 के आदेश द्वारा उपरोक्त याचिका के निपटारे तक लंबित बना रहा । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि याची-अभियुक्त ने स्वयं इस न्यायालय के समक्ष तारीख 31 अगस्त, 2017 के आदेश को अपास्त किए जाने का अनुरोध करते हुए एक याचिका फाइल करने का विकल्प लिया था, जिसका निपटारा इस न्यायालय द्वारा अपने तारीख 5 फरवरी, 2019 के आदेश द्वारा किया गया था और जिसके माध्यम से याची-अभियुक्त को प्रत्यर्थी-परिवादी की आगे और प्रतिपरीक्षा किए जाने का एक अंतिम अवसर मंजूर किया गया था और उसका अनुपालन करते हुए प्रत्यर्थी-परिवादी की गहन प्रतिपरीक्षा की गई थी । याची-अभियुक्त ऐसे आधारों पर, जो उसे ज्ञात हैं और जो विचारण के आरंभ के समय उक्त अनुतोष का दावा करने हेतु उपलब्ध थे और साथ ही तारीख 31 अगस्त, 2017 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किए जाने का अनुरोध करते हुए याचिका फाइल किए जाने के समय या किसी भी दशा में उपरोक्त याचिका की अंतिम सुनवाई के समय भी याची-अभियुक्त को उपलब्ध थे, संक्षिप्त विचारण को वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने का अनुरोध करते हुए कोई याचिका फाइल करने से विबंधित है ।

15. अन्यथा भी याची-अभियुक्त ने इस आधार पर विचारण को समन मामले से वारंट मामले में संपरिवर्तित करने का अनुरोध किया है कि विवाद मुख्यत: सिविल प्रकृति का है, जिसमें तारीख 1 नवम्बर, 2013 के एक त्रिपक्षीय विक्रय करार का निष्पादन किए जाने संबंधी प्रश्न अंतर्वलित है, जो कोवलम इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और श्री सुमेश चड्ढा से संबंधित है, जिसमें बड़ी संख्या में साक्षियों की परीक्षा किया जाना तथा बड़ी संख्या में दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसके कारण यह वांछनीय नहीं होगा कि मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाए क्योंकि उससे याची-अभियुक्त को समुचित प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं होगा । यहां यह

संप्रेक्षण करना अनिवार्य है कि संक्षिप्त विचारण के दौरान केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 264 के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार साक्ष्य का सार लेखबद्ध किया जाना अपेक्षित है किन्तु याचिका में याची-अभियुक्त द्वारा की गई प्रत्यर्थी-परिवादी की प्रतिपरीक्षा के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी-परिवादी की प्रतिपरीक्षा को ब्यौरेवार रूप से लेखबद्ध किया गया और प्रस्तुत किए गए कुछ प्रश्नों के उत्तरों को विस्तृत रूप से लेखबद्ध किया गया है । याची-अभियुक्त उसके द्वारा परीक्षा किए जाने वाले साक्षियों और अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत कर सकता है और साथ ही वह विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे साक्षियों के नामों को उल्लिखित करते हुए आवेदन फाइल कर सकता है जिनकी उपस्थिति वह न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित करना चाहता है तथा वह ऐसे दस्तावेजों को भी विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित कर सकता है जिन्हें प्रस्तुत किए जाने के लिए न्यायालय की सहायता अपेक्षित है । इस प्रकार की आशंका के लिए कोई विधिपूर्ण आधार विद्यमान नहीं है कि न्यायालय उसे इस प्रकार की सहायता प्रदान करने से इनकार करेगा, सिवाय उस समय के जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे साक्षियों की परीक्षा किया जाना और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना मामले के उचित विनिश्चय हेतु सुसंगत नहीं है और वे मामले के निपटारे में अनुचित विलंब करेंगे और उनको प्रस्तुत किए जाने पर बल दिया जाना याची-अभियुक्त द्वारा अपनाई जा रही विलंबकारी रणनीति का एक भाग है । चूंकि, याची वर्तमान मामले में एकमात्र अभियुक्त है और मामले में उचित निर्णय दिए जाने हेतु उसके विधिक रूप से प्रवर्तनीय दायित्व संबंधी प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा उसे ऐसा संपूर्ण प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान करके किया जा सकता है, जैसा कि न्यायालय सुसंगत समझता है, इसलिए याची-अभियुक्त के पक्षकथन पर उस समय भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वर्तमान मामले को समन मामला मानकर उसका संक्षिप्त रूप से विचारण करके उसका निपटारा किया जाता है । दूसरी ओर, इस प्रक्रम पर समन मामले के रूप में संक्षिप्त विचारण को वारंट मामले के रूप में

संपरिवर्तित किए जाने पर वर्तमान परिवाद मामले के निपटारे में अनावश्यक विलंब होगा जो कि पहले ही पांच वर्ष के अधिक समय से निपटारे हेतु लंबित है ।

16. वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां **मैसर्स लियो ग्रेनेक्स** (उपरोक्त) वाले मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न हैं, जिसका अवलंब याची-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा लिया गया है, क्योंकि उस मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद मामले के विचारण में 8.10 करोड़ रुपए की रकम वाले चैक का अनादर अंतर्वलित था और इतनी बड़ी रकम के अंतर्वलित होने के कारण तथा विवाद के सिविल प्रकृति के होने के कारण जिसमें बड़ी संख्या में साक्षियों की परीक्षा किया जाना सम्मिलित था तथा बहु प्रकार के दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, मामले के प्रारंभ पर ही मामले को वारंट मामले में संपरिवर्तित किया गया था, अतः, उक्त मामले में किए गए संप्रेक्षण याची-अभियुक्त की कोई सहायता नहीं करते हैं ।

17. मामले के उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि विचारण को वारंट मामले में संपरिवर्तित किए जाने हेतु कोई समुचित आधार नहीं बनाए गए हैं और याची-अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए उक्त अनुरोध को अंतर्वलित करने वाले आवेदन को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सही रूप से खारिज किया गया है । आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई अविधिपूर्ण बात अंतर्वलित नहीं है जिससे यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप करे ।

18. उक्त याचिका को, उसमें कोई गुण न होने के कारण खारिज किया जाता है और तद्नुसार, उक्त याचिका का निपटारा किया जाता है और उसमें खर्चे संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

याचिका खारिज की जाती है ।

पु.

के. मोहम्मद मराईकयर

बनाम

एम. जानबा साहिब

[2017 का दांडिक पुनरीक्षण मामला (एमडी) सं. 712]

तारीख 9 अप्रैल, 2021

न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 और धारा 139 – चैक का अनादर – अभियुक्त द्वारा अभिकथित ऋण संव्यवहार के संबंध में विवाद उठाया जाना – अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन किया जाना कि परिवादी के पास उसे ऋण उपलब्ध कराए जाने की न तो क्षमता है और न ही पर्याप्त साधन – तथापि, अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया जाना कि उसने परिवादी के दामाद के पक्ष में चैक जारी किया था – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा चैक पर विद्यमान हस्ताक्षर के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद न उठाया जाना – अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन किया जाना कि उसके पास किसी प्रकार का कोई बैंक खाता नहीं है और न ही आक्षेपित चैक उसका है, किन्तु अभियुक्त द्वारा निचले न्यायालयों के समक्ष इस प्रभाव की प्रतिरक्षा प्रस्तुत न किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा धारा 139 के अधीन परिवादी के पक्ष में विद्यमान उपधारणा को नकारने में असफल रहना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि निचले न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश सर्वथा उचित हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त उसका परिचित है क्योंकि वे दोनों मूल रूप से एक ही ग्राम के निवासी हैं और तारीख 6 फरवरी, 2012 को अभियुक्त ने परिवादी से अपने माता-पिता के चिकित्सीय व्ययों की पूर्ति करने तथा अपनी पत्नी के स्वामित्व वाले घर के भाग में चल रहे

सन्निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अपने ससुर की सहायता हेतु 2,30,000/- रुपए की एक रकम उधार ली थी और अभियुक्त ने उक्त ऋण को चुकाने का प्रयास करने हेतु इंडियन ओवरसीज बैंक, पेरियाकुलम शाखा में आहरित एक चैक जारी किया था, जिसमें 2,30,000/- रुपए की रकम को भरा गया था और उक्त चैक परिवादी को जारी किया गया था और जब परिवादी ने उक्त चैक नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा इस टिप्पणी के साथ उसका अनादर करते हुए उसे लौटा दिया गया कि 'खाते में पर्याप्त निधियां उपलबध नहीं हैं' और जब परिवादी इस संबंध में बात करने हेतु अभियुक्त के घर गया और उसने उक्त रकम के संबंध में मांग प्रस्तुत की तो अभियुक्त, उसकी माता और उसकी पत्नी ने परिवादी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे यह धमकी दी कि वे उसे किसी प्रकार के धन का संदाय नहीं करेंगे और उसके पश्चात् परिवादी ने मजबूर होकर तारीख 10 जुलाई, 2012 को जिला पुलिस अधीक्षक, थेनी के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की । पुलिस ने उक्त शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् मामले की जांच की और दोनों पक्षकारों के बीच इस प्रभाव का समझौता हुआ कि अभियुक्त अपनी संपत्ति का परिवादी और दो अन्य व्यक्तियों को विक्रय करेगा तथा इस संबंध में एक विक्रय करार का निष्पादन किया गया और उस समय अभियुक्त ने परिवादी से पांच हजार रुपए की एक रकम प्राप्त की और साथ ही एक अन्य पांच हजार की रकम उसके द्वारा एक अन्य व्यक्ति सयैद हुसैन से भी प्राप्त की गई और उक्त विक्रय करार में इस प्रभाव का पृष्ठांकन भी किया गया । किन्तु, परिवादी द्वारा अनेक बार अनुरोध करने के पश्चात् भी विक्रय विलेख का निष्पादन नहीं किया गया अपितु दुसरी ओर अभियुक्त तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने परिवादी को पुन: धमकी देना आरंभ कर दिया जिसके कारण मजबूर होकर परिवादी ने तारीख 12 अगस्त, 2013 को जिला कलेक्टर के समक्ष एक अन्य शिकायत दर्ज की और उसके पश्चात् वडाकराई पुलिस थाने में समझौता संबंधी वार्तालाप का आयोजन किया गया, इसके पश्चात्, अभियुक्त ने परिवादी को 2,30,000/- रुपए की रकम का एक अन्य चैक जारी किया जिसकी सं. 67733 है और जिस पर 15 अप्रैल, 2014 की तारीख डाली गई थी और जिसे इंडियन ओवरसीज बैंक, पेरियाकुलम शाखा में आहरित किया गया था । उसके पश्चात् परिवादी ने चैक को भुगतान हेतु बैंक

भेजा किन्तु बैंक ने पुन:, उसका अनादर करते हुए उसे लौटा दिया, जिसके पश्चात् परिवादी ने पुन: पुलिस उप अधीक्षक, थेनी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की और जब अभियुक्त को परिवादी द्वारा की गई उक्त शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो उसने परिवादी से संपर्क किया और उससे यह अनुरोध किया कि वह उस चैक को पुन: नकदीकरण हेतु प्रस्तुत करे और अभियुक्त के अनुरोध पर परिवादी ने तारीख 15 अप्रैल, 2014 को पुन: चैक को नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया किन्तु बैंक ने इस आधार पर कि खाते में पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थी, उक्त चैक को पुन: अनादर करते हुए लौटा दिया । तत्पश्चात्, परिवादी ने तारीख 22 मई, 2014 को अभियुक्त को एक विधिक सूचना जारी की, जिसके माध्यम से उसने चैक में उल्लिखित रकम की मांग प्रस्तुत की । यद्यपि, अभियुक्त को उक्त विधिक सूचना तारीख 23 मई, 2014 को प्राप्त हो गई थी, किन्तु अभियुक्त ने न तो उक्त विधिक सूचना को कोई उत्तर दिया और न ही उसने परिवादी को किसी प्रकार का कोई संदाय किया और इसलिए, परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन एक परिवाद प्रस्तुत किया । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद प्राप्त होने पर परिवादी का शपथ पर कथन लेखबद्ध किया और अभिलेखों का परिशीलन करने और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में वर्ष 2014 का एसटीसी सं. 1438 को दर्ज करते हुए फाइल आरंभ की और यह आदेश दिया कि अभियुक्त को सम्मन जारी किए जाए । अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 207 के अधीन अभिलेख की प्रतियां नि:शुल्क उपलब्ध कराई गईं । जब अभियुक्त से उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध के संबंध में प्रश्न किया गया तो उसने अभिकथित अपराध किए जाने से इनकार किया तथा दोषी न होने का अभिवाक् किया । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने के पश्चात् तारीख 9 जून, 2016 को अपना निर्णय पारित किया, जिसके माध्यम से विद्वान् मजिस्ट्रेट ने परक्राम्य लिखत

अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया । दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, पेरियाकुलम के समक्ष वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 46 प्रस्तुत की और विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने अभिलेखों का परिशीलन करने और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् तारीख 13 अप्रैल, 2017 का आक्षेपित निर्णय पारित किया, जिसके द्वारा उन्होंने उक्त अपील को खारिज करते हुए, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेरियाकुलम द्वारा वर्ष 2014 के एसटीसी सं. 1438 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की । अपील न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न होते हुए अभियुक्त ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उक्त आक्षेपित निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण मामले पर विचार करने के पश्चात् उसे खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त ने प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित विवादित चैक के संबंध में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह चैक उसका है और उसने प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित चैक पर विद्यमान हस्ताक्षरों के संबंध में भी कोई विवाद नहीं उठाया है । परिणामतः, दोनों निचले न्यायालयों ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 और धारा 118 के अधीन परिवादी के पक्ष में उपयुक्त उपधारणा अवधारित की है । वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने इस अभिकथन को विवादित किया है कि उसके और वास्तविक परिवादी के बीच ऋण से संबंधित कोई संव्यवहार हुआ था किन्तु उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने परिवादी के दामाद के पक्ष में चैक जारी किया था । अभियुक्त ने किसी भी समय-बिन्दु पर प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित चैक पर विद्यमान हस्ताक्षर को विवादित नहीं किया । प्रतिरक्षा पक्ष ने न तो अभिलेख पर किसी प्रकार की कोई सामग्री प्रस्तुत की है और न ही यह दर्शित करने के लिए किन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख किया है, जिनसे यह निष्कर्ष निकल सके कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभियुक्त के पक्ष में प्रस्तुत की गई प्रतिरक्षा संभव है । उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियुक्त परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन कानूनी उपधारणा को नकारने

में असफल रहा है । अत:, उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि विचारण न्यायालय और साथ ही अपील न्यायालय के इस प्रभाव के निष्कर्ष कि अभियुक्त परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध किए जाने का दोषी है, के संबंध में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है और यह न्यायालय निचले न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि के समवर्ती निर्णयों से पूर्णतया सहमत है । जहां तक दंड का संबंध है, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध एक वर्ष के साधारण कारावास के दंडादेश को पारित किया और साथ ही उसे दो मास की अवधि के भीतर परिवादी को 2,30,000/- रुपए की रकम का प्रतिकर का संदाय करने का निदेश दिया, जिसमें व्यतिक्रम किए जाने पर उसे दो मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा और विद्वान् अपील न्यायाधीश ने भी विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित उक्त दंडादेश की पुष्टि की है । अपराध की प्रकृति पर विचार करते हुए तथा चैक की रकम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश काफी युक्तियुक्त है और उसे अधिक नहीं कहा जा सकता । अत:, निचले न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किए जाने का कोई युक्तियुक्त कारण विद्यमान नहीं है और परिणामत:, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका, उसमें कोई गुण न होने के कारण, खारिज किए जाने की दायी है । इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण मामले को खारिज किया जाता है । विचारण न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने हेतु आवश्यक उपाय करे जिससे अभियुक्त अपने दंडादेश की शेष अवधि, यदि कोई हो, को पूरा करे सके । (पैरा 14, 16, 19, 20, 21, 22 और 23)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 का दांडिक पुनरीक्षण मामला (एमडी) सं. 712.

वर्तमान पुनरीक्षण मामला अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, थेनी द्वारा वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 46 में पारित तारीख 14 अप्रैल, 2017 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध फाइल किया गया है ।

याची की ओर से श्री बी. शेखर, विधिक सहायता काउंसेल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. अरविन्द राज

न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर – वर्तमान पुनरीक्षण मामला अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, थेनी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेरियाकुलम के न्यायालय की फाइल पर वर्ष 2014 के सेशन विचारण मामला सं. 1438 में तारीख 9 जून, 2016 को पारित उस निर्णय, जिसके माध्यम से अभियुक्त/याची को सिद्धदोष ठहराया गया था, के विरुद्ध वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 46 में पारित तारीख 14 अप्रैल, 2017 के उस निर्णय के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके माध्यम से विद्वान् जिला और सेशन न्यायाधीश ने विद्वान् विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उक्त निर्णय की पुष्टि की थी ।

2. वर्तमान याचिका को फाइल करने वाला पुनरीक्षण याची मूल मामले का अभियुक्त है । प्रत्यर्थी/परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 138 और 142 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए पुनरीक्षण याची के विरुद्ध एक परिवाद फाइल किया था ।

3. सुविधा हेतु तथा निर्णय को संक्षिप्त रखने के लिए वर्तमान याचिका के पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी प्रास्थिति/रैंक के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है ।

4. परिवादी का पक्षकथन इस प्रकार है कि अभियुक्त उसका परिचित है क्योंकि वे दोनों मूल रूप से एक ही ग्राम के निवासी हैं और तारीख 6 फरवरी, 2012 को अभियुक्त ने परिवादी से अपने माता-पिता के चिकित्सीय व्ययों की पूर्ति करने तथा अपनी पत्नी के स्वामित्व वाले घर के भाग में चल रहे सन्निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अपने ससुर की सहायता हेतु 2,30,000/- रुपए की एक रकम उधार ली थी और अभियुक्त ने उक्त ऋण को चुकाने का प्रयास करने हेतु इंडियन ओवरसीज बैंक, पेरियाकुलम शाखा में आहरित एक चैक जारी किया था, जिसमें 2,30,000/- रुपए की रकम को भरा गया था और उक्त चैक परिवादी को जारी किया गया था और जब परिवादी ने उक्त चैक नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा इस टिप्पणी के साथ उसका अनादर करते हुए उसे लौटा दिया गया कि 'खाते में पर्याप्त निधियां उपलबध नहीं हैं' और जब परिवादी इस संबंध में बात करने हेतु

अभियुक्त के घर गया और उसने उक्त रकम के संबंध में मांग प्रस्तुत की तो अभियुक्त, उसकी माता और उसकी पत्नी ने परिवादी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे यह धमकी दी कि वे उसे किसी प्रकार के धन का संदाय नहीं करेंगे और उसके पश्चात् परिवादी ने मजबूर होकर तारीख 10 जुलाई, 2012 को जिला पुलिस अधीक्षक, थेनी के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की । पुलिस ने उक्त शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् मामले की जांच की और दोनों पक्षकारों के बीच इस प्रभाव का समझौता हुआ कि अभियुक्त अपनी संपत्ति का परिवादी और दो अन्य व्यक्तियों को विक्रय करेगा तथा इस संबंध में एक विक्रय करार का निष्पादन किया गया और उस समय अभियुक्त ने परिवादी से पांच हजार रुपए की एक रकम प्राप्त की और साथ ही एक अन्य पांच हजार की रकम उसके द्वारा एक अन्य व्यक्ति सयैद हुसैन से भी प्राप्त की गई और उक्त विक्रय करार में इस प्रभाव का पृष्ठांकन भी किया गया । किन्तु, परिवादी द्वारा अनेक बार अनुरोध करने के पश्चात् भी विक्रय विलेख का निष्पादन नहीं किया गया अपितु दुसरी ओर अभियुक्त तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने परिवादी को पुन: धमकी देना आरंभ कर दिया जिसके कारण मजबूर होकर परिवादी ने तारीख 12 अगस्त, 2013 को जिला कलेक्टर के समक्ष एक अन्य शिकायत दर्ज की और उसके पश्चात् वडाकराई पुलिस थाने में समझौता संबंधी वार्तालाप का आयोजन किया गया, इसके पश्चात्, अभियुक्त ने परिवादी को 2,30,000/- रुपए की रकम का एक अन्य चैक जारी किया जिसकी सं. 67733 है और जिस पर 15 अप्रैल, 2014 की तारीख डाली गई थी और जिसे इंडियन ओवरसीज बैंक, पेरियाकुलम शाखा में आहरित किया गया था । उसके पश्चात् परिवादी ने चैक को भुगतान हेतु बैंक भेजा किन्तु बैंक ने पुन:, उसका अनादर करते हुए उसे लौटा दिया, जिसके पश्चात् परिवादी ने पुन: पुलिस उप अधीक्षक, थेनी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की और जब अभियुक्त को परिवादी द्वारा की गई उक्त शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो उसने परिवादी से संपर्क किया और उससे यह अनुरोध किया कि वह उस चैक को पुन: नकदीकरण हेतु प्रस्तुत करे और अभियुक्त के अनुरोध पर परिवादी ने तारीख 15 अप्रैल, 2014 को पुन: चैक को नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया किन्तु बैंक ने इस आधार पर कि खाते में पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थी, उक्त चैक को पुन: अनादर

करते हुए लौटा दिया । तत्पश्चात्, परिवादी ने तारीख 22 मई, 2014 को अभियुक्त को एक विधिक सूचना जारी की, जिसके माध्यम से उसने चैक में उल्लिखित रकम की मांग प्रस्तुत की । यद्यपि, अभियुक्त को उक्त विधिक सूचना तारीख 23 मई, 2014 को प्राप्त हो गई थी, किन्तु अभियुक्त ने न तो उक्त विधिक सूचना को कोई उत्तर दिया और न ही उसने परिवादी को किसी प्रकार का कोई संदाय किया और इसलिए, परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन एक परिवाद प्रस्तुत किया ।

5. विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद प्राप्त होने पर परिवादी का शपथ पर कथन लेखबद्ध किया और अभिलेखों का परिशीलन करने और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में वर्ष 2014 का एसटीसी सं. 1438 को दर्ज करते हुए फाइल आरंभ की और यह आदेश दिया कि अभियुक्त को सम्मन जारी किए जाएं । अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 207 के अधीन अभिलेख की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं । जब अभियुक्त से उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध के संबंध में प्रश्न किया गया तो उसने अभिकथित अपराध किए जाने से इनकार किया तथा दोषी न होने का अभिवाक् किया ।

6. विचारण के दौरान परिवादी ने अभि. सा. 1 के रूप में अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया और इसके अतिरिक्त उसने अब्दुल नज़ीर नामक एक अन्य व्यक्ति की अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की । परिवादी के पक्ष की ओर से साक्ष्य समाप्त हो जाने के पश्चात् जब अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(1)(ख) के अधीन प्रश्न किए गए तो उसने परिवादी के पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से इनकार किया और उसने उन्हें मिथ्या बताया और साथ ही यह भी कथन किया कि उसके विरुद्ध एक मिथ्या मामला बनाया गया है । यद्यपि, अभियुक्त ने यह कथन किया है कि उसके पास अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य विद्यमान है किन्तु उसके पश्चात् उसने किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया ।

7. विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने के पश्चात् तारीख 9 जून, 2016 को अपना निर्णय पारित किया, जिसके माध्यम से विद्वान् मजिस्ट्रेट ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया और उसके विरुद्ध एक वर्ष के साधारण कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया और साथ ही यह भी आदेश दिया कि वह इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अधीन परिवादी को 2,30,000/- रुपए की रकम के प्रतिकर का संदाय करे, जिसमें व्यतिक्रम किए जाने पर उसे दो मास का साधारण कारावास और भोगना होगा । उक्त दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, पेरियाकुलम के समक्ष वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 46 प्रस्तुत की और विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने अभिलेखों का परिशीलन करने और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् तारीख 13 अप्रैल, 2017 का आक्षेपित निर्णय पारित किया, जिसके द्वारा उन्होंने उक्त अपील को खारिज करते हुए, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेरियाकुलम द्वारा वर्ष 2014 के एसटीसी सं. 1438 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की । अपील न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न होते हुए अभियुक्त ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उक्त आक्षेपित निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है ।

8. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में विचार किए जाने योग्य बिन्दु यह है कि क्या वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 46, जो अपर जिला और सेशन न्यायालय, थेनी, पेरियाकुलम की फाइल से संबंधित है, में न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेरियाकुलम के न्यायालय की फाइल पर वर्ष 2014 के एसटीसी सं. 1438 में तारीख 9 जून, 2016 को दिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए पारित दोषसिद्धि के समवर्ती निर्णय अपास्त किए जाने के दायी हैं ?

9. प्रारंभ में यह आवश्यक है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118क और धारा 139 को निर्दिष्ट किया जाए जो कानूनी उपधारणा से संबंधित है । उक्त धाराएं निम्नानुसार हैं :–

"118. .....

(क) यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतिरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतिरित की गई थी ;

*** *** ***

139. धारक के पक्ष में उपधारणा – जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है ।"

10. परिवादी का विनिर्दिष्ट पक्षकथन यह है कि अभियुक्त ने अपने माता-पिता के चिकित्सा संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति करने तथा अपने ससुर को उसकी पत्नी के स्वामित्व वाले घर के भाग में सन्निर्माण कार्य पूरा करने हेतु होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए तारीख 6 फरवरी, 2012 को उससे 2,30,000/- रुपए की रकम उधार ली थी और उसे चुकाने के लिए अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक जारी किया था, जिसे नकदीकरण हेतु बैंक में जमा करने पर, बैंक ने उसका अनादर करते हुए उसे लौटा दिया और जब परिवादी ने अभियुक्त से चैक में लिखी गई रकम को वापस मांगा तो अभियुक्त तथा उसके कुटुम्ब के सदस्यों ने परिवादी के साथ दुर्व्यवहार किया तथा उसे धमकी दी और इस प्रकार परिवादी ने मजबूर होकर तारीख 10 जुलाई, 2012 को जिला पुलिस अधीक्षक, थेनी के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की, जो प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नित है और उसके पश्चात् परिवादी ने तारीख 12 अगस्त, 2013 को जिला कलेक्टर के समक्ष भी इसी संबंध में एक शिकायत प्रस्तुत की और उक्त शिकायत की अभिस्वीकृति प्राप्त की जो प्रदर्श पी-2 के रूप में चिह्नित है । उसके पश्चात् अभियुक्त ने इंडियन ओवरसीज बैंक, पेरियाकुलम शाखा पर आहरित तारीख 15 अप्रैल, 2014 का एक और चैक परिवादी को दिया जिस पर 2,30,000/- रुपए की रकम अंकित थी, जो प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित है । जब उक्त चैक को नकदीकरण हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया तो बैंक द्वारा यह टिप्पणी करते हुए उसका अनादर करते हुए लौटा दिया गया कि

खाताधारक के खाते में पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं हैं, उक्त टिप्पणी तारीख 15 अप्रैल, 2014 के बैंक ज्ञापन के माध्यम से की गई थी जो प्रदर्श पी-4 के रूप में चिह्नित है । उसके पश्चात् परिवादी ने तारीख 5 मई, 2014 को जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक और शिकायत दर्ज की, जो प्रदर्श पी-5 के रूप में चिह्नित है । इसके पश्चात् जब अभियुक्त को यह तथ्य ज्ञात हुआ कि परिवादी ने उसके विरुद्ध उक्त शिकायत दर्ज की है तो उसने परिवादी से यह अनुरोध किया कि वह उक्त चैक को नकदीकरण हेतु पुन: प्रस्तुत करे और उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए परिवादी ने तद्नुसार पुन: तारीख 15 मई, 2014 को उक्त चैक को नकदीकरण हेतु बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया किन्तु बैंक ने खाते में पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने के कारण तारीख 15 मई, 2014 के बैंक ज्ञापन के माध्यम से उक्त चैक को अनादर करते हुए लौटा दिया, उक्त बैंक ज्ञापन प्रदर्श पी-6 के रूप में चिह्नित है और उसके पश्चात् परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध तारीख 22 मई, 2014 की एक विधिक सूचना जारी की, जिसके माध्यम से अभियुक्त से चैक पर अंकित रकम का संदाय करने की मांग की गई, उक्त विधिक सूचना प्रदर्श पी-7 के रूप में चिह्नित है और उक्त विधिक सूचना को आरपीएडी के माध्यम से भेजा गया था जिसकी पावती प्रदर्श पी-8 के रूप में चिह्नित है और अभियुक्त को उक्त कानूनी सूचना तारीख 23 मई, 2014 को प्राप्त हो गई थी जैसा कि भारतीय डाक द्वारा जारी पावती से स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है, उक्त पावती प्रदर्श पी-9 के रूप में चिह्नित है । उसके पश्चात् अभियुक्त ने उक्त कानूनी सूचना का न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया और न ही परिवादी को किसी प्रकार का कोई संदाय किया, जिसके कारण परिवादी ने मजबूर होकर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध एक परिवाद फाइल किया ।

11. परिवादी ने अभि. सा. 1 के रूप में अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके दौरान उसने अपने परिवाद में किए गए प्रतिवादों को दोहराया और उसने अभियुक्त के दायित्व और उक्त दायित्वों के निर्वहन में अभियुक्त द्वारा जारी किए गए चैकों तथा 'पर्याप्त निधियां' उपलब्ध न होने के कारण चैकों के अनादर, कानूनी सूचना जारी किए जाने तथा अभियुक्त द्वारा अनुबंधित समय के भीतर रकम का संदाय करने में

असफल रहने के संबंध में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया ।

12. अभि. सा. 1 के अनुसार, अभि. सा. 2 जो उसका मित्र है, इस संपूर्ण संव्यवहार से भलीभांति परिचित था, जिसके अंतर्गत चैकों का जारी किया जाना और तत्पश्चात् उनका अनादर किया जाना भी है । अभि. सा. 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने साक्ष्य में परिवादी द्वारा किए गए इस प्रभाव के कथन को दोहराया है कि अभियुक्त ने परिवादी से ऋण प्राप्त किया था और उक्त ऋण को चुकाने के लिए उसने परिवादी को चैक जारी किए थे जिनका बाद में बैंक द्वारा अनादर किया गया ।

13. यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि अभियुक्त ने विधिक सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उक्त सूचना का कोई उत्तर अग्रेषित नहीं किया और उसने इस प्रकार उत्तर न दिए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया है । जैसा कि पहले ही उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का विकल्प लिया है, किन्तु अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार उद्धृत किया जा सकता है :–

> अभियुक्त ने परिवादी के दामाद के पक्ष में एक चैक जारी किया है और परिवादी ने अभियुक्त से धन प्राप्त करने के प्रयास में उक्त चैक का गलत उपयोग किया और उसके विरुद्ध मिथ्या मामला तैयार किया । परिवादी के पास अभियुक्त को ऋण देने के लिए न तो पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और न ही उसकी ऐसी क्षमता है । परिवादी, अभियुक्त की जानकारी के बिना अभियुक्त की भूमि के लिए उसके द्वारा उसके मित्र के साथ किए गए विक्रय करार में सम्मिलित हुआ । अभियुक्त ने परिवादी से कभी-भी किसी प्रकार की कोई रकम ऋण स्वरूप प्राप्त नहीं की और न ही उसने कभी परिवादी को कोई चैक जारी किया ।

14. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त प्रतिरक्षा पर विचार करने के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित चैक को जारी किया, किन्तु उसके अनुसार उक्त चैक परिवादी के दामाद सिद्दिकी

को जारी किया गया था । मामला कुछ भी रहा हो, जैसा कि विचारण न्यायालय और साथ ही अपीली न्यायालय द्वारा सही रूप से यह संप्रेक्षण किया गया है कि अभियुक्त ने प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित विवादित चैक के संबंध में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह चैक उसका है और उसने प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित चैक पर विद्यमान हस्ताक्षरों के संबंध में भी कोई विवाद नहीं उठाया है । परिणामत:, दोनों निचले न्यायालयों ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 और धारा 118 के अधीन परिवादी के पक्ष में उपयुक्त उपधारणा अवधारित की है ।

15. जैसा कि अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा सही रूप से प्रतिवाद किया गया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 और धारा 118 के अधीन उपधारणा की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसे नकारा जा सकता है । यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि इस प्रकार की कानूनी उपधारणा सदैव नकारे जाने योग्य बनी रहती है और यदि एक बार प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई ऐसा स्वीकार्य साक्ष्य सामने आता है जिससे उक्त उपधारणा को सफलतापूर्वक नकारा जा सके तो ऐसी परिस्थिति में यह साबित करने का भार परिवादी पर अंतरित हो जाता है कि वह एक सटीक साक्ष्य के माध्यम से यह साबित करे कि उपधारणा को नकारने वाला साक्ष्य स्वयं में त्रुटिपूर्ण है । यह एक सुस्थापित विधि है कि अभियुक्त के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 और धारा 118 के अधीन की गई उपधारणा को नकारने के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह कोई साक्ष्य प्रस्तुत करे, इसकी बजाय वह परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य के माध्यम से अपनी संभावित प्रतिरक्षा को साबित कर सकता है और अपेक्षित सबूत का मानक उसकी संभाव्यता की प्रबलता है ।

16. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही उल्लिखित किया गया है अभियुक्त ने इस अभिकथन को विवादित किया है कि उसके और वास्तविक परिवादी के बीच ऋण से संबंधित कोई संव्यवहार हुआ था किन्तु उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने परिवादी के दामाद के पक्ष में चैक जारी किया था । जैसा कि परिवादी के पक्ष द्वारा सही रूप से यह प्रतिवाद किया गया है कि अभियुक्त ने किसी भी समय-

बिन्दु पर प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित चैक पर विद्यमान हस्ताक्षर को विवादित नहीं किया ।

17. फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका के आधारों में यह अभिवाक् किया गया है कि अभियुक्त के पास कोई बैंक खाता मौजूद नहीं है और उक्त चैक उसका नहीं था किन्तु उक्त अभिवाक् को विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था । अभियुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह पक्षकथन नहीं किया गया है कि उसने निचले न्यायालय के समक्ष उक्त अभिवाक् को साबित करने के लिए सामग्री प्रस्तुत की है किन्तु निचले न्यायालय ने उस पर विचार नहीं किया था । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि चैक को 'अपर्याप्त निधियों' के कारण दो बार बैंक द्वारा लौटाया गया है और न कि किसी अन्य आधार पर और विशिष्ट रूप से बैंक द्वारा ऐसे किसी आधार का उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त के पक्ष में ऐसा कोई खाता विद्यमान नहीं है ।

18. निस्संदेह रूप से अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा प्रस्तुत की है कि परिवादी के पास उसे उक्त रकम का ऋण उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त साधान या क्षमता उपलब्ध नहीं है किन्तु उक्त विवाद्यक पर विचारण न्यायालय और साथ ही अपील न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा प्रस्तुत की है कि प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नित चैक को केवल परिवादी के दामाद सिद्दिकी के पक्ष में जारी किया गया था किन्तु उसने उक्त प्रतिरक्षा को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । यद्यपि, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई किन्तु उक्त प्रतिपरीक्षा से प्रतिरक्षा के पक्ष में कोई भी तथ्य सामने नहीं आ सका ।

19. प्रतिरक्षा पक्ष ने न तो अभिलेख पर किसी प्रकार की कोई सामग्री प्रस्तुत की है और न ही यह दर्शित करने के लिए किन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख किया है, जिनसे यह निष्कर्ष निकल सके कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभियुक्त के पक्ष में प्रस्तुत की गई प्रतिरक्षा संभव है ।

20. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियुक्त परक्राम्य

लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन कानूनी उपधारणा को नकारने में असफल रहा है । अत:, यह न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि विचारण न्यायालय और साथ ही अपील न्यायालय के इस प्रभाव के निष्कर्ष कि अभियुक्त परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध किए जाने का दोषी है, के संबंध में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है और यह न्यायालय निचले न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि के समवर्ती निर्णयों से पूर्णतया सहमत है ।

21. जहां तक दंड का संबंध है, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध एक वर्ष के साधारण कारावास के दंडादेश को पारित किया और साथ ही उसे दो मास की अवधि के भीतर परिवादी को 2,30,000/- रुपए की रकम का प्रतिकर का संदाय करने का निदेश दिया, जिसमें व्यतिक्रम किए जाने पर उसे दो मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा और विद्वान् अपील न्यायाधीश ने भी विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित उक्त दंडादेश की पुष्टि की है ।

22. अपराध की प्रकृति पर विचार करते हुए तथा चैक की रकम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश काफी युक्तियुक्त है और उसे अधिक नहीं कहा जा सकता । अत:, निचले न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किए जाने का कोई युक्तियुक्त कारण विद्यमान नहीं है और परिणामत:, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका, उसमें कोई गुण न होने के कारण, खारिज किए जाने की दायी है ।

23. इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण मामले को खारिज किया जाता है । विचारण न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने हेतु आवश्यक उपाय करे जिससे अभियुक्त अपने दंडादेश की शेष अवधि, यदि कोई हो, को पूरा करे सके ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

राहुल पांडे

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

(2021 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1020)

तारीख 6 अप्रैल, 2021

न्यायमूर्ति जी. एस. आहलुवालिया

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 53क – बलात्संग के एक मामले के विचारण के दौरान अंतिम प्रक्रम पर इस तथ्य का सामने आना कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर मानवीय शुक्राणु और वीर्य पाया गया है – अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क की ओर आकर्षित किया जाना तथा यह अनुरोध किया जाना कि अभियुक्त का डीएनए परीक्षण कराया जाए – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को डीएनए परीक्षण कराने का निदेश दिया जाना – अभियुक्त द्वारा उक्त निदेश को चुनौती दिया जाना – उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क के उपबंधों के अनुसार मामले में न्यायोचित निर्णय दिए जाने के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है ।

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376, 376क, 376(2)(ढ), 506 और 454 के अधीन अपराध करने के लिए विचारण का सामना कर रहे हैं । प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त हो जाने के पश्चात् मामले की तारीख को जब अंतिम तर्कणा हेतु नियत

किया गया तो उस समय विचारण न्यायालय ने यह पाया कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श-बी) के अनुसार अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर मानवीय शुक्राणु और वीर्य पाया गया है और न्यायालय ने यह निदेश दिया कि न्यायालय हेतु एक उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक के डीएनए का अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर पाए गए मानवीय शुक्राणु और वीर्य के डीएनए से मिलान किया जाए । निचले न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए आवेदक के काउंसेल द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि न्यायालय अंतिम प्रक्रम पर किसी कमी को दूर करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा विभिन्न मामलों विधियों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क के उपबंधों पर भली-भांति विचार करने के पश्चात् याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धारा 53क के उपबंधों के अनुसार किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर डीएनए परीक्षण कराए जाने के लिए निदेश जारी किए जा सकते हैं । यदि वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर मानवीय शुक्राणु और वीर्य पाए गए हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क ऐसी परिस्थिति में डीएनए परीक्षण को अनिवार्य बनाती है और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसमें न्यायोचित निर्णय देने के लिए डीएनए परीक्षण अनिवार्य है तो यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्षकथन में विद्यमान त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया है । अत:, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा डीएनए परीक्षण कराए जाने का निदेश देकर कोई अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं की गई है । तद्नुसार, वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका असफल होती है और उसे खारिज किया जाता है । (पैरा 8, 12, 13 तथा 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] (2016) 3 आरईसी क्रिमिनल आर. 155 :
राजा बर्मन उर्फ **राहू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 2,11,12

[2015] (2015) 2 एस. सी. सी. 90 :
शिवा वल्लभनेनी बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य** ; 7

[2013] (2013) 14 एस. सी. सी. 461 =
ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3081 :
राजाराम प्रसाद यादव बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ; 9

[2011] (2011) 7 एस. सी. सी. 130 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2877 :
कृष्ण कुमार मलिक बनाम **हरियाणा राज्य** ; 6

[1999] (1999) 6 एस. सी. सी. 110 =
ए. आई. आर. 199 एस. सी. 2292 :
राजेन्द्र प्रसाद बनाम **नारकोटिक सेल** । 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1020.

याची द्वारा वर्तमान याचिका 6 अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा सेशन विचारण सं. 545/2017 में तारीख 3 मार्च, 2021 को पारित निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

याची की ओर से श्री डी. पी. सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री उमा कुशवाहा, पैनल अधिवक्ता

न्यायमूर्ति जी. एस. आहलुवालिया – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 397 के अधीन फाइल की गई यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 6 अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा सेशन विचारण सं. 545/2017 में तारीख 3 मार्च, 2021 को पारित निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने याची को डीएनए परीक्षण कराए जाने का निदेश दिया है ।

2. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376, 376क, 376(2)(ढ), 506 और 454 के अधीन अपराध करने के लिए विचारण का सामना कर रहे हैं । प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त हो जाने के पश्चात् मामले की तारीख को जब अंतिम तर्कणा हेतु नियत किया गया तो उस समय विचारण न्यायालय ने यह पाया कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श-बी) के अनुसार अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर मानवीय शुक्राणु और वीर्य पाया गया है । तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय (प्रधान न्यायपीठ) की समन्वय न्यायपीठ द्वारा **राजा बर्मन** उर्फ **राहू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में, अर्थात् एमसीआर 6476/2016 में तारीख 4 मई, 2016 को पारित आदेश में यह निष्कर्ष निकाला कि न्यायालय हेतु एक उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक के डीएनए का अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर पाए गए मानवीय शुक्राणु और वीर्य के डीएनए से मिलान किया जाए ।

3. निचले न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए आवेदक के काउंसेल द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि न्यायालय अंतिम प्रक्रम पर किसी कमी को दूर करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता ।

4. आवेदक के विद्वान् काउंसेल को सुना ।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क निम्नानुसार है :–

> "53क. **बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा परीक्षा** – (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए

[1] (2016) 3 आरईसी क्रिमिनल आर. 155.

जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा-व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए, तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा ।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् –

(i) अभियुक्त और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता ;

(ii) अभियुक्त की आयु ;

(iii) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान, यदि कोई हों ;

(iv) डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन ; और

(v) उचित ब्यौरे सहित, अन्य तात्विक विशिष्टयां ।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे, जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है ।

(4) परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा ।

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट

मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भागरूप में भेजेगा ।"

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कृष्ण कुमार मलिक** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

"44. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में तारीख 23 जून, 2006 से एक नई धारा 53क अंत:स्थापित की गई है जिसके परिणामरूवरूप अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह ऐसी किस्म के मामलों में डीएनए परीक्षण कराए जिससे अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने में सुविधा हो सके । वर्ष 2006 से पूर्व, दंड प्रक्रिया संहिता में पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट उपबंध की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष डीएनए परीक्षण या अपीलार्थी के वीर्य का विश्लेषण और अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर पाए एक वीर्य से मिलान करने की प्रक्रिया का अवलंब ले सकता था जिससे उसके पक्षकथन को पूर्णरूपेण सुदृढ़ बनाया जा सके, किन्तु अभियोजन पक्ष ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें इसके परिणामों को भोगना होगा ।"

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिवा वल्लभनेनी** बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

"12. अपीलार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर बल दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के साथ पठित धारा 53क के अधीन तारीख 18 जून, 2012 को फाइल किया गया आवेदन कार्यवाही किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि अभियुक्त की पहले ही चिकित्सा परीक्षा की गई है । यह दलील प्रस्तुत की गई है कि दंड

---

[1] (2011) 7 एस. सी. सी. 130 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2877.

[2] (2015) 2 एस. सी. सी. 90.

प्रक्रिया संहिता की धारा 53क बलात्संग के किसी अभियुक्त व्यक्ति की किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा किए जाने से संबंधित है । इसे गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात् कराया जाना चाहिए । अपीलार्थी सं. 1 को चिकित्सा परीक्षा हेतु स्वयं को प्रस्तुत किए जाने संबंधी जारी किया गया निदेश अविधिपूर्ण है । हम यह महसूस करते हैं कि यह दलील चिकित्सा परीक्षा से बचने के लिए प्रस्तुत की गई है । अभियुक्त का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अन्वेषण अभिकरण के साथ सहयोग करे । राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह उल्लेख किया है कि धारा 53क में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी प्रकार से अन्वेषण अभिकरण को किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा कराए जाने से नहीं रोकते हैं । यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि पूर्वतर परीक्षा यह निष्कर्ष निकालने हेतु कराई गई थी कि क्या अभियुक्त के शरीर पर हिंसा के कोई चिह्न विद्यमान हैं अथवा नहीं । हम इस प्रक्रम पर इस विषय के संबंध में कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहते । यदि अभियुक्त चिकित्सा परीक्षा में विलंब के कारण कोई फायदा प्राप्त करने के हकदार हैं तो वे विचारण के दौरान ऐसे किसी बिन्दु पर बल दे सकते हैं । किन्तु उन्हें चिकित्सा परीक्षा हेतु स्वयं को प्रस्तुत करना होगा । अतः, इस दलील को खारिज किया जाता है ।"

8. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क के उपबंधों के अनुसार किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर डीएनए परीक्षण कराए जाने के लिए निदेश जारी किए जा सकते हैं ।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजाराम प्रसाद यादव** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

"17 पूर्वोक्त निर्णय पर संक्षिप्त रूप से विचार किए जाने पर हमें यह महसूस हुआ कि न्यायालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 138 के साथ पठित दंड प्रक्रिया

[1] (2013) 14 एस. सी. सी. 461 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3081.

संहिता की धारा 311 के अधीन किसी आवेदन पर कार्यवाही करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए –

17.1 क्या न्यायालय हेतु यह निष्कर्ष निकालना सही है कि उसे नए साक्ष्य की आवश्यकता है ? क्या धारा 311 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए ईप्सित साक्ष्य को न्यायालय द्वारा किसी मामले में उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए उल्लिखित किया गया है ?

17.2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन व्यापक विवेकपूर्ण शक्ति का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्णय तथ्यों के किसी अपूर्ण, अनिर्णायक अनुमान की प्रस्तुति के आधार पर नहीं लिया जाता है क्योंकि उसके कारण न्याय की हार हो जाएगी ।

17.3 यदि न्यायालय को किसी साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, मामले के उचित निर्णय के लिए अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यायालय के पास ऐसे किसी व्यक्ति को पुन: अपने समक्ष बुलाने हेतु उसे समन करने और उसकी परीक्षा करने या उसकी पुन: परीक्षा करने की शक्ति है ।

17.4 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य से या ऐसे तथ्यों के संबंध में उपयुक्त सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, जिनके परिणामस्वरूप मामले में एक न्यायोचित और सही निर्णय दिया जा सके ।

17.5 उक्त शक्ति के प्रयोग के संबंध में तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अभियोजन के पक्षकथन में किसी कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है जब तक कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह बात स्पष्ट न हो जाए कि न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप अभियुक्त पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हो सकती है ।

17.6 व्यापक विवेकपूर्ण शक्ति का प्रयोग न्यायोचित रूप से किया जाना चाहिए न कि स्वेच्छाचारिता से ।

17.7 न्यायालय का अवश्य ही यह समाधान होना चाहिए कि ऐसी किसी साक्षी की परीक्षा करना या उसे आगे और परीक्षा किए जाने के लिए पुन: बुलाना हर प्रकार से मामले में उचित निर्णय लेने के लिए अनिवार्य है ।

17.8 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का उद्देश्य न्यायालय पर यह कर्तव्य भी अधिरोपित करता है कि वह सत्य का अवधारण करे और उचित निर्णय प्रदान करे ।

17.9 न्यायालय को इस निष्कर्ष पर कि अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है, इस कारणवश पहुंचना चाहिए कि ऐसे साक्ष्य पर विचार किए बिना न्याय की हानि होगी न कि इस कारणवश कि उसके बिना निर्णय की उद्घोषणा असंभव होगी ।

17.10 इस विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय परिस्थिति की आवश्यकता, निष्पक्षता और संगत दृष्टिकोण सुरक्षोपाय के रूप में कार्य करेंगे । न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विचारण के किसी भी पक्षकार को अपने पक्षकथन में हुई गलतियों को सुधार करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए और यदि किसी अनवधानता के कारण समय पर कोई सुसंगत सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी गई थी या समुचित साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सका था तो न्यायालय को ऐसी गलतियों में सुधार करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए ।

17.11 न्यायालय को इस स्थिति से भली-भांति अवगत होना चाहिए कि अंततोगत्वा आधारिक रूप से विचारण बंदियों के लिए किया जाता है और न्यायालय को यथा संभव रीति में उन्हें उनके बचाव का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए । इस तर्कणा को ध्यान में रखते हुए यह त्रुटि करना अधिक सुरक्षित होगा कि अभियुक्त के पक्ष में एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराया जाए बजाय इसके कि अभियोजन पक्ष को किसी संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के

प्रति अभियुक्त की कीमत पर सुरक्षा प्रदान की जाए । न्यायालय को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी विवेकपूर्ण शक्ति का अनुचित या लापरवाही से प्रयोग किए जाने के परिणामस्वरूप अवांछित परिणाम सामने आ सकते हैं ।

17.12 किसी भी पक्षकार के विरुद्ध मामले की प्रकृति में परिवर्तन करने के उद्देश्य से या छद्मवेश में कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

17.13 इस शक्ति प्रयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि वह साक्ष्य, जिसे प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, अंतर्वलित विवाद्यक से पूर्णतया संबद्ध है और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रति पक्षकार को उसका विरोध करने का अवसर प्रदान किया जाता है ।

17.14 अत:, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन शक्ति का आह्वाहन न्यायालय द्वारा केवल न्याय के हित में सुदृढ़ और विधिमान्य कारणों से किया जाना चाहिए और ऐसी शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी, ध्यानपूर्वक और सतर्कता से किया जाना चाहिए । न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि निष्पक्ष विचारण की अवधारणा में अभियुक्त, पीड़ित और समाज के हित की रक्षा करना अंतर्निहित होता है और इसलिए संबद्ध व्यक्तियों को निष्पक्ष और उचित अवसर सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है क्योंकि यह एक सांविधानिक उद्देश्य है और साथ ही मानवीय अधिकार भी है ।"

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजेन्द्र प्रसाद** बनाम **नारकोटिक सेल**[1] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

"7. दांडिक न्यायालय का यह सामान्य अनुभव है कि प्रतिरक्षा काउंसेल ऐसे प्रत्येक मामले के प्रति आक्षेप उठाएगा जब कभी न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 या साक्ष्य अधिनियम

[1] (1999) 6 एस. सी. सी. 110 = ए. आई. आर. 199 एस. सी. 2292.

की धारा 165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा इस संबंध में प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा यह दलील दी जाएगी कि न्यायालय "अभियोजन पक्षकथन में कमियों को दूर करने" का प्रयास नहीं कर सकता । अभियोजन के पक्षकथन में हुई किसी कमी की तुलना विचारण के दौरान किसी लोक अभियोजक द्वारा दर्शित की गई अदूरदर्शिता से नहीं की जा सकती, चाहे वह कमी लोक अभियोजक द्वारा सुसंगत सामग्री प्रस्तुत न करके या साक्षियों से सुसंगत उत्तर प्राप्त न करके कारित की गई हो । "त्रुटि करना मानवीय स्वभाव है", इस मान्यता प्राप्त मुहावरे से यह संभावना दिखाई देती है कि हम मानवों से सदैव त्रुटि होने की संभावना रहती है । इस प्रकार किसी मामले के संचालन के दौरान की गई किन्हीं त्रुटियों या गलतियों को ऐसी कमियां नहीं समझना चाहिए जिन्हें न्यायालय दूर नहीं कर सकता ।"

11. इसके अतिरिक्त्, इस न्यायालय (प्रधान न्यायपीठ) की एक समन्वय न्यायपीठ ने **राजा बर्मन** उर्फ **राहू** (उपरोक्त) वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

"पुलिस को यह निदेश दिया जाता है कि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन प्रत्येक मामले में –

(क) जिसमें कोई डाक्टर अभियोक्त्री की योनिक स्लाइडों और अभियोक्त्री के ऐसे वस्त्रों की एमएलसी तैयार करता है, जिनका न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किए जाने पर यह पुष्टि हो जाती है कि उन पर मानवीय शुक्राणु उपस्थित हैं तो ऐसी दशा में ऐसी स्लाइडों को अभियुक्त के रक्त नमूने के साथ सत्यापन हेतु डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए ।

(ख) जहां अभियोक्त्री के संबंध में यह कथन किया गया है कि बलात्संग के कारण वह गर्भवती हो गई है और यदि वह इस प्रकार किसी बालक को जन्म देती है तो ऐसे बालक के पितृत्व को अभिनिश्चित करने के लिए डीएनए सत्यापन

किया जाना चाहिए जिससे अभियुक्त के अपराध में संलिप्त होने की पुष्टि की जा सके या उसे इस अपराध से मुक्त किया जा सके । यदि गर्भ को गिरा दिया जाता है तो गर्भ के उत्तक नमूनों का अभियुक्त के नमूनों के साथ मिलान किए जाने हेतु परीक्षण किया जाना चाहिए, और

(ग) गर्भावस्था के दौरान अभियोक्त्री की मृत्यु हो जाने की दशा में भी ऊपर (ख) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए ।"

12. यदि वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अभियोक्त्री के अंतरीय-वस्त्रों पर मानवीय शुक्राणु और वीर्य पाए गए हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क ऐसी परिस्थिति में डीएनए परीक्षण को अनिवार्य बनाती है और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस न्यायालय (प्रधान न्यायपीठ) की एक समन्वय न्यायपीठ ने **राजा बर्मन** उर्फ **राहू** (उपरोक्त) वाले मामले में पारित निर्णय और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मामले के समुचित निपटारे और उसमें न्यायोचित निर्णय देने के लिए डीएनए परीक्षण अनिवार्य है तो यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्षकथन में विद्यमान त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया है ।

13. इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा डीएनए परीक्षण कराए जाने का निदेश देकर कोई अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं की गई है ।

14. तद्नुसार, वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका असफल होती है और उसे खारिज किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

संसद् के अधिनियम

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(1989 का अधिनियम संख्यांक 33)

[11 सितंबर, 1989]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के निवारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अत्याचार" से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है ;

(ख) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों" के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में हैं ;

(घ) "विशेष न्यायालय" से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ङ) "विशेष लोक अभियोजक" से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है ;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता या भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो, यथास्थिति, संहिता में या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में है ।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रतिनिर्देश है ।

अध्याय 2

अत्याचार के अपराध

3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड – (1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, –

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा ;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य

घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा ;

(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है ;

(iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आबंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आबंटित भूमि को अंतरित करा लेगा ;

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा ;

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा ;

(vii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा ;

(viii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा ;

(ix) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के

किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोकसेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा ;

(x) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा ;

(xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा ;

(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा ;

(xiii) किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्‌गम के जल को जो आमतौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्‌वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है ;

(xiv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचने का अधिकार है ;

(xv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास-स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा,

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है –

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा ; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा ;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ;

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणत: पूजा के

स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ;

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा ; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

4. कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड – कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

5. पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड – कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है,

दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

6. भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना – इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

7. कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण – (1) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों, जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान, कुर्क की जाएगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

8. अपराधों के बारे में उपधारणा – इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि वह साबित हो जाता है कि –

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति की, या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति की

कोई वित्तीय सहायता की है तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है ;

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था ।

9. शक्तियों का प्रदान किया जाना – (1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह –

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए और उससे निपटाने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए,

किसी जिले या उनके किसी भाग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी ।

(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे ।

(3) संहिता के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे ।

अध्याय 3
निष्कासन

10. ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है – (1) जहां विशेष न्यायालय का, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 में यथानिर्दिष्ट 'अनुसूचित क्षेत्रों' या 'जनजाति क्षेत्रों' में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निदेश दिया गया था, वापस न लौटे ।

(2) विशेष न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है ।

(3) विशेष न्यायालय, उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर सकेगा ।

11. किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया – (1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निदेश जारी किया गया है –

(क) निदेश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है ; या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है,

तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा ।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निदेश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना, बंधपत्र निष्पादित करे ।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिए निदेश दिया गया था, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अस्थायी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तद्नुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा ।

12. ऐसे व्यक्तियों के, जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना – (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इनकार करता है, तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं ।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इनकार करने को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा ।

(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन लिए गए सभी माप और फोटो (जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी है) नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था ।

13. धारा 10 के अधीन आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति – वह व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

अध्याय 4
विशेष न्यायालय

14. विशेष न्यायालय – राज्य सरकार, शीघ्र, विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी ।

15. विशेष लोक अभियोजक – राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी ।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

16. राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति – सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे ।

17. विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई – (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं, और जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार-बार आते-जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई कर सकेगा ।

(2) संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे ।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्रवाई करेंगे ।

18. अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना – संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी ।

19. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना – संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध अठारह वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है ।

20. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना – इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

21. अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य – (1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेगा, –

(i) ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर अत्याचार हुआ है, न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों जिनके अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी हैं यात्रा और भरणपोषण के व्यय की व्यवस्था ;

(iii) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था ;

(iv) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारंभ करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति ;

(v) ऐसे समुचित स्तरों पर, जो राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन के लिए उस सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना करना ;

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय-समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था ;

(vii) उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना है और ऐसे उपाय करना जिससे ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हों ।

(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष, संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी ।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

23. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———

विधि साहित्य प्रकाशन द्‌वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्‌य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्‌वितीय संस्करण) – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145.00
4.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
5.	भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
6.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्‌युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in

Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in